लोक-सभा वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २, १९५७

(२३ मई से ३१ मई, १९५७)

2nd Lok Sabha

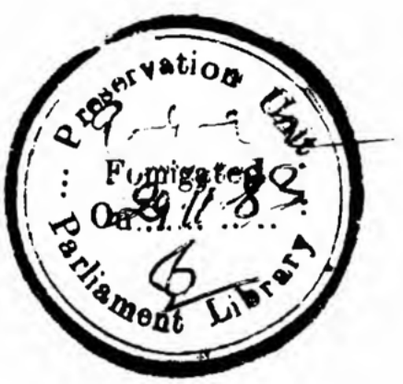

प्रथम सत्र, १९५७

(खण्ड २ में अंक ११ से १७ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खंड २—अंक ११ से १७—दिनांक २३ मई से ३१ मई, १९५७)

	पृष्ठ
अंक ११—गुरुवार, २३ मई, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २८१ से २८८, २९० से २९५, ३१५, ३१८, २९६ से २९८ और ३०० से ३०४ . . .	७१७–४४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६	७४४–४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २८९, ३०५ से ३१४, ३१६, ३१७, और ३१९ से ३२५	७४८–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या १७० से २०३ और २०५ से २०८ . .	७५४–७०
पटल पर रखे गये पत्र	७७१
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . .	७७१–८१६
कार्य मंत्रणा समिति—	
प्रथम प्रतिवेदन .	८१६
दैनिक संक्षेपिका . . .	८१७–१९
अंक १२—शुक्रवार, २४ मई, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२६, ३२८ से ३३३, ३५८, ३३४ से ३३६, ३३८ से ३४४, ३४९ और ३४५। . .	८२१–४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२७, ३३७, ३४६ से ३४८, ३५० से ३५७, ३६० से ३७४	८४३–५४
अतारांकित प्रश्न संख्या २०९ से २२४ और २२६ से २४० .	८५४–६६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	८६७
राज्य-सभा से संदेश .	८६७
प्रतिलिप्याधिकार, विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया	८६७

सभा का कार्य . . . ८६७

समितियों के लिये चुनाव . . . ८६८

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ८६८

भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति . ८६८

भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति . ८६८

भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति ८६८

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ८६९

प्राक्कलन समिति ८६९

लोक-लेखा समिति ८६९

लोक-लेखा समिति में राज्य-सभा के सदस्यों के सम्मिलित किये जाने के बारे में प्रस्ताव . ८६९

कार्य मंत्रणा समिति के पहिले प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव . ८७०

जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक . . ८७०—९८, ८९९—९०५

विचार करने का प्रस्ताव . . ८७०

खंड २ से ७ तथा १ . . . ९०४—९०५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ९०५

संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित . . . ८९८

लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण विधेयक—

पुरःस्थापित ८९८

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने का विकल्प) विधेयक—

पुरःस्थापित ८९८

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ८९८

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक तथा भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक— . . ९०५—१५

विचार करने का प्रस्ताव . ९०५

दैनिक संक्षेपिका . ९१६—२१

अंक १३—सोमवार, २७ मई, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७५ से ३७९, ३८१ से ३८४, ४१२ और ३८५ से ३९५ . . ९२३—४७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . ९४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६ से ४०१ ४०३ से ४१० और ४१३ से ४३५ ९४९—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २७६ . ९६३—७९

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	९८०–८१
राज्य-सभा से संदेश	९८१
सदस्य की गिरफ्तारी . . .	९८१
कारोनेशन स्तम्भ के पास गन्दे पानी की टंकी पर हुई दुघटना के बारे में वक्तव्य	९८१—८३
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक . .	९८३—८८
विचार करने का प्रस्ताव . .	९८३
खंड २ से ५ और १ . .	९८७–८८
पारित करने का प्रस्ताव .	९८८
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक .	९८३—८८
विचार करने का प्रस्ताव	९८३
खंड २ से ५ और १ . .	९८७–८८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	९८८
१९५३-५४ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें .	९८८–९९१
केन्द्रीय बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक	९९१—९६
विचार करने का प्रस्ताव	९९१
खंडवार चर्चा—समाप्त नहीं हुई	९९३—९६
प्रतिलिप्याधिकार विधेयक	९९७—१०१४
विचार करने का प्रस्ताव (राज्य सभा द्वारा पारित रूप में) .	९९७
खंड २ से ७९ और १ .	१००९—११
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१०१४
दैनिक संक्षेपिका	१०१५—१९
अंक १४—मंगलवार, २८ मई, १९५७	१०२१
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४५६, ४५८, ४५९, ४६१ और ४६२ .	१०२१—४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३६, ४५७, ४६०, ४६३ से ४६८, ४७० से ४८७, ४८९ से ४९१, ४९३ से ५२२ और ५२४ से ५२८	१०४३—६७
अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ से २७९ और २८१ से ३७८ .	१०६७—१११०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	११११
विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५७—	
पुरःस्थापित .	११११

	पृष्ठ
केन्द्रीय बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक	११११—१४
खंड ४ से १ . . .	१११३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१११४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . .	१११४—५१
दैनिक संक्षेपिका . . .	११५२—५७
अंक १५—बुधवार, २९ मई, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५३४, ५३६ से ५४६ और ५४८ से ५५३	११५९—८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२९, ५३५, ५४७, ५५४ से ५६०, ५६०-क, ५६१ से ५७४, ५७४—क, ५७५, ५७७, ५७८, ५७८-क, ५७९ से ५९५, ५९५-क, ५९६ से ५९८, ५९८-क, ५९८-ख, ५९९ से ६०१, ६०३, ६०४, ६०४-क, ६०५–६०९, ६०९-क, ६१० से ६१२ और ६१४ से ६१६	११८५—१२११
अतारांकित प्रश्न संख्या ३७९ से ४२३, ४२५ से ४५०, ४५०-क और ४५१ से ४६२	१२११—४४
विशेषाधिकार का प्रश्न . . .	१२४४—४५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१२४६–४७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी द्वारा मालवन में जहाज रोकने की मनाही से उत्पन्न स्थिति . . .	१२४७–४८
अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . .	१२४८
विनियोग (संख्या ३) विधेयक	१२४८—५०
विचार के लिये प्रस्ताव—	१२४८–४९
खंड २ और ३ और १	१२४९–५०
पारित करने का प्रस्ताव	१२५०
सामान्य-आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . .	१२५०—९९
दैनिक संक्षेपिका .	१३००—०६
अंक १६—गुरुवार, ३० मई, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१७, ६१९ से ६२३, ६२५ से ६२८, ६३०, ६५८-क ६३१ से ६३४, ६३६, ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४५ से ६४९	१३०७—३४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ से १० . .	१३३४—३७

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२४, ६२९, ६३५, ६३८, ६४३, ६४४, ६५० से ६७३, ६७३-क, और ६७४ से ६७७ . . . १३३७—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४९४ . . १३५०—६४

अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक . १३६४—६६

पुरःस्थापित . . . १३६६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . १३६६-६७

राज्य-सभा से संदेश १३६७

संसदीय परामर्श समितियों के बारे में . . . १३६७-६८

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . १३६८—१४०८

कार्य मंत्रणा समिति—. . . १४०८—१२

दूसरा प्रतिवेदन . . . १४०८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १४१२—१६

अंक १७—शुक्रवार, ३१ मई, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७८, ६७७-क, ६८१, ६८२, ६८४, ६८६ से ६९१, ६९३, ६९५, ६९६, ६९८ से ७०२ और ७४३ . . १४१७—४१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ से १६ . . . . १४४१—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८०, ६८३, ६८५, ६९२, ६९४, ६९७, ७०३ से ७०६, ७०६-क, ७०८ से ७२१, ७२३, ७२४, ७२४-क, ७२५ से ७२७, ७२९ से ७३४, ७३४-क, और ७३६ से ७४२ . . . १४४८—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५०८, ५१० से ५२७, ५२७-क, ५२८ से ५३२, ५३२-क और ५३३ से ५५९ . . १४६४—८९

प्रभाकरण थम्पन का निधन १४८९

स्थगन प्रस्ताव—

चंडीगढ़ में सत्याग्रह आन्दोलन १४८९-९०

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४९०-९१

राज्य सभा से सन्देश १४९१-९२

याचिकायें . १४९२

कार्य मंत्रणा समिति—. . १४९२

द्वितीय प्रतिवेदन

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . १४९२—९६

१. उत्तर प्रदेश में अल्प आय वर्ग के लिये मकान बनाने की योजना . १४९३

२. सयाजी जुबली काटन एंड जूट मिल्स सिद्धपुर, गुजरात, का बन्द होना १४९४

३. डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल . १४९४-९५

४. भारतीय विमान बल स्टेशन, पूना के विंग संख्या २ के कर्मचारियों द्वारा वेतन न लिया जाना १४९५

५. क्षय रोगियों के लिये एक हॉल के निर्माण के बारे में टी० बी० एसोसियेशन के प्रस्ताव को दिल्ली प्रशासन द्वारा अस्वीकार किया जाना १४९६

दो सदस्यों की गिरफ्तारी और एक को सजा १४९६-९७

नौ-सेना विधेयक—पुरःस्थापित १४९७

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १४९७—१५११

अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक . . . . १५११—४०

विचार के लिये प्रस्ताव . . . . . १५११—३३

खंड २ और १. . . . . १५३३—४०

पारित करने का प्रस्ताव १५३९-४०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १५४१—४७

सत्र की कार्यवाही का सारांश १५४८

अनुक्रमणिका . . . . . (१—१७०)

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

मंगलवार, २८ मई, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री **कोयिलात नल्लाकोया** (नाम-निर्देशित—लक्काद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सिंचाई तथा विद्युत् इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा

†*४३७. **श्री ल० न० मिश्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई और विद्युत् इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा निर्माण के प्रस्ताव की वर्तमान अवस्था क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : सिंचाई और विद्युत् इंजीनियरों की प्रस्तावित अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या राज्यों के सब मुख्य मंत्री इसका समर्थन करते हैं अथवा कुछ मुख्य मंत्री इस प्रस्ताव के विरूद्ध हैं।

†**श्री स० का० पाटिल** : कई राज्यों ने सहमति प्रकट कर दी है। ऐसे छः राज्य हैं — आठ इसके विरुद्ध हैं। पांच अभी तक विमुख हैं। इनमें से दो ने अपनी सम्मति व्यक्त कर दी है। अतः यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मंत्रियों के समन्वय बोर्ड की ओर कदाचित् केन्द्रीय सरकार की सर्व-सम्मत सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या एक वर्ष में अथवा उसके लगभग उक्त सेवा की सर्जना सम्भव हो सकेगी ।

†**श्री स० का० पाटिल** : निश्चित बताना कठिन है। किन्तु हम इस बात का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि जो राज्य हमसे सहमत नहीं हैं वे किसी न किसी रूप में इसकी आवश्यकता अनुभव करें ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा और इंजीनियरों के प्रस्तावित केन्द्रीय 'पूल' में सेवा नियोजित किये जाने वाले व्यक्तियों में समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जायेगा ?

श्री स० का० पाटिल : निस्संदेह ही जब तक उक्त सेवा की सृष्टि नहीं होती हम एक अन्य अस्थायी 'पूल' बनाने की प्रस्थापना पर विचार कर रहे हैं। लेकिन यह स्थायी हल नहीं है। स्थायी हल उक्त सेवा ही है और हम इस दिशा में प्रयत्न करेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार इकबाल सिंह : इस प्रस्ताव से सहमत होने वाले राज्यों के नाम क्या हैं और किन राज्यों ने सहमति प्रकट नहीं की है ?

†श्री स० का० पाटिल : बिहार, पंजाब, राजस्थान, पेप्सू, मनीपुर और उड़ीसा राज्यों ने सहमति व्यक्त की है। सहमति प्रकट न करने वाले राज्य हैं—बम्बई, पश्चिमी बंगाल, मध्य भारत, मद्रास, मैसूर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कुर्ग। आंध्र, आसाम, त्रावनकोर-कोचीन, हैदराबाद और सौराष्ट्र अभी इस पर विचार कर रहे हैं। आंध्र और आसाम ने उसके पश्चात् अपनी सहमति प्रकट कर दी है।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : माननीय मंत्री ने कहा कि आठ मुख्य मंत्रियों ने इसका विरोध किया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कारण बताये हैं ?

†श्री स० का० पाटिल : कारण भिन्न भिन्न हैं। किन्तु विरोध का मुख्य कारण यह है कि उन्हें कुछ अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा। इनमें से कुछ का कहना है और उन्होंने सुझाव दिये हैं कि समाजवादी राज्य में हमें खर्च नहीं बढ़ाना चाहिये।

दिल्ली में रिंग रेलवे

*†४३८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री २० नवम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली की सम्पूर्ण बतिस्यों को सम्बन्धित करने की दृष्टि से दिल्ली के चारों ओर रिंग रेलवे के निर्माण सम्बन्धी योजना की कितनी प्रगति हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : यह प्रस्ताव अभी विचचाराधीन है।

†श्री दी० चं० शर्मा : यह प्रस्ताव कब से विचाराधीन है तथा इसकी जांच में अभी और कितना समय लगेगा ?

†श्री शाहनवाज खां : उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर का उत्तर जुलाई १९५५ में प्राप्त हुआ था और यातायात सर्वेक्षण तथा आय के बारे में पुर्निर्धारण के लिये उनसे कहा गया है। रेलवे बोर्ड का विचार है कि इसमें अभी आय में और वृद्धि की जा सकती है। यह विषय अभी विचाराधीन है। और मैं माननीय सदस्य को यह भी जानकारी दे दूं कि यह रेल लाइन द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित रेल मार्गों से पृथक है।

†श्री दी० चं० शर्मा : यदि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है तो क्या इसकी क्रियान्विति तृतीय योजना के अन्तर्गत की जायेगी ?

†श्री शाहनवाज खां : अभी यह नहीं कह जा सकता है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : रिंग रेलवे जमीन के ऊपर बनेगी अथवा नीचे ?

†श्री शाहनवाज खां : ऊपर ही।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि रिंग रेलवे का जो नई दिल्ली से विनयनगर तक का भाग है वह पहली पंचवर्षीय योजना में नहीं था और अगर नहीं था तो क्या इसी तरीके से आगे भी हो सकता है और रिंग रेलवे आगे बनाई जा सकती है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह काल्पनिक प्रश्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नवल प्रभाकर : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : उसमें कुछ जवाब देने के लिये नहीं है ।

सियालदा नार्थ स्टेशन पर रेल दुर्घटना

†*४३९. **श्री साधन गुप्त:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलायदा नार्थ स्टेशन पर २१ फरवरी, १९५७ को एक रेल दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्वटना के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए ; और

(ग) रेलवे कर्मचारियों की प्राणहानि के लिये दिया गया प्रतिकर और क्या प्रतिकर की राशि श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत उपवन्धित राशि के समान ही है अथवा उससे अधिक है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां । २१ फरवरी, १९५७ को लगभग १ बज कर २५ मिनिट पर सिलायदा नार्थ स्टेशन की लाइन नं० १ पर एस ३९५ अप पैसेंजर एस ४११ अप लोकल पैसेंजर के रेके से सम्बद्ध इंजन में घुस गई ।

(ख) मृत . १ (रेलवे कर्मचारी; अस्पताल में मृत्य हुई)

घायल

गम्भीर रूप में आहत . . १ (रेलवे कर्मचारी)

साधारण आहत . . ११ (रेलवे कर्मचारी) ४

(एस० ४११–७ अप के रेक में यात्री) ७

११

कुल . . १२

(ग) जिस एक कर्मचारी की मृत्य हुई है उसे श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत ३,००० रुपये मिलेंगे।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या यह सच नहीं है कि प्रतिकर भुगतान के उपबन्ध के सम्बन्ध में उस दिन एक समझौता हो गया था और यदि हां, तो क्या प्रतिकर था ; क्या वह श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत देय राशि के समान था अथवा कोई अन्य प्रतिकर है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** यह सदैव निर्धारित है कि जो भी प्रतिकर दिया जाता है वह श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अनुसार है ।

†**श्री साधन गुप्त :** मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई समझौता था ?

†**श्री शाहनवाज खां :** समझौता यह था कि श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अनुसार प्रतिकर दिया जायेगा और भुगतान शीघ्र किया जायेगा ।

श्री साधन गुप्त : क्या समझौते में इस प्रकार की कोई धारणा थी कि मृत कर्मचारी के पुत्र के लिये रोजगार की व्यवस्था की जायेगी तथा क्या इस दिशा में कुछ किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** जहां तक मुझे स्मरण है, इस प्रकार का कोई वायदा नहीं था। इस प्रकार की कठिन स्थिति में रेलवे सदैव इस पर विचार करती है, किन्तु इस प्रकार का वायदा नहीं किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस प्रकार का वायदा अथवा समझौता विधिसंगत है कि मृत व्यक्ति के लड़के को नौकरी दी जायेगी भले ही उसकी योग्यता कुछ भी हो ?

श्री साधन गुप्त : रेलवे में ऐसा होता है ।

दिल्ली हार्डिंग ब्रिज और निजामुद्दीन के बीच रेल दुर्घटना

†*४४०. **श्री राधा रमण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली हार्डिंग ब्रिज और निजामुद्दीन के बीच रेलों द्वारा मनुष्यों को कुचल देने की प्राणहन्ता दुर्घटनायें बढ़ गई हैं;

(ख) १९५६–५७ के बीच इस प्रकार की दुर्घटनाओं की संख्या ; और

(ग) क्या इन दुर्घटनाओं से बचने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). १९५६–५७ में पटरी पर चलने वालों को रेल द्वारा कुचल देने की तीन घटनायें नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के बी हुईं।

(ग) जह कहीं सम्भव हो और रेल की पटरी पार करने वालों की संख्या अधिक हो वहां बाढ़ लगाई जाती है। इसके साथ ही राज्य सरकारों के प्राधिकारी जो अनधि प्रवेश को रोकने के लिये प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी हैं उन्हें दुर्घटनाओं की जानकारी दी जाती है ताकि वे अनधि प्रवेश को रोकने के प्रयत्न में तत्परता का प्रयोग करें ।

†**श्री राधा रमण :** माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि दुर्घटनाओं से बचने के लिये उस क्षेत्र में बाढ़ लगई गई है। यदि ऐसी बात है तो फिर दुर्घटनायें क्यों होती हैं ? दुर्घटनाओं की संख्या देखते हुए क्या भविष्य में इनसे बच के लिये सरकार कुछ और कार्यवाही करनेका विचार रखती है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** किसी सरकार अथवा संगठन के लिये लोगों को कुचलने से रोकना असम्भव है। (**अन्तर्बाधा**) मेरा अभिप्राय है कि जो व्यक्ति इसके लिये दृढ़ संकल्प हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। ये जो तीन घटनायें हुई हैं उनमें से एक व्यक्ति चलती गाड़ी के सामने कूद पड़ा और उसने आत्म हत्या कर ली। बाढ़ का प्रबन्ध कर देने से ऐसी घटनायें नहीं रुक सकती हैं। दूसरे आदमी की मृत्यु इस लिये हुई कि वह गूंगा और बहरा था तथा गाड़ी के आने की आवाज नहीं सुन सका।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न। आज ८९ प्रश्न हैं।

दिल्ली में मार्शलिंग यार्ड

†*४४१. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली मेन और नई दिल्ली स्टेशनों पर माल यातायात के जमाव को दूर करने के लिये दिल्ली के आस पास नये मार्शलिंग के यार्ड निर्माण का विचार रखती है; और

(ख) यार्ड के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां । तुगलकाबाद में एक मार्शलिंग यार्ड निर्माण करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) १·०८ करोड़ रुपये ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या मार्शलिंग यार्ड को दिल्ली मेन स्टेशन से मिलाने वाला मथुरा रोड का पुल तब तक तैयार हो जायेगा ; और यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : आशा है कि दोनों पुल एक साथ तैयार हो जायेंगे ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इसके निर्माण के लिये उत्तरदायी शिल्पी कौन है और क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई टेंडर अथवा प्राक्कलन प्रस्तुत किये थे ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : अभी तक नहीं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार ने टेंडर आमंत्रित करने के लिये विज्ञापन जारी कर दिया है और क्या किसी फर्म अथवा ठेकेदार ने टेंडर प्रस्तुत किये हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है ।

†**श्री राधा रमण** : क्या यह कार्य आरम्भ करने के लिये कोई तिथि निश्चित की गई है और क्या इसे पूरा करने के लिये कोई अवधि निर्धारित की गई है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : वस्तुतः जमीन प्राप्त की जा रही है और आशा है कि इसे पूरा करने में लगभग तीन वर्ष लगेंगे, अर्थात्, १९५९ तक यह तैयार हो जायेगा ।

†**श्री ब्रह्म प्रकाश** : क्या यह सच नहीं है कि जमीन दो वर्ष पहले प्राप्त कर ली गई थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मौनं सम्पति लक्षणं ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मार्शलिंग यार्ड बनाने का विचार अभी कुछ महीने पूर्व ही किया गया है और इसलिये जमीन दो वर्ष पहले प्राप्त नहीं की जा सकी । हम अब इसे प्राप्त करने की कार्यवाही कर रहे हैं ।

रेलवे निरीक्षणालय

†*४४२. **श्री ह० चं० माथुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलों के सरकारी निरीक्षणालय को मंत्रालय के नियंत्रण में लेने के लिये अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जी नहीं । यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

†**श्री ह० चं० माथुर** : क्या यह सच है कि डेढ़ वर्ष पहले दोनों सम्बन्धित मंत्रियों ने—संचार मंत्री और रेलवे मंत्री ने —यह स्वीकार कर लिया था कि निरीक्षणालय रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय के अधीन नहीं रहना चाहिये ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : इसमें आगे विचार करने की कोई बात नहीं है । मेरा यह निश्चित मत है कि इसे रेलवे मंत्रालय के अधीन नहीं होना चाहिये ।

†**श्री ह० चं० माथुर** : यह स्थिति उनके पूर्ववर्ती मंत्री ने डेढ़ वर्ष पहले राज्य सभा में बताई थी । तब फिर अब तक यह विषय निलम्बित क्यों रखा गया है । इस प्रवृत्ति से विभाग पतनोन्मुख नहीं हो जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : मेरा यह मत नहीं है। जब मैं संचार मंत्रालय का प्रभारी था तो मेरा यह विचार था कि यह संचार मंत्रालय से सम्बद्ध रहे और मैं ने अपना विचार नहीं बदला है।

†**श्री ह० चं० माथुर** : इसे निलम्बित रखने का क्या कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न के पीछे पड़ने से कोई लाभ नहीं है। उनका मत दृढ़ है। रेलवे मंत्री लेने के लिये उत्सुक नहीं है और न संचार मंत्री ही इसे देने के लिये अधीर हैं।

†**श्री ह० चं० माथुर** : डेढ़ वर्ष पहले भी यही निर्णय किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : बार बार वही प्रश्न पूछने में कोई लाभ नहीं है। हम दूसरा प्रश्न लेंगे।

समाचारपत्रों की हानि

*४४३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि जब से पंजीकृत समाचार पत्रों पर एक पैसे के बदले नये दो पैसे के डाक-टिकट लगाने का नियम लागू किया गया है, तब से उन्हें, विशेषकर जिला स्तर के समाचारपत्रों की बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परिस्थिति में सुधार करने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि समाचारपत्रों पर जो पुराने पैसों के हिसाब से १ पैसे का टिकट लगता था, नये सिक्कों में वह डेढ़ पैसा होना चाहिये था, और २ पैसे का टिकट कर देने से छोटे छोटे समाचारपत्रों को बहुत हानि हो रही है, और क्या इस बारे में कोई जाँच की गई है ?

श्री राज बहादुर : नये पैसे के अनुसार उस का मूल्य होता १.५६२५ पैसा और जो कानून इस बारे में बना है उस के अन्तर्गत भिन्न को राउन्ड आफ अर्थात् गोल या पूरे आंकड़ों में नहीं दिया जा सकता। इस लिये हमें १.५६ के बजाय २ नये पैसे करना पड़ा।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने हिन्दी समाचारपत्रों के इस सुझाव पर विचार किया है कि समाचारपत्रों के लिये विशेष तौर पर डेढ़ पैसे का टिकट जारी किया जाये ताकि उन्हें नुक्सान न हो ?

श्री राज बहादुर : इस सम्बन्ध में जो अन्तर्राष्ट्रीय नियम उनके अनुसार हम जो पोस्टेज बुक सैम्पल या प्रिंटेड पैकेट्स पर लेते हैं, उस के ५० प्रतिशत पर अखबार भेजे जाने चाहियें। जो वर्तमान दरें हमारी हैं, उन के अनुसार दस तोले के कम के अखबार ७५ प्रतिशत कम पर जाते हैं और जिन का वजन दस तोले से ज्यादा है वह ६५ प्रतिशत कम पर जाते हैं। इन दरों में इस से अधिक कमी करना या और अधिक छूट देना हमारे लिये सम्भव नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो निर्णय किया गया है वह बिल्कुल अन्तिम है या उस पर और विचार करने की गुंजाइश है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : मैं ने निवेदन किया कि पहले ही इस मद में हम लोग लगभग १ करोड़ १५ लाख रुपये का घाटा बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि अखबार सुविधा से जा सकें और अखबारों को सहूलियत मिल सके। इससे अधिक घाटा उठाना इस वक्त मुझे सम्भव नहीं मालूम होता।

पश्चिम रेलवे में डिवीजन का निर्माण

†*४४४. **पंडित मु० बि० भार्गव**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संचालन एवं सेवा की कुशलता वृद्धि के लिये भूतपूर्व बी० बी० एण्ड सी० आई० मीटर गेज सैक्शन को अजमेर स्थित मीटर गेज हेडक्वार्टर्स कार्यालय के साथ मिलाकर एक डिवीजन कर देने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जी नहीं।

†**श्री मु० बि० भार्गव** : क्या मीटर गेज सैक्शन को दो जोन में विभाजित करने से प्रशासनिक असुविधा के साथ-साथ संचालन कुशलता की क्षति नहीं हुई है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी नहीं।

†**श्री मुहीउद्दीन** : क्या इस डिवीजन निर्माण में जो शक्ति प्रत्यायोजन किया गया है वह रेलवे में अपेक्षित कुशलता उत्पन्न करने के लिये पर्याप्त है अथवा उन्हें अधिक शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव है ताकि कुशलता में वृद्धि हो सके ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमारा विचार है कि वर्तमान शक्तियां कुशलता वृद्धि के लिये पर्याप्त हैं ?

मछली का आटा[1]

†*४४५. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की कुछ प्रयोगशालाओं में मछली का गंधहीन आटा तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रयोग आरम्भ किया गया है और उसके क्या परिणाम हुए हैं ;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय प्रयोगशाला में इस प्रकार का प्रयोग किया गया है ; और

(घ) उक्त आटे के खाद्य तत्त्व क्या हैं और इसका संरक्षण किस प्रकार किया जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां।

(ख) यह प्रयोग निम्न स्थानों में किया गया था :—

(१) सैन्ट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च स्टेशन, मण्डपम् केम्प ;

(२) फिशरीज टेक्नालाजिकल स्टेशन, कोजिकोडे ;

(३) यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, त्रिवेन्द्रम् ;

(४) डाइरेक्टोरेट आफ फिशरीज, कलकत्ता ; और

(५) सेन्ट्रल फूड टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, मैसूर।

इस प्रयोग के परिणाम सफल हुए हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Fish Flour

(ग) सेन्ट्रल फिशरीज रिसर्च स्टेशन, मण्डपम् केम्प और सेन्ट्रल फूड टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट मैसूर ।

(घ) इसमें उच्च कोटि का प्रोटीन रहता है और ड्राई तौल के आधार पर यह ७० से ८० प्रतिशत तक रहता है । इस में प्राशिकीय तत्व लगभग ६१ है ।

समूचित संरक्षण की पद्धतियों की अभी जांच की जा रही है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच है कि मौसम से प्रभावित होने पर यह आटा खराब नहीं होता है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस आटे के उत्पादन की सर्वोत्तम विविध बायो-बिन है हम इस विधि की सहायता से अच्छी किस्म का आटा बनाने के लिये प्रयोग कर रहे हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या आटे में प्रोटीन तत्त्व का अनुसंधान किया गया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : प्रोटीन का पहले ही उल्लेख कर दिया गया है । यह ७० से ८० प्रतिशत है ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यावसायिक दृष्टि से कौन सी प्रमुख मछलियां इस उद्योग के लिये ठीक समझी गई हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : इसी प्रयोग के लिये हम इस बात पर जोर देते हैं कि निम्न दर्जे की मछली का ही उपयोग किया जाये । निम्न दर्जे से अभिप्राय उन मछलियों से है जिनमें अधिक तेल-तत्त्व न हो । हमने शार्क, रे तथा अन्य विविध छोटी-छोटी मछलियों के बारे में यह प्रयोग किया है ।

†**श्री सुपाकर** : क्या सरकार इस सभा को मछली के आटा के आस्वादन का अवसर प्रदान करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं है । सदस्य मंत्री से सम्पर्क स्थापित कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : मैं इस आटे की लागत जानना चाहता हूं और क्या मछलियों को आटे में परिणत करने से बाजार में मछलियों का मूल्य नहीं बढ़ेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : हमने यह आटा व्यावसायिक स्तर पर उत्पादित नहीं किया है। अतः हम यह नहीं कह सकते कि इस पर कितना खर्च होगा। मैं ने सभा को यह जानकारी पहले ही दे दी है कि निम्न दर्जे की मछलियों पर यह प्रयोग कर रहे हैं।

गण्डक पर रेलवे पुल

†*४४६. **पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर सोनपुर और हाजीपुर रेलवे स्टेशन के बीच गण्डक के पुल का, जो अपनी अनुमानित आयु से भी पन्द्रह वर्ष अधिक गुजार चुका है, विगत काल में निरीक्षण किया गया था और उसकी शक्ति निर्धारित की गई थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका परीक्षण कब किया गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). यह पुल १८८७ में यातायात के लिये चालू किया गया था और अब यह लगभग ७० वर्ष पुराना हो चुका है। इसने अपनी अनुमानित आयु-सीमा पार नहीं की है। पुल में लगे शहतीरों का प्रति पांच वर्ष पश्चात् निरीक्षण किया जाता है और अन्तिम बार १९५२–५३ में इनका परीक्षण किया गया था।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : १९५६ में, उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय रेलवे मंत्री ने बताया था कि पुल अपनी आयु-सीमा पार कर चुका है। अब भिन्न उत्तर दिया गया है। इन दोनों में कौन सा उत्तर सही है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं जो कुछ अभी कह रहा हूं वही इसका उत्तर है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि १९५६ में इसकी आयु पूरी मान ली गई तो वर्तमान में क्या स्थिति है ? क्या इसमें वृद्धि हो गई है ? माननीय सदस्य ने पिछले उत्तर का निर्देश किया। तब क्या यही उत्तर था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इसमें कुछ भ्रांति है। शहतीरों की आयु सामान्यता ६० वर्ष होती है। मशीनें तथा अन्य कार्य प्रायः १०० वर्ष ठीक रहते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ६० वर्ष बीत जाने पर यह पुल असंदिग्ध रूप में टूट जायेगा।

†**श्री रंगा** : जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती।

†**श्री शाहनवाज खां** : पुलों का निरीक्षण किया जाता है और अनेक अवस्थाओं में इनकी आयु पर्याप्त सिद्ध होती है।

†**पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : यह महत्वपूर्ण पुल है। यदि यह कमजोर हो कर टूट गया तो दूसरी बड़ी दुर्घटना होगी। क्या वहां निकट भविष्य में कोई नया पुल बनाया जायेगा ; और यदि हां, तो कब और क्यों, जबकि वर्तमान पुल की आयु पूरी नहीं हुई है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है। उन्हें यह जान कर हर्ष होगा कि नदी पर दो करोड़ रुपये की लागत से एक दोहरे मार्ग वाला पुल बनाने का निर्णय किया गया है। यह वर्तमान पुल से २५० फीट ऊपर की ओर बनाया जायेगा। यदि सामान उपलब्ध हो गया तो आशा है कि पुल १९५९ में पूरा हो जायेगा।

रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समितियां

***४४७. श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खंडीय तथा प्रादेशिक रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समितियों में कई सदस्य बहुत समय से चले आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनके बदलने के सम्बन्ध में किसी योजना पर विचार कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) क्षेत्रीय और प्रादेशिक रेल उपभोक्ता सलाहकार कमेटियां १९५३ से बराबर काम कर रही हैं। इनकी पहली अवधि १९५३ से ३१ दिसम्बर, १९५५ तक रही और दूसरी १ जनवरी, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आमतौर पर मेम्बर बदल गये हैं, लेकिन कुछ मेम्बर ऐसे हैं जो पहली अवधि में थे और अब दूसरी में भी हैं।

(ख) जी नहीं। इन कमेटियों के संविधान में ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है कि कोई आदमी दोबारा मेम्बर न बनाया जा । इसके अलावा राज्य सरकारें, राज्यों के विधान-मंडल, चुने हुए यात्री संघ और वाणिज्य-मंडल खुद इस बात का फैसला करते हैं कि इन कमेटियों में कौन उनका प्रतिनिधि होगा।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया।]

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि ये जो कमेटियां बनाई जाती हैं उनमें जिन लोगों को लिया जाता है, उनको सरकार क्या एम० पीस० की सलाह से लेने का विचार कर रही है ताकि एम० पीस० में यह भावना न रहे कि उनसे पूछे बगैर ही उनके क्षेत्रों से बगैर चुनाव के ही लोगों को ले लिया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री विभूति मिश्र : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस पर सोच रही है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

†**पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदाता समिति के लिये यात्री संस्थाओं द्वारा किन्हीं सदस्यों के चुनाव पर सरकार ने विचार किया है अथवा किसी यात्री संस्था को प्रतिनिधि भेजने की अनुमति है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम इसकी पूरी जांच करते हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या परिमंडलीय और प्रादेशिक रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदाता समितियां रेलवे यात्रियों के हित में कोई काम करती हैं और क्या सुझावों के रूप में विशेष सुविधाओं का उपबन्ध करती हैं अथवा वे केवल गौरवान्वित निकाय हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी नहीं, हमारा विचार है कि वे अत्यंत उपयोगी कार्य कर रही हैं।

†**श्री विभूति मिश्र** उठे—

†**डा० क० ब० मेनन** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री मेनन।

श्री विभूति मिश्र : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। मैं यह कहना चाहता हूं कि हर एक मेम्बर को तीन क्वेश्चन पूछने का हक है तो क्या वजह है कि मुझे इस हक से महरूम किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : संविहित नियमों के अनुसार मेरे लिये यह अनिवार्य नहीं है कि मैं उसी सदस्य का नाम पुकारूं। यदि मुझे यह प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्नों के रूप में महत्वपूर्ण योग दे रहे हैं तो मैं उन्हें पुकारता हूं किन्तु यदि उनके पास कोई वास्तविक प्रश्न नहीं है तो मैं किसी और दूसरे सदस्य का नाम पुकारता हूं।

†**डा० क० ब० मेनन** : क्या इन समितियों की सदस्यता उन्हीं यात्री संस्थाओं तक सीमित है जो पंजीकृत हैं ?

मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां** : यह आवश्यक नहीं है ।

†**श्री रंगा** : क्या वर्ष में कम से कम एक बार यह प्रयत्न किया जाता है ? इन समितियों की कितनी सिफारिशें रेल प्रशासन द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जैसा माननीय सदस्य देखेंगे ये रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदाता समितियां हैं। उनसे परामर्श किया जाता है और उन पर यथोचित ध्यान दिया जाता है ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं है कि हम रेलवे प्रयोक्ता समिति के गैर सरकारी सदस्यों के अनेक सुझाव, परिमंडलीय तथा प्रादेशिक क्षेत्र में क्रियान्वित नहीं किये गये हैं और सम्बन्धित प्रशासन से सम्बद्ध अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य उच्च अधिकारियों ने इन पर ध्यान नहीं दिया ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं इस वक्तव्य का खंडन करता हूं। परिमंडलीय और प्रादेशिक परामर्शदाता समितियों की सभी सिफारिशों (**श्री रंगा** : मैं ने उसका जिक्र नहीं किया है) . . . . पर उचित ध्यान दिया जाता है।

†**श्री रंगा** : मैं उनका अध्ययन करना चाहता हूं। यहां यह कहने में कोई लाभ नहीं है कि उन पर विचार किया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर यहीं दिया जायेगा अन्यत्र नहीं ।

†**श्री रंगा** : वह सुझाव का विरोध करते हैं किन्तु यह नहीं कहते कि उनकी जांच की गई है अथवा नहीं ।

†**श्री शाहनवाज खां** : निस्संदेह हम प्रत्येक सिफारिश की जांच करते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री विभूति मिश्र का नाम पुकारने के पहले मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आखिर इन परामर्शदाता समितियों का उद्देश्य संसद् के सदस्यों को ध्यान आकर्षित करने में सहायता प्रदान करना है। उनका प्रारम्भिक उद्देश्य रेल प्रशासन को सहायता देना है यदि किसी कारणवश रेलवे प्रशासन इन सुझावों की पूर्ति नहीं करता है तो सदस्यों को कार्यवाही अथवा उसका सारांश यहां उपलब्ध करा देना चाहिये ताकि वे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकें। अतः माननीय मंत्री इस व्यावहारिकता पर विचार कर सकते हैं कि इन समितियों की कार्यवाही का वृत्तान्त पुस्तकालय में रख दिया जाये। एक वर्ष तक उन्हें रख कर तत्पश्चात् वापस ले लिया जायेगा ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। यदि आपकी यह इच्छा है तो मुझे इन परामर्शदाता समितियों का कार्यवाही वृत्तान्त संसद् के पुस्तकालय में रखने में कोई आपत्ति नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : समय-समय पर ।

†**श्री जगजीवन राम** : सम्पूर्ण कार्यवाही वृत्तान्त ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत ठीक ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसा कोई सिद्धान्त बनाया है कि पार्लियामेंट के सदस्य जो उसमें प्रतिनिधि के रूप में लिये जायें वे केसे लिये जायें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जगजीवन राम : वहां चुनने का तो कोई सवाल नहीं है । हम तो यहां जो मिनिस्टर आफ़ पार्लियामेंटरी अफ़ेयर्स हैं उनसे बातें करके इस सदन के कुछ सदस्यों को ले लिया करते हैं ।

रेलवे दुर्घटनायें रोकना

†*४४८. **श्री वोडयार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे दुर्घटनायें रोकने के लिये किसी युक्ति के आविष्कार सम्बन्धी कोई योजनायें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) क्या उनके आविष्कार के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री वोडयार** : क्या कुछ योजनाओं को जाली समझकर रद्द कर दिया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं ऐसी किसी बात से अवगत नहीं हूं ।

†**श्री वोडयार** : क्या सरकारी विभाग इस प्रकार के किसी यंत्र के आविष्कार में लगा हुआ है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : श्री पुन्नू स्वामी नामक एक महानुभाव ने हानि कम करने के लिये एक युक्ति ढूंढी है जिसके अनुसार गाड़ी के पटरी से उतरते ही वेक्यूम ब्रेक लग जायेगा । रेलवे प्रभाग कार्यालय द्वारा इस युक्ति का परीक्षण किया जा रहा है तथा इसे पेटेंट कर दिया गया है ।

†**श्री दासप्पा** : क्या मार्ग की त्रुटियों का पता लगाने के लिये कोई ऐसे उपकरण हैं जो पहले से रेल मार्ग पर रख दिये जायें और वे विभिन्न त्रुटियों की ओर संकेत कर सकें ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : ऐसे उपकरण हैं और मध्य रेलवे में उनका प्रयोग किया जा रहा है ।

†**श्री पलनियान्डि** : यह पुन्नूस्वामी कौन हैं ? क्या वह सम्बन्धित रेलवे के कर्मचारी हैं तथा क्या उन्हें अपने आविष्कार के लिये पुरस्कार दिया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां वह रेलवे कर्मचारी हैं और उन्हें पुरस्कार दिया गया है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या रुस का भ्रमण करने वाली वशिष्ठ समिति की सिफारिशें और विशेष रूप से दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में उनके विचारों को क्रियान्वित किया गया है ?

†**श्री जगजीवन राम** : विस्तृत उत्तर के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

तपेदिक

†*४४९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की जनसंख्या में तपेदिक का आपात निर्धारण करने के लिये चिकित्सा गवेषणा की भारतीय परिषद् द्वारा अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नमूने के आधार पर एक अखिल भारतीय तपेदिक सर्वेक्षण भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् द्वारा १९५६ में किया गया था। सर्वेक्षण अभी चल रहा है ।

(ख) सर्वेक्षण का परिणाम क्षेत्रीय कार्य पूरा होने और संगृहीत आंकड़े का विश्लेषण किये जाने पर पता लग सकेगा। इसमें सात या आठ महीने और लग सकते हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिमी बंगाल में तपेदिक का आपात अत्यंत विषम स्थिति में है, क्या सरकार बतायेगी कि कुल कितनी राशि नियत की गई है और पश्चिमी बंगाल के लिये इसमें से कितना अंश निर्धारित है ?

†**श्री करमरकर** : यह प्रश्न तो तपेदिक तथा इसी प्रकार के रोगों के उपचार के सम्बन्ध में पूछा जा रहा है। मेरा विचार था कि यह प्रश्न सर्वेक्षण के बारे में है। मैंने सर्वेक्षण के बारे में बताया। उन सारी बातों के लिये तो मुझे अलग पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री वें०प० नायर** : मैं राज्यों के बारे में उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह जानना चाहता हूँ किस राज्य में तपेदिक के मरीजों की सब से अधिक संख्या है और इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री करमरकर** : जहां तक नमूना सर्वेक्षण का प्रश्न है, अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि किस राज्य में इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों की सब से अधिक संख्या है । जांच करने पर ही यह बात मालूम हो सकती है ।

†**श्री वें० प० नायर** : सर्वेक्षण से पृथक, उपलब्ध जानकारी के आधार पर मैं यह बात जानना चाहता हूं ।

†**श्री करमकर** : मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस मत का ध्यान रखते हुए कि बी० सी० जी० वस्तुतः रोग निवारक नहीं है, क्या इस दिशा में सर्वेक्षण और तत्सम्बन्धी व्यय उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत है ?

†**श्री करमरकर** : यह प्रश्न सर्वेक्षण से सम्बन्धित है । इस सम्बन्ध में मैं सब प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ किन्तु तपेदिक के बारे में दूसरे प्रश्न की सूचना दी जाना चाहिये। उस अवस्था में मुझे सब प्रश्नों के उत्तर देने में प्रसन्नता होगी ।

लाला अचित राम : देश में इस बीमारी की रोकथाम के लिये सरकार कौन से प्रीवेंटिव मैज़र्स ले रही है और उस काम के लिये कितना रुपया खर्च किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : मैं ने अर्ज़ किया कि वह अलग सवाल है और उसके लिये अलग नोटिस चाहिये ।

†**श्री शंकरप्पा** : क्या किसी राज्य ने सर्वेक्षण किया है और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा केन्द्रीय सहायता की मांग की है ?

†**श्री करमरकर** : सावधिक तथा अन्य सर्वेक्षण पहले किये गये थे। वैज्ञानिक पद्धति पर नियमित सर्वेक्षण का यह प्रथम प्रयत्न है। इस सर्वेक्षण में अभी तक सम्मिलित राज्य दिल्ली और पटना हैं और केन्द्र हैं—कलकत्ता, हैदराबाद, मदनपल्ली और त्रिवेन्द्रम। यह अत्यंत समीचीन सर्वेक्षण के केन्द्र हैं जिन में फोटो आदि सम्मिलित हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलों में चोरियां

†*४५० **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री चलती रेलों में चोरी की घटनायें रोकने के लिये किये गये उपाय बताने की कृपा करेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१]**

श्री रघुनाथ सिंह : जब से इस तरह का काम शुरू हुआ है तब से चोरी की तादाद पर उसका क्या असर हुआ है, पहले से चोरी कुछ ज्यादा हुई है या कम हुई है ?

श्री शाहनवाज खां : पहले से चोरी कम हो रही है ।

रेलवे अल्पाहार गृह

†*४५१. **श्री तिम्मय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में रेलवे स्टेशनों पर अल्पाहार गृहों के किराये निर्धारित करने का आधार; और

(ख) क्या दक्षिण रेलवे के सब रेलवे स्टेशनों पर किराया समान है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). दक्षिण रेलवे के ठेकेदारों से समान रूप से प्रति अल्पाहार गृह एक रुपये मासिक नाम मात्र किराया लिया जाता है ।

नाम मात्र किराया वसूल करने का कारण यह है कि पाश्चात्य ढंग के भोजन की मांग सीमित है और ये अल्पाहार गृह सामान्यतया इन्हीं वस्तुओं को बेचते हैं और ऊंचा स्टैण्डर्ड रखना पड़ता है।

किराये के अतिरिक्त जल तथा विद्युत् के दाम उपभोग के आधार पर वसूल किये जाते हैं और विद्युत् संस्थापना का निर्वहन व्यय तथा किराया वसूल किया जाता है।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या सरकार इन सब रेलवे स्टेशनों में किराये की समान दर रखने का विचार रखती है ?

†**श्री शाहनवाज खां**: हमने विभिन्न परिमण्डलीय समितियों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने का निर्णय किया है। शीघ्र ही यह बैठक दिल्ली में होगी और इन अल्पाहार गृहों पर किराये की समान दर निश्चित करने की सम्भावना पर विचार किया जायेगा।

†**श्री थानु पिल्ले** : क्या यह सच है कि पाश्चात्य ढंग के अल्पाहार गृहों से केवल एक रुपया मासिक लिया जाता है जबकि भारतीय पद्धति के अल्पाहार गृहों से २०० रुपये से ३०० रुपये प्रति माह तक लिये जाते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल २०० रुपये ही क्यों ?

†**श्री शाहनवाज खां** : किन्हीं अवस्थाओं में यह सच हो सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई ऐसा उदाहरण है कि भारतीय अल्पाहार गृह से एक रुपया ही वसूल किया जाता है।

†**श्री शाहनवाज खां** : जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्री(श्री जगजीवन राम) : पाश्चात्य ढंग के अल्पाहार गृहों से केवल एक रुपया प्रति माह वसूल करने का कारण बता दिया गया है ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि छोटे स्टेशनों पर किराये की दर बड़े स्टेशनों की अपेक्षा अधिक है ?

†**श्री जगजीवन राम** : कहीं-कहीं हो सकती है लेकिन कोई विशिष्ट उदाहरण मेरे सामने नहीं आया है ।

गन्ने की खेती की लागत

†*४५२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गन्ने की खेती की लागत मालूम करने की योजना के सम्बन्ध में प्रगति ;

(ख) १९५७–५८ की गन्ना पैसे की मौसम में गन्ने की कीमत निर्धारित करने के क्या सिद्धान्त हैं ?

†**खाद्य उपमंत्री(श्री मो० वे० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२]**

†**श्री झूलन सिंह** : क्या सरकार ने गन्ने की कीमत निर्धारित करने के लिये किसी निश्चित सिद्धान्त के अभाव में देश के गन्ना उत्पादकों में व्याप्त तीव्र असन्तोष की भावना पर ध्यान दिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : मेरे विचार में कोई असन्तोष नहीं है। प्रत्युत संतोष की ही भावना है ।

†**श्री यादव** : गन्ने की प्रति टन क्या कीमत निर्धारित की गई है ?

†**श्री मो० वे० कृष्णप्पा** : कीमत १ रुपया ५ आना प्रति टन है और फैक्टरी तक पहुंचाने पर १ रुपया ७ आना प्रतिटन है ।

†**श्री हेडा** : क्या सरकार समूचे देश में 'सीस्मा' सिद्धान्त अथवा उसका कोई संशोधित रूप प्रयुक्त करने पर विचार कर रही है और उस स्थिति में वसूली विभिन्न अवधियों के लिये अथवा पूरे मौसम के लिये होगी ?

†**श्री मो० वे० कृष्णप्पा** : यह नाम स्वयं इस बात का द्योतक है कि 'सीस्मा' सिद्धान्त केवल दक्षिण भारत के लिये है— साउथ इण्डियन शुगर मैनुन्युफैक्चर्स एसोसियेशन फार्मूला। उत्तर भारत के लिये पृथक है ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं है कि जब श्री किदवई जीवित थे तो उन्होंने इस उद्योग के सभी हितों की उपस्थिति में यह वचन दिया था कि वह साधारण रूपभेद के साथ सीस्मा फार्मूला समूचे भारत में लागू करेंगे । इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : एक समनुवर्ती फार्मूला शेष भारत के लिये निश्चित किया गया है और उसे क्रियान्वित किया जा रहा है ।

†**श्री झुनझुनवाला** : इस कीमत में कृषक का कितना लाभ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ०प्र० जैन** : उत्पादन लागत के आंकड़े अभी मालूम नहीं किये हैं। विभिन्न राज्यों में गन्ने का लागत मूल्य मालूम करने के लिये १९५४ में एक योजना बनाई गई थी। यह तभी से क्रियान्वित हो रही है किन्तु अभी इतना समय नहीं हुआ है कि निश्चित आंकड़े मालूम किये जा सकें।

†**श्री तंगामणि:** क्या 'सीस्मा' फार्मूला दक्षिण भारत के गन्ना उत्पादकों पर पूर्ण रूपेण लागू किया जा रहा है ?

†**श्री मो० वे० कृष्णप्पा** : जी हां, यह लागू किया जा रहा है।

श्री सिंहासन सिंह : जो सरकारी फार्म हैं, जिन पर कि ईख बोई जाती है, उन पर कास्ट आफ प्रोडक्शन की जो दर है, क्या सरकार ने उसका अनुमान लगाया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : लागत मालूम करने का प्रश्न किसानों के खेतों में सम्बन्धित है। और यह योजना कृषकों के खेतों में उत्पादन लागत के निर्धारण पर आधारित है।

श्री सिंहासन सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने अपने फार्मों पर कितना अनुमान लगाया है। सरकार के अपने फार्मों पर कास्ट आफ प्रोडक्शन तो कम होना चाहिये। क्या उसने कभी इसका अनुमान लगाया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : वे प्रदर्शन हेतु अथवा प्रयोगात्मक फार्म हैं। वे पूरी तरह व्यवसायिक फार्म नहीं हैं।

बकिंघम नहर

†*४५३. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २८ नवम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकिंघम नहर को चौड़ी कर उसमें मोटर लाञ्च चलाने से सम्बन्धित प्रस्ताव का मद्रास और आंध्र सरकारों द्वारा टेक्नीकल अनुसंधान कर लिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इसका परीक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो निर्णय का क्या स्वरूप है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) आंध्र सरकार ने टेक्नीकल जांच पूरी कर ली है, मद्रास सरकार ने अभी नहीं की है।

(ख) मद्रास सरकार की भी रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसका परीक्षण किया जायेगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या टेक्नीकल अनुसंधान ४५१ मील लम्बी नहर की पूरी लम्बाई के बारे में किया जा रहा है जो काकिनाडा से आरम्भ होकर मद्रास से भी आगे जाती है अथवा यह केवल विजयवाडा और मद्रास के बीच की नहर तक सीमित है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : प्रारम्भ में यह अनुसंधान केवल बकिंघम नहर के बारे में है। यह ४५१ मील नहीं प्रत्युत २६५ मील है। यह कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में किसी अन्य नहर से जा मिलती है। यह जांच बकिंघम नहर से मद्रास के उत्तरी भाग में १९६ मील और मद्रास के दक्षिण में ६४ मील है। इन दोनों अंशों का परीक्षण किया जा रहा है।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मद्रास सरकार द्वारा जांच में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ? क्या यह जांच आजकल की जा रही है अथवा क्या मद्रास सरकार ने अभी जांच आरम्भ नहीं की है ?

श्री हुमायूं कबीर : यह विषय मद्रास और आंध्र सरकारों से निर्देश किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन फरवरी में प्राप्त हुआ था। मद्रास सरकार को बता दिया गया है कि उनका उत्तर प्राप्त होने तक पूरा प्रश्न रोक दिया है।

†**श्री त० व० विट्ठल राव** : मैं वह भाग जानना चाहता हूं जिसकी मद्रास सरकार टेक्नीकल जांच कर रही है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : यह मद्रास राज्य के अन्तर्गत है।

†**श्री पट्टाभिरमन** : क्या इस परियोजना के महत्व को देखते हुए केन्द्रीय सरकार इसमें रुचि ले रही है ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : यदि केन्द्रीय सरकार इस योजना में रुचि नहीं लेती तो टेक्नीकल जांच आरम्भ नहीं हो सकती थी। टेक्नीकल जांच के सम्पूर्ण व्यय की पूर्ति केन्द्रीय सरकार ने की है।

†**श्री पट्टाभिरमन** : क्यों नहीं ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : मैंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार रुचि ले रही है और हमने टेक्नीकल जॉच के लिय निधि का उपबन्ध किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मद्रास सरकार विलम्ब कर रही है। मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या भारत सरकार की यह नीति नहीं है कि देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था में सुधार किया जाए; और यदि हां, तो क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भी अवधि में यह योजना कार्यान्वित की जायगी ?

†**श्री पट्टाभिरमन्** : केन्द्र द्वारा।

†**श्री हुमायूं कबीर** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसे लागू करने की आशा है; और एक अत्यन्त विस्तृत कार्यक्रम पहिले से ही विचाराधीन है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या यह सच नहीं है कि इस नहर का जो हिस्सा मद्रास राज्य में है उसकी लम्बाई केवल ३५ मील है; और यदि हां, तो केवल इन ३५ मीलों की जांच के लिए ही नहर का काम क्यों रोका जाये ?

†**श्री हुमायूं कबीर** : मेरे विचार में यह जानकारी गलत है। मद्रास राज्य में नहर का भाग उत्तर की ओर ३६ मील और मद्रास नगर के दक्षिण में ६४ मील है।

†**श्री रंगा** : इस बात को देखते हुए कि यह विशिष्ट विभाग जिन भूतपूर्व मंत्री महोदय के अधीन था उन्होंने निजी रूप से इस कार्य में जो दिलचस्पी ली केवल उसी के कारण ही इतनी सी प्रगति हुई है क्या मंत्री महोदय मद्रास के मुख्य मंत्री की दिल्ली यात्रा से लाभ उठा कर यह देखने की कृपा करेंगे कि इस मामले में जल्दी की जाती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मद्रास राज्य के मुख्य मंत्री शीघ्र ही राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के सम्बन्ध में यहां आ रहे हैं।

---

†भूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : वह यहां हैं ।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं, वह चले गए हैं । यदि माननीय सदस्य की यही इच्छा है तो जब वह पुनः दिल्ली आयेंगे में उन से निजी बातचीत कर लूंगा ।

अजमेर जैसलमेर रेलवे लाइन

***४५४. श्री प० ला० बारूपाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर, मेड़ता, श्री कोलायतजी, और जैसलमर के बीच रेलवे लाइन बिछाने की क्या क़ोई योजना है ;

(ख) यदि हां तो वह कब तक कार्यान्वित होगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करना चाहती है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ग) . जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या सरकार को मालूम है कि मेड़ता और अजमेर के बीच कुल १८ मील का फासला है, लेकिन जोधपुर और बीकानर के यात्रियों को मेड़ता और फुलेरा होकर अजमेर जाना पड़ता है ; जिससे उन का धन और समय दोनों बरबाद होते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : हां, मालूम है, लेकिन सरकार इस वक्त कुछ करने से मजबूर है ।

मत्स्यग्रहण–पत्तन*

†*४५५. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री कोडियान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के क्विलोन ज़िले में नीनडाकरा स्थान पर एक मत्स्यग्रस्हण-पत्तन का विकास करने के लिए सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नीनडाकरा में एक मत्स्यग्रहण-पत्तन के स्थिति-निश्चयन के सम्बन्ध में भारत सरकार के किसी विशेषज्ञ द्वारा विस्तृत रूप से कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उसके प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव यह है कि नीनडाकरा के निकट अष्टमुदी झील का मुहाना खुला और सभी बेला परिस्थितियों में नौतार्य रखा जाए । मुहाने पर जमा होने वाली रेत आदि को हटाने जैसी प्रविधिक समस्याओं के सम्बन्ध में अभी तक परीक्षण किए जा रहे हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) परीक्षण किये जा रहे हैं और अभी कोई अन्तिम प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Fishing Harbour

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय उपमंत्री ने जिन कामों को बताया है उनका कुल खर्च कितना है ?

†**श्री अ० म० थामस** : ६०,५१० रुपये की रकम की मंजूरी दी गई है और इसमें से ४०,००० रुपये भारत नार्वे परियोजना द्वारा खर्च किए जायेंगे ।

†**श्री वे० प० नायर** : क्या उपमंत्री को मालूम है कि वहां जिस ड्रेजर से काम लिया जा रहा था उस ने एक दिन से अधिक काम नहीं किया था और सारा काम रुक गया था ?

†**श्री अ० म० थामस** : जिस ड्रेजर को इस्तैमाल किया गया था वह लोक निर्माण विभाग का था । परन्तु प्रयोग असफल रहा । अब हमने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा की जाने वाला गवेषणा के परिणामों की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया है ।

हिन्दी में डाक की रसीदें

*४५६. **श्री म० ना० सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा इत्यादि करवाते समय दी जाने वाली रसीदें हिन्दी भाषा-भाषी सारे राज्यों में हिन्दी में उपलब्ध कराई जायेंगी और यदि हां, तो कब ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : इन रसीदों का हिन्दी-अनुवाद प्रारम्भ कर दिया गया है । अनुवाद के लिए पहिले-पहल चुनी गयी १७ रसीदों में से ४ फार्मों का हिन्दी-अनुवाद हो चुका है; इन्हें शीघ्र ही छापा जाकर उपलब्ध किया जायेगा ।

श्री म० ना० सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो रसीदों का अनुवाद हो रहा है यह कब तक खत्म हो जायेगा और इसमें इतनी ज्यादा देर क्यों लग रही है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम दो हजार के करीब फार्म ऐसे हैं जिनका अनुवाद करना है । इनमें से जनता के इस्तेमाल के फार्मों का जब पता लगाया गया तो उनकी संख्या ८२ निकली । ८२ में से आठ का अनुवाद हो चुका है और उनको छापा जा चुका है और बांटा भी जा चुका है । चार रसीदों का अनुवाद हो चुका है और वे आजकल प्रिंटिंग में हैं । यह सब कुछ करने के पहले हमको मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन से परामर्श करना पड़ता है । हमें ए० जी० पी० एण्ड टी० की स्वीकृति भी लनी होती है और साथ साथ मिनिस्टरीज आफ ला और फाइनेंस से भी परामर्श करना पड़ता है । तब जाकर कुछ काम हो सकता है और इसलिए देरी लगती है ।

श्री म० ना० सिंह : ये जो जनता के काम की रसीदें हैं, उनका जो चुनाव हुआ है यह किस आधार पर हुआ है ? जिन स्टेट्स में हिन्दी चालू हो गई है उनके लिए खास तौर पर सभी को क्यों नहीं चुना गया है ताकि हिन्दी को तरक्की मिले और हिन्दी चालू हो जाए ?

श्री राज बहादुर : डाकखानों के अन्दर जो फार्म इस्तेमाल होते हैं उनकी इतनी जल्दी नहीं है जितनी कि उनकी जो कि पब्लिक के काम में आते हैं । इसलिए पब्लिक के काम आने वाले फार्मों को पहले लिया जा रहा है ।

†**श्री नारायणन्कुट्टि मेनन** : क्या मंत्री महोदय अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के ये फ़ार्म न भेजने के प्रश्न विचार करेंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के लिए हम हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही, द्विभाषी फ़ार्म दे रहे हैं ताकि सम्बन्धित लोगों को कोई असुविधा न हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारी

†*४५८. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या छुट्टी, पी० टी० ओ० तथा पास देने के मामले में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बीच भेदभाव दूर करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों के बीच छुट्टी के मामले में विभेद करना अब बन्द कर दिया गया है ।

जहां तक तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीवृन्द को पी० टी० ओ० तथा पास देने का सम्बन्ध है, उन में विभेद नहीं किया जाता है ।

जहां तक उन्हें निवृत्त होने के बाद "सैट्लमैंट" तथा "ट्रांसफर" पास देने का सम्बन्ध है, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में कुछ विभेद है और इस समय उसे दूर करने जैसी कोई बात नहीं है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वेतन श्रेणी में परिवर्तन करने की कोई योजना है ?

†**श्री शाह नवाज खां** : जी नहीं ;

आसाम रेल सम्पर्क

†*४५९. { **श्री बर्मन** :
श्री लीलाधर कटाकी :
श्रीमती मंजुला देवी :

क्या रेलवे मंत्री १३ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेल वे में आसाम रेल सम्पर्क द्वारा सामान तथा यात्रियों के परिवहन के सम्बन्ध में १९५६-५७ में क्या सुधार किए गए हैं;

(ख) क्या आसाम रेल सम्पर्क स्थायिकरण समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ? **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ख) तथा (ग) जी हां । प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

†**श्रीमती मंजुला देवी** : आसाम में सामान ले जाने के लिए आसाम रेलवे लाईन में रखे गए माल-गाड़ी के डिब्बों की संख्या कितनी है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यदि माननीय सदस्या यह जानना चाहती हैं कि प्रतिदिन औसतन कितने मालगाड़ी के डिब्बे लाइन पर चलते हैं, तो मैं यह बता सकता हूं । परन्तु जहां तक लाइन पर रखे गए कुल डिब्बों की संख्या का सम्बन्ध है, मुझे इस प्रश्न के लिए पूर्व सूचना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनायन** : क्या माननीय रेलवे मंत्री को मालूम है कि आसाम रेल सम्पर्क पर मनिहारी और सकरीगली घाट की इस समय जो दशा है उसको देखते हुए उस लाइन पर यात्रा करना दुश्वार हो गया है ? यदि हां, तो क्या वहां की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : जब कभी भी एक रेलवे से दूसरी रेलवे पर जाना पड़ता है या किसी नदी को पार करना पड़ता है तो असुविधा होती है। माननीय सदस्य को मालूम ही होगा मोकामह में गंगा नदी पर पुल बनाया जा रहा है।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि आसाम रेल सम्पर्क वर्षा ऋतु में पानी भर जाने के कारण टूट फूट जाती है, क्या सरकार समिति की सिफ़ारिश के अनुसार, कोई वैकल्पिक रेलवे लाइन बनाने का विचार कर रही है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और इस पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री अमंजद अली** : रेलवे मंत्री ने कहा है कि वे समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं। क्या समिति की सिफ़ारिश यह भी है कि इस रेलवे लाइन के स्थायित्व के लिए एक वैकल्पिक लाइन निर्मित की जाये ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, हां ; ऐसी एक सिफारिश है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने वाली है और फिर गाड़ियों का आना जाना रुकेगा क्या मैं जान सकती हूं कि इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

†**श्री जगजीवन राम** : जैसा कि मैंने सदन में आयव्ययक सम्बन्धी वाद विवाद के दौरान में कहा था, एक अनुभवी पदाधिकारी केवल इसी कार्य के लिये वहां पर नियुक्त है और वर्षा ऋतु के तुरन्त ही बाद स्थायीकरण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुये कि रेलवे की असुविधाओं के कारण माल की कीमतों आदि में राज्य को हानि होती है, क्या सरकार का शीघ्रता से काम पूरा करने का विचार है ? इन १९ वर्षों में अनाज तथा अन्य वस्तुओं के दाम वहां जितने अधिक से अधिक हो सकते हैं इतने अधिक हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : मेरे विचार से आसाम कमी वाला क्षेत्र नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है। हम वर्षा ऋतु के तुरन्त ही बाद रेलवे लाइन के स्थायीकरण के प्रश्न पर कार्यवाही करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या इस काम को शीघ्रता से पूरा किया जायेगा ?

†**श्रीमती मंजुला देवी** : इस वैकल्पिक लाइन को कब निर्मित करने का प्रस्ताव है ?

†**श्री जगजीवन राम** : अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इसे कब शुरू किया जायेगा और पूरा किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्य कार्यालय

*४६१. { श्री सिंहासन सिंह :
श्री महादेव प्रसाद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर में जहां पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्य कार्यालय है, जनरल मैनेजर के कार्यालय के लिये एक नया वातानुकूलित भवन बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो नया भवन बनाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उस भवन की लागत क्या है, और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क), (ख) और (ग). शुरू में एक आंशिक वातानुकूलित इमारत बनाने की मंजूरी दी गई थी, जिसकी अनुमानित लागत ४७,१५,२१५ रुपये थी। अब यह फैसला किया गया है कि नयी इमारत का आकार बहुत छोटा कर दिया जाये। नयी इमारत इन कारणों से बनायी जा रही है :—

(१) मौजूदा दफ्तर छोटी रेलवे के लिये काफ़ी था। लेकिन यह उस बड़ी रेलवे के प्रधान कार्यालय के लिये काफ़ी नहीं है, जो अब बनाया गया है।

(२) इस समय दफ्तर कई जगहों में बिखरे हुए हैं, जिससे काम में देरी और कठिनाई होती है।

श्री सिंहासन सिंह: : मैं यह जानना चाहता हूं कि अब इस बिल्डिंग पर कितना रुपया खर्च किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अभी इसका कोई अन्दाजा देना मुश्किल होगा। जैसा मैंने उस दिन कहा कि जब मैंने देखा कि उस बिल्डिंग की आधारशिला रखी जा चुकी है तो मैंने खुद ही कहा कि इसको रोक दो। अब जो छोटी बिल्डिंग कहां बनेगी उस पर कितने लाख रुपया खर्च होगा इसका अन्दाज़ा में इस वक्त नहीं दे सकता हूं।

†श्री भट्टाचार्य : क्या यह सच नहीं है कि जब कार्यालय कलकत्ता से गोरखपुर ले जाया गया था तब यह आश्वासन दिया गया था कि दफ्तर के लिये किसी नई इमारत की आवश्यकता नहीं होगी ?

†श्री जगजीवन राम : मुझे इस आश्वासन का स्मरण नहीं है। परन्तु रेलवे का विकास हो रहा है और जब कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है तो हमें अधिक इमारतों की आवश्यकता होती है।

†श्री भट्टाचार्य : स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी आयंगर द्वारा जो आश्वासन दिया गया था क्या माननीय मंत्री उस पर कायम रहेंगे ?

†श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैंने कहा है यदि आश्वासन दिया भी गया था तब भी माननीय सदस्य को वास्तविकताओं को नहीं भूलना चाहिये। रेलवे का विकास हो रहा है और जब कर्मचारीवृन्द की संख्या में वृद्धि होती है तब हमें कार्यालय तथा कर्मचारीवर्ग के लिये अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता भी होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अकबरपुर-फैजाबाद रेलवे लाइन

*४६२. **श्री पन्नालाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अकबरपुर-फैजाबाद रेलवे लाइन बनाने का काम कब आरम्भ किया जायेगा ;

(ख) यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : अकबरपुर और फैजाबाद के बीच रेलवे लाइन पहले से मौजूद है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

श्री रघुनाथ सिंह : अकबरपुर और फैजाबाद के बीच तो पहले ही रेलवे लाइन है । यह सवाल अकबरपुर और टांडा के बीच के लिये रेलवे लाइन के बारे में था । यह .....

श्री पन्नालाल : मैं कहना .....

†**अध्यक्ष महोदय** : एक ही समय में दोनों नहीं ।

†**श्री पन्नालाल** : मैं जानना चाहता हूं कि अकबरपुर और टांडा के बीच रेलवे लाइन कब बनेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यह सवाल तो यहां पर नहीं है । लेकिन जहां तक मैं समझता हूं टांडा का कोई चांस अभी नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : अकबरपुर और टांडा के बीच वार से पहले रेलवे लाइन थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि उसको आप रेस्टोर करने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री जगजीवन राम : मैंने जैसे पहले कहा कि मालूम ऐसा होता है कि उसमें जितना खर्च लगेगा उतना उसकी रिटर्न और उपयोगिता नहीं होगी ।

†**श्री राधा रमण** : क्या मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित कर सकता हूं ? आज की प्रश्न-सूची में एक प्रश्न संख्या ४८८ दिल्ली निगम के बारे में है और म आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसका उतर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : उसे २९ मई, १९५७ की प्रश्न-सूची में रख दिया गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकरी-हसनपुर रेलवे लाइन

†४३६. **श्री नारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा जिले में पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर-मान्सी शाखा पर सरकरी रेलवे स्टेशन से या दरभंगा जयनगर लाइन से हसनपुर रेलवे स्टेशन तक एक नई रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने निर्णय पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में संसाधनों की सीमित प्राप्यता के कारण परियोजना को इस योजना अवधि में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

भोपाल को रेलवे लाइन

*४५७. **श्री जांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के दूरस्थ नगरों और जिला केन्द्रों को भोपाल से रेल द्वारा सीधा मिलाने और कम समय में यात्रा की सुविधा देने के लिये क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या सुझाव दिया है ;

(ग) क्या किसी और से भी कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(घ) उनको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). सूचना मंगाई जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सार्वजनिक टेलीफ़ोन घर

†*४६०. **श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिये सरकार द्वारा किन सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता है ; और

(ख) कितने मामलों में इस प्रकार के सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया है और उसका कारण क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) निम्न आधारों पर सार्वजनिक टेलीफोन घरों की मंजूरी दी जाती है और उन्हें खोला जाता है :—

(१) सभी प्रस्ताव जिन में विभाग को कोई हानि अन्तर्ग्रस्त न हो ;

(२) यदि हानि अन्तर्ग्रस्त हो तो वे जिन की गारंटी दी गई हो ;

(३) ज़िला, परगना सदर मुकाम और तहसील सदर मुकाम स्थानों पर और ऐसे स्थानों पर भी जहां की जनसंख्या २०,००० से कम न हो सीमित हानि के आधार पर ।

ऊपर जिस नीति को बताया गया है वह सभी स्थानों पर, जिन में राजस्थान के स्थान भी हैं, लागू होती है ।

(ख) जहां तक सरकार को मालूम है कोई भी नहीं ।

रमपल्ली में गाड़ी का ठहराव (हाल्ट)

†*४६३. **श्री दोरा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलूर और बोबली के बीच रमपल्ली स्टेशन पर सवारी गाड़ियों को ठहराने के लिय कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

वातानुकूलित जनता गाड़ी

†*४६४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वातानुकूलित दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रैस गाड़ियों में यात्रियों की काफ़ी संख्या होती है ; और

(ख) क्या काज़ीपेट में हैदराबाद जाने के लिये इससे किसी मिलाने वाली गाड़ी की व्यवस्था भी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) प्रारम्भ में इन गाड़ियों में बहुत कम यात्री सफर करते थे पर अब उनकी संख्या बढ़ रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

खाद्य उत्पादन

†*४६५. **श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिन सिंचाई सम्बन्धी परियोजनाओं को पूरा किया गया था उनके अन्तर्गत सींचे गये क्षेत्रों से खाद्य उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या सभी प्राप्य जल संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग किया जा चुका है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) प्रथम योजना के अन्तर्गत सिंचाई सम्बन्धी परियोजनाओं के अधीन सींचे गये क्षेत्र से उत्पादन में लगभग २८ लाख टन की वृद्धि होने का अनुमान है ।

(ख) जी, नहीं ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर गाड़ियों का बन्द किया जाना

†*४६६. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के आसाम सर्कल में मरियानी स्टेशन से लुमाडिंग तक रात्रि-गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस गाड़ी के बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप यात्रा करने वाली जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) क्या सैनिक पहरेदारों की मार्ग रक्षा में रात्रि-गाड़ियों का चलना फिर से शुरू करना संभव न होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) केवल लुमडिंग-फ़र्केटिंग खण्ड पर ही रात को गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया है ।

(ख) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ; परन्तु गाड़ियों के न चलने से असुविधा अवश्य ही हो रही होगी ।

(ग) ऐसा करना उचित नहीं समझा जाता है ।

उत्तर प्रदेश में गुड़ का भाव

*४६७. **श्री रूप नारायण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में गुड़ का भाव काफी गिरता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ;

(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गुड़ का वर्तमान भाव बता सकती है ; और

(घ) क्या सरकार गुड़ के भाव को स्थिर करने के लिये किसी उपाय पर विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (घ). एक विवरण सभा की टेबल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २४]**

हीराकुड बांध परियोजना के चिपलिया स्थान पर सहायक बांध

†*४६८. **श्री सुपाकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुड बांध परियोजना के चिपलिया स्थान पर सहायक बांध के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) सहायक बांध से किस तिथि तक बिजली मिलने लगेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें हीराकुड सहायक बांध बिजली घर परियोजना के निर्माण में ३० अप्रैल, १९५७ तक हुई प्रगति बताई गई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ख) १९६१ तक ।

आन्ध्र को वित्तीय सहायता

†*४७०. **श्री बाली रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ की अवधि में भूमि संरक्षण तथा अधिक अन्न उगाओ योजनाओं के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितना ऋण तथा अनुदान मांगा गया ; और

(ख) इन योजनाओं के लिये वस्तुतः कितनी राशियों की स्वीकृति दी गई ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) तथा (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २६]**

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में खाद्य स्थिति

४७१. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि त्रिपुरा में उचित मूल्य वाली दुकानों पर चावल का कोटा कम करके हाल ही में २½ सेर प्रति व्यक्ति कर दिया गया जब कि पहले यह ३½ सेर प्रति व्यक्ति था और चावल की कीमत १८ रुपये प्रति मन नियत कर दी गई है जब कि पहले दाम १५ रुपये प्रति मन था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसा प्रस्ताव है कि पहले की भांति कोटा ३½ सेर प्रति व्यक्ति और चावल की कीमत १५ रुपये प्रति मन कर दी जाये ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) तथा (ख). त्रिपुरा में उचित मूल्य वाली दुकानों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बेचे जाने वाले चावल की मात्रा में हाल ही में कोई कमी नहीं की गई है। प्रत्येक वयस्क के लिये प्रति दिन का अनुपात १२ औंस है और यह सितम्बर, १९५६ से चला आ रहा है।

त्रिपुरा में उचित मूल्य वाली दुकानों से दिये जाने वाले चावल का सामान्य दाम १७ रुपये ८ आने प्रति मन था। इसे पिछले वर्ष बाढ़ के बाद अस्थायी रूप से कम करके १५ रुपये प्रति मन कर दिया गया था। हाल ही में इसे बढ़ा कर १८ रुपये प्रति मन कर दिया गया है जिसे कि त्रिपुरा में और पूर्वी पाकिस्तान के पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में वर्तमान कीमतों को देखते हुये उचित ही समझा जाता है।

पश्चिम रेलवे की गाड़ियों में भीड़

†*४७२. **श्री याज्ञिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गुजराती समाचापत्रों में प्रकाशित होने वाले इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है जिनमें यह शिकायत की गई है कि महागुजरात, अर्थात् गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों से यात्रियों को लाने ले जाने वाली पश्चिम रेलवे की सभी रेलगाड़ियों विशेषत: मीटर लाईन खंड की रेलगाड़ियों में अति भीड़ होती है ; और

(ख) क्या सरकार मीटर लाइन खण्ड में रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ायेगी तथा वर्तमान गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) डाक तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि वे अधिक से अधिक जितना लोड इस समय ले जाया जा सकता है उतना ले जा सकें। गाड़ियों की प्राप्यता तथा यातायात की परिमा के अनुसार भीड़ के समय विशेष गाड़ियों का भी प्रबन्ध किया जाता रहा है।

अतिरिक्त डिब्बों के प्राप्य होने और सैक्शन की क्षमता बढ़ने पर गाड़ियों में और अधिक डिब्बे लगाये जायेंगे और अतिरिक्त गाड़ियां भी चलाई जायेंगी।

---

† मूल अंग्रेजी में

असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ

*४७३. { **श्री कोडियान** :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री वारियर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ ने सरकार को एक मांग पत्र[3] प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मांगों पर विचार किया है और उन पर कोई निर्णय किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) जी, हां ।

(ख) संघ के प्रतिनिधियों के साथ असैनिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक ने १४ तथा १५ मई, १९५७ को मांगों पर विचार किया था और प्रत्येक मांग के सम्बन्ध में उन्हें स्थिति समझा दी गई थी ।

विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन

†*४७४. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा स्टेशन को नया रूप देने के लिये योजनायें पूरी कर ली गई हैं ;

(ख) काम कब तक पूरा किया जायेगा ; और

(ग) क्या योजनाओं में कोई परिवर्तन हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) विजयवाड़ा स्टेशन को नया रूप देने के लिये योजनायें पूरी कर ली गई हैं ।

(ख) आशा है कि स्टेशन की इमारत का काम १९५९ में पूरा कर लिया जायेगा ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सामान के परिवहन में प्रत्याशित अग्रेतर वृद्धि को पूरा करने के लिये यार्ड (विशेष रूप में मार्शलिंग यार्ड) सम्बन्धी योजना में परिवर्तन आवश्यक समझा गया । योजनाओं में परिवर्तन किया जा रहा है ।

रेलवे कर्मचारियों का मुअत्तिल किया जाना

†*४७५. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **रेलवे** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे रेलवे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो अभी तक मुअत्तिल हैं और जिनके सेवा-अभिलेखों (सर्विस रेकर्ड्स) की जांच की जा रही है ; और

(ख) उनके मामलों का अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की आशा है ?

---

† मूल अंग्रेजी में
3Charter of Demands.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) तथा (ख). १३ कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया था और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अभी तक की जानी है और वे मुअत्तिल हैं। ३ मुअत्तिल कर्मचारियों को अभी दोषमुक्त किया गया है और निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है और उन्हें काम पर वापस नहीं लिया गया है। यह बताना संभव नहीं है कि विभागीय कार्यवाही कब तक पूरी तरह से हो जायेगी।

कालीघाट–फाल्टा रेलवे

†*४७६. **श्री घोषाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल, १९५७ से सरकार ने कालीघाट-फ़ाल्टा लाइट रेलवे को अपने अधिकार में ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रबन्धक अभिकर्ता मैसर्स मकलियोड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों को सेवा में कोई विघ्न आये बिना रेलवे कर्मचारी मान लिया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रबन्धक अभिकर्ता मेसर्स मकलियोड एण्ड कम्पनी द्वारा भूतपूर्व कालीघाट-फ़ाल्टा रेलवे के कर्मचारियों के रूप में जिन लोगों के नाम दिये गये थे और जिन्हें समुचित वर्गों के लिए उपयुक्त देखा गया था उन सभी व्यक्तियों को पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे में भारत सरकार द्वारा नौकरियां पेश की गई हैं। क्योंकि कर्मचारियों द्वारा कम्पनी के अधीन की गई पिछली नौकरी के सम्बन्ध में दायित्वों के लिये कम्पनी ही उत्तरदायी होगी इसलिये इन नियुक्तियों को सरकार के अधीन अवश्य ही नया समझना होगा।

मंडुवाडीह में रेलवे वर्कशाप

*४७७. **श्री सरजू पांडे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस के पास मंडुवाडीह में जो रेलवे वर्कशाप स्थापित की जाने वाली है, उसके निर्माण के लिये कितने एकड़ भूमि ली गई है ;

(ख) भूमि के अर्जन का वहां कितने कृषक परिवारों पर असर पड़ेगा ;

(ग) क्या प्रतिकर बाजार भाव पर दिया जायेगा अथवा सरकार द्वारा तय की गई दर पर; और

(घ) रेलवे प्रशासन उन कृषकों को रोजगार दिलाने के लिये क्या प्रबन्ध करेगा जिनकी भूमि इस काम के लिये ली जायेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) लगभग ३५० एकड़ ज़मीन ली जा रही है।

(ख) इसकी सूचना अभी नहीं मिली है।

(ग) नियमों के मुताबिक हर्जाने की दर राज्य के राजस्व अधिकारी तय करते हैं।

(घ) खाली जगहों के लिये इश्तहार निकाले जायेंगे और वहां के लोगों को रोजगार का अच्छा मौका मिलेगा।

---

† मूल अंग्रेजी में

डेहरी-ऑन-सोन में सड़क एवं रेल पुल

†*४७८. { **श्री कमल सिंह** :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेहरी-ऑन-सोन स्थान पर सोन नदी पर सड़क एवं पुल के सम्बन्ध में एक योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ;

(ग) पुल का प्राक्कलित परिव्यय क्या है ; और

(घ) यह कार्य कब तक शुरू किया जायेगा और कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

† **रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) रेलवे मंत्रालय के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डैक यात्री टिकट

†*४७९. { **श्री कुमारन** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री टांटिया :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास और सिंगापुर के बीच चलने वाले जहाजों के सम्बन्ध में डैक यात्री टिकटों में चोरबाज़ारी की शिकायतों की जांच करने के लिये भारत सरकार का जो निरीक्षक भेजा गया था उसने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) मद्रास-सिंगापुर मार्ग पर चलने वाले जहाजों में टिकटों की चोरबाज़ारी रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) मद्रास के डैक-यात्री कल्याण पदाधिकारी के प्रतिवेदन का सारांश सभा-पटल रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २६ क**]

(ग) मद्रास सिंगापुर के बीच चलने वाले जहाज़ों में चोर बाज़ारी को रोकने के लिये ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन ने मनीआर्डर द्वारा पहले से बुकिंग करने का एक तरीका लागू किया है । ब्रिटिश-इंडिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने भी भारतीय पत्तनों तथा मलाया के पत्तनों में यही व्यवस्था लागू की है और इसके अतिरिक्त इस कम्पनी ने बुकिंग के लिये पंजीयन की व्यवस्था भी प्रारम्भ की है । अग्रेतर कार्यवाहियां भी विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुदुरई में स्वचालित टेलीफ़ोन एक्सचेंज

†*४८०. **श्री तंगामणि:** क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरई में स्वचालित टेलीफ़ोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) इमारत के निर्माण का कार्य इस वर्ष शरू किया जायेगा स्वचालित उपकरण के लिये आर्डर पहिले ही दिया जा चुका है ।

रेलवे पुलों का परीक्षण करने के लिये समिति

†*४८१. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री प्रभात कार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में रेलवे पुलों की स्थिति का परीक्षण करने के लिये उन्होंने समिति स्थापित की है ; और

(ख) क्या वर्षा ऋतु के प्रारम्भ से पूर्व अपना काम समाप्त करना इस समिति के लिये सम्भव होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयला परियोजना

†*४८२. **श्री अस्सर :**
श्री सोनावने :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कोयना परियोजना के सम्बन्ध में अब तक क्य प्रगति की गई है ;

(ख) परियोजना के कब तक पूरी होने की संभावना है ;

(ग) अब तक परियोजना पर कितना रुपया खर्च हो चका है ;

(घ) क्या यह सच है कि परियोजना के पूरा होने पर सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें भी दी जायेंगी ; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक कितने एकड़ भूमि को सिंचाई के अधीन लाया जा चका है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) से (ङ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २७**]

बरासेट—बसीरहाट लाइट रेलवे

†*४८३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के मुख्य प्रबन्धक द्वारा भूतपूर्व बरासेट-बसीरहाट लाइट रेलवे की बड़ी लाइन का निर्माण कार्य बन्द करा दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) काम बन्द कराने से पहले क्या उन्होंने इससे पहले पश्चिमी बंगाल सरकार को निर्देश किया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो काम फिर से शरू किया जायेगा और किस तारीख तक ऐसा होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) प्राक्कलन तथा परियोजना प्रतिवेदन विचाराधीन थे। इस परियोजना के निर्माण के लिये प्राक्कलन की मंजूरी अब २०-५-१९५७ को दे दी गई है।

(ख) से (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विशाखापटनम में माल डिब्बे जोड़ने का कारखाना

†*४८४. **श्री रा० ज० राव**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम के मालगाड़ी के डिब्बे जोड़ने के कारखाने में काम होना शुरू हो गया है ; और

(ख) वहां पर जोड़े जाने वाले मालगाड़ी के डिब्बों की कुल संख्या कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) ८,८००।

कृषि-कार्यक्रम

†*४८५. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ५ सितम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १७८३ के एक अनपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में, जोकि कृषि आयोजन तथा प्रविधियों के लिये चीन गये भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रतिवेदन को लागू करने से सम्बन्धित था, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकारें अपने आर्थिक कार्यक्रमों में प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गई सिफारिशों को पूरी तरह से समाविष्ट कर रही हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : प्रतिनिधिमंडल के निष्कर्ष साधारणत्या सिफारिश के रूप में हैं और जिस सीमा तक वे राज्य सरकारों के पर्यालोकन के अन्तर्गत आते उन से कहा गया है कि अपने आर्थिक कार्यक्रमों को बनाते समय वे उनका भी ध्यान रखें।

रेलवे लाइनों का टूटना

†*४८६. **श्री उमराव सिंह** :
श्री ह० प्र० सिंह :
श्री कालिका सिंह :

क्या रेलवे मंत्री १५ नवम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८ के भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ में पूर्वोत्तर रेलवे की जिस रेलवे लाइन को बाढ़ से हानि पहुंची थी उसके सम्बन्ध में कौन सी अतिरिक्त जल पथ तथा बाढ़ सुरक्षा कार्यवाहियां की गई थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें रेलवे द्वारा की गई या उसके विचाराधीन अतिरिक्त जलपथ तथा बाढ़ सुरक्षा कार्यवाहियां बतलाई गई हैं। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८**]

अनाज का एक राज्य को दूसरे राज्य में ले जाया जाना

†*४८७. { **श्री रा० चं० माझी** :
श्री सरजू पांडे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में अनाज के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाये जाने पर पाबन्दी लगाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और पाबन्दी का कारण क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) तथा (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है। [**देखियें परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९**]

तोंस नदी पर राष्ट्रीय राजपथ पुल

†*४८९. { **श्री कालिका सिंह** :
श्री उमराव सिंह :
श्री ह० प्र० सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मौ तथा कोयागंज के बीच बनारस-गाज़ीपुर-गोरखपुर मार्ग पर तोंस नदी पर और गोमती नदी पर जहां वह गंगा में जा कर मिलती है राष्ट्रीय राजपथ पुलों को वर्षा ऋतु के प्रारम्भ से पहले पूरा नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या बनारस और दोहरीघाट के बीच सड़क को, जो कि उपरोक्त राष्ट्रीय राजपथ का एक भाग है, बाढ़ द्वारा जल प्लावित होने से बचाने के लिये कई स्थानों पर ऊंचा किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने से पूर्व यह काम समाप्त होने की आशा है ; और

(घ) गांवों को बाढ़ द्वारा जल प्लावित होने से बचाने के लिये तेज़ी से आने वाले पानी को निकालने के लिये नये नालों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** :(क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ;

(घ) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय फल उत्पाद मंत्रणा समिति

४९०. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय फल उत्पाद मंत्रणा समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है ;

(ख) क्या समिति ने इस सम्बन्ध में अपने सुझाव व सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनकी प्रमुख बातें क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने उन पर विचार करने के बाद कोई निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां, अप्रैल १९५६ से।

(ख) जी हां ।

(ग) से (ङ) उसकी सिफारिशों और उस पर की गई कार्यवाहियों का एक विवरण सभा की टेबिल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०]**

कोसी परियोजना में बांध-निर्माण

†*४९१. **श्री ल० ना० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोसी योजना में बांध निर्माण का स्वीकृत रुपाकंण बदलने और पुरानी धारों के द्वारा पानी का रुख बदलने का प्रस्ताव छोड़ देने का कोई प्रस्ताव या सुझाव केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के समक्ष है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** कोसी के मुख्य इंजीनियर ने पानी की धारा मोड़ने के संबंध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को कुछ परिक्षात्मक सुझाव भेजे हैं, प्राविधिक स्तर पर इन पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम (१९५४)

†*४९३. **श्री साधन गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान ११ जनवरी, १९५७ को स्टेट्समैन (कलकत्ता संस्करण) में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि कलकत्ता में बहुत से रसायन विशेषज्ञों की यह राय है कि यदि सरसों के तेल में मूंगफली के तेल की कुछ मात्रा होने का पता भी चल जाय तब भी १९५४ के खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में एक त्रुटि के कारण सरसों के तेल को अपमिश्रित घोषित करना कठिन है ;

(ख) यदि हां, तो वह त्रुटि क्या हैं, और

(ग) इस त्रुटि को दूर करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने के प्रयोजन से क्या किसी विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां ।

(ख) त्रुटि यह है कि नियमों में इवर्स विधि (एसेटिक एसिड) द्वारा बेलियर्स टरबिडिटी परिक्षण की विशिष्ट रूप से चर्चा नहीं की गई है और इस लिए सरसों के तेल का मूंगफली के तेल से

मूल अंग्रेजी में

अपमिश्रण का पता लगाने के लिए यह परिक्षण कानूनी तौर पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ।

(ग) जी, नहीं तथापि १९५५ के खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के तात्सम्बन्धी नियम में संशोधन करने के लिये अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जहाजों का अर्जन

†*४९४. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितने जहाजों के अर्जन का प्रस्ताव है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिए हमारा लक्ष्य ३००,००० कुल पंजीबद्ध टन भार भारतीय टनभार में और जोड़ना था जो कि लगभग ५६ जहाजों के अर्जन के बराबर होगा ।

अलक नन्दा नदी पर मोटर का पुल

*४९५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिद्वार-बद्रीनाथ के रास्ते पर कीर्तिनगर में अलकनन्दा नदी के ऊपर जो मोटर का पुल बनाया जा रहा था, उसका उद्घाटन समारोह एकाएक रोक दिया गया, क्योंकि उसके निर्माण में कुछ भारी दोष पाये गये;

(ख) यदि हां, तो वे दोष किस प्रकार के थे ; और

(ग) उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वास्तव में १५ मार्च १९५७ को पुल उद्घाटन समारोह की जो घोषणा की गई थी वह न हो सकी । क्योंकि पुल का काम पूरा हो जाने पर उसमें कुछ खास निर्माण सम्बन्धी दोष पाये गये ।

(ख) बुर्जों में कुछ झुकाव सा नजर आया और पुल की कैंची को मजबूती से बाधंने वाले कुछ हिस्से मुड़ गये थे ।

(ग) मुड़े हुए हिस्सों को सीधा करके और बुर्जों के साथ लोहे के खम्भों की व्यवस्था कर उन दोषों में सुधार कर दिया गया है । पुल को यातायात के लिए ४ मई १९५७ को खोल दिया गया था ।

डाक तथा तार के विभागातिरिक्त अभिकर्त्ता

†*४९६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विभाग अतिरिक्त अभिकर्त्ताओं को, जिन्होंने ५ वर्ष तक इस प्रकार कार्य किया हो कि उनकी कोई शिकायत न हो, वैभागिक चपरासी नियुक्त करने का कोई नियम अथवा प्रथा है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार और अन्य राज्यों में कितने विभागातिरिक्त अभिकर्ताओं को चपरासी नियुक्त किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां, यदि वे आयु और परीक्षा की विहित शर्तें पूरी करते हों।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि गत तीन वर्ष में विभिन्न सर्कलों में कितने विभागातिरिक्त अभिकर्ताओं को वैभागिक डाकिया चपरासी और अन्य चौथी श्रेणी के कर्मचारी नियुक्त किया गया **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३१]**

इंजन के कोयले की राख[1] का उपयोग

†*४९७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे परीक्षण और गवेषणा केन्द्र लखनऊ, में इंजन के कोयले की राख का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के तौर पर करने की एक आदर्श योजना (माडल स्कीम) तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इंजन के कोयले की राख भवन निर्माण के लिये किस हद तक उपयोगी है ?

***रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, परन्तु लखनऊ में रेलवे परीक्षण और गवेषणा केन्द्र ने इंजन के कोयले की राख को इस प्रयोग में लाने के बारे में अनुसन्धान आरम्भ किया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे कर्मचारियों की नौकरियों का समाप्त किया जाना

†*४९८. **पंडित मु० बि० भार्गव** :
श्री मसानी :
श्री परुलेकर :
श्री राजू :

क्या **रेलवे** मंत्री ११ दिसम्बर १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में विभिन्न खंडीय रेलों में कितने कर्मचारियों की नौकरियां रेलवे प्रतिष्ठान संहिता खंड १ की कंडिका १४८ के अन्तर्गत एक मास की पूर्व सूचना देकर अथवा उसके बदले में एक मास का वेतन देकर, समाप्त कर दी गई ; और

(ख) बिना कोई कारण बताये एकाएक उनकी नौकरियां समाप्त करने के क्या कारण थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ३९।

(ख) क्योंकि उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Loco Coal Ash

रेलवे कर्मचारियों पर आक्रमण

†*४९९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० अप्रैल, १९५७ को नौमंडी से बंसपानी तक ३० मील लम्बी रेलवे लाइन पर काम कर रहे श्रमिकों के शिविर पर लगभग २०० व्यक्तियों ने जो तीर कमानों से लेस थे आक्रमण कर दिया ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति घायल हुए ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) इस प्रकार की एक घटना ३० अप्रैल, १९५७ को नहीं बल्कि २६ अप्रैल १९५७ को हुई थी ।

(ख) एक व्यक्ति मरा और चार घायल हुए ।

ग्रामीण उधार

†*५००. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि-विकास के लिये भारत के राज्य बैंक द्वारा ग्रामीण उधार देने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : भारत के राज्य बैंक ने अब तक भूमि बन्धक बैंकों के २६ लाख रुपये के ऋण-पत्र खरीदे हैं ।

वह इस बात पर भी सहमत हो गया है कि साधारण दर से $^{1}/_{2}$ प्रतिशत कम मूल्य पर वस्तु को पुनः गिरवी रखने पर वह सहकारी बैंकों को ऋण देगा । यह योजना हाल ही में चालू की गई हैं और अभी इसकी प्रगति को निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

हिन्दूमल कोट श्रीमंगानगर रेलवे लाइन

*५०१. **श्री प० ला० बारूपाल**: क्या **रेलवे** मंत्री २ अगस्त १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रीगंगानगर और हिन्दूमल कोट के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम कब तक शुरु किया जायेगा और समाप्त हो जायेगा ; और

(ख) उस पर कितनी लागत आयेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सर्वे रिपोर्ट और लागत का अनुमान रेलवे से मिलने का इन्तज़ार है ।

सहकारिता के ढांचे का पुनर्गठन

†*५०२. **श्री तिम्मय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक विकास क्षेत्रों में सहकारिता के ढांचे के पुनर्गठन का कोई विस्तृत कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३२]** :

भारत-नार्वे परियोजना प्रशासन

*५०३. **श्री वें० प० नायर** :
श्री कोडियान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत-नार्वे परियोजन प्रशासन को हिदायतें दी हैं कि वे नीदाकड़ाई में उन के कारखाने में तैयार की गई बर्फ न बेचें; और

(ख) उपरोक्त बर्फ के कारखाने के शीत कोठार में कितनी मछली रखी जाती है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं,

(ख) २०,००० पौंड

वन गवेषणा संस्था, देहरादून

†*५०४. **श्री बर्मन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन गवेषणा संस्था, देहरादून, में कागज को अग्रिम कारखाने के निर्माण पूरा न हो सका क्योंकि अभी २,१०,००० डालर के मूल्य के कोई उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) १९४८ में जब मुख्य संयन्त्र का आदेश भेजा गया उस समय यह सामान भी क्यों नहीं मंगवा लिया गया; और

(ग) क्या यह पता लगाने के लिये कोई जांच की गई कि इसके लिये कौन उत्तरदायी है जैसे कि प्राक्कालन समिति ने अपने छटे और ५२ वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) हां, श्रीमान. संभरण करने वाली सार्थ से कुछ इंजीनियरिंग सेवायें प्राप्त करने में भी विलम्ब हो रहा था जिसके बिना संयन्त्र का विशेष प्रकार का बेसमेंट तैयार नहीं हो सकता था ।

(ख) और (ग). संयन्त्र के निर्माण में बिलम्ब के कारणों और उसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति का पता लगाने के लिये पूछताछ करने का आदेश दिया गया है।

सरयू नदी पर रेलवे पुल

*५०५. **श्री पन्ना लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के जिला फैजाबाद में अयोध्या और लकड़मंडी के बीच सरयू नदी पर सरकार का एक पुल बनाने का विचार है;

(ख) क्या इस पुल पर रेलवे लाइन बिछाने का कोई विचार है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या लागत होगी; और

(घ) यह काम कब शुरु होगा ?

---

†मूल अंग्रेजो में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) परिवहन मंत्रालय एक सड़क-पुल बनाने का विचार कर रहा है।

(ख) परिवहन मंत्रालय के कहने पर रेलवे मंत्रालय एक मिला जुला रेल-सड़क पुल बनाने के सुझाव पर विचार कर रहा है।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता।

वम्सधारा परियोजना

†*५०६. { **श्री वोरा** :
श्री संगण्णा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वम्सधारा परियोजना का जितना काम हो चुका है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने आंध्र प्रदेश की सरकार से यह सिफारिश की है कि वह गोटा के प्रस्तावित स्थान से ऊपर की ओर उड़ीसा में गुदारी स्थान पर अनुसन्धान कराये। आंध्र प्रदेश की सरकार ने उड़ीसा सरकार को लिखा है कि वह गुदारी स्थान पर अनुसंधान करने के बारे में सहमति दे और कर्मचारियों को सर्वेक्षण करने के लिये उड़ीसा के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुज्ञा दे।

कलकत्ता और बम्बई के बीच जनता एक्सप्रैस

†*५०७. **श्री सुपाकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई और कलकत्ता के अन्तिम स्टेशनों के बीच चलने वाली डाक (मेल) और सवारी (पैसेंजर) गाड़ियों में यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिये इन स्टेशनों के बीच बरास्ता नागपुर एक जनता एक्सप्रैस चलाने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है। इस समय हावड़ा और नागपुर के बीच जो सवारी गाड़ियां चल रही हैं उनमें दो डिब्बे बढ़ा दिये गये हैं ताकि भीड़ कम हो जाये।

असामान्य मौसम

†*५०८. **श्री ह० च० माथुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष में मौसम में कोई असामान्यताएं देखी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके बारे में कोई अनुसन्धान किया गया है ; और

(ग) इस पर्यवेक्षण और जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

हल्दी

†*५०९. { श्री बाली रेड्डी :
श्री ब० स० मूर्ति :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हल्दी के भाव में कमी होने के क्या कारण ह ; और

(ख) हल्दी के विदेशी बाजारों की क्या स्थिति है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) हल्दी का भाव कम हो जाने का यह कारण मालूम पड़ता है कि १९५४-५५ में इसका जो उत्पादन १३७,५०२ टन था वह १९५५-५६ में बढ़ कर १५५,६६० टन हो गया है। आन्तरिक मांग न बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ जाने से भाव अनुपात से अधिक कम हो गया है ।

(ख) यदि सामूहिक रुप से देखा जाये तो विदेशी बाजारों में भारतीय हल्दी की मांग बढ़ रही है। हल्दी का निर्यात दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३३]**

रासायनिक उर्वरक

†*५१० **श्री सें० वें० रामस्वामी** :क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५५-५६ में उसके पूर्व के दो वर्षों की तुलना में कितने रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया गया;

(ख) क्या यह पता लगाने का कोई तरीका है कि उसमें से कितना उर्वरक खाद्य की उपज के लिये प्रयोग किया गया और कितना व्यापारिक फसलों के उत्पादन के लिये; और

(ग) कम्पोस्ट और हरी खाद के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० मा० थामस)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३४]**

होजपेट-गुंतकल्ल रेलवे लाइन

†*५११. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होज़पेट गुन्तकल्ल लाइन और गुन्तकल्ल के यार्ड का पुन : निर्माण किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना पर कितनी लागत का अनुमान है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) होजपेट-गुन्तकल्ल लाइन के पुनर्निर्माण की कोई प्रस्थापना नहीं है परन्तु चार अन्य क्रासिंग स्टेशनों और अन्य सुविधायें की व्यवस्था की जा रही है । गुन्तकल्ल में यार्ड का पुनर्निर्माण किया जाना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गुन्तकल्ल यार्ड और रोजपेट-गुन्तकल्ल सैक्शन पर उपलब्ध सुविधायें वर्तमान परिवहन और होजपेट से मद्रास पत्तन तक ले जाये जाने वाले लौह अयस्क का जो परिवहन बढ़ेगा उन्हें पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं ।

(ग) गुन्तकल्ल यार्ड के पुनर्निर्माण पर २६·०४ लाख रुपये की लागत का अनमान है ।

सोन नदी पर बांध

†*५१२. { **श्री कमल सिंह :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री बिहार के शाहाबाद जिले में सोन नदी पर प्रस्तावित बांध के बारे में १ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरी योजना तैयार हो चुकी है और बिहार सरकार से प्राप्त हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और कितनी लागत का अनमान है ; और

(ग) कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है ।

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) योजना की मुख्य मुख्य बातें यह हैं:–

(१) वर्तमान सोन बांध से ५ मील ऊपर की ओर एक नया बांध जिसके साथ ही २४ फुट चौड़ा और ४७५२ फुट लम्बा एक सड़क का पुल ।

(२) दायें और बायें किनारे से मुख्य नहर जिनकी क्षमता क्रमवार ८००० और ३६०० क्यूसैक है।

(३) दोनों मुख्य नहरों में ऊंची सतह की नहरें जो नये क्षेत्रों में सिंचाई करेंगी ।

(४) कुल १७·११ लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होगी ।

(५) ५ मास तक १३,७७५ किलोवाट और ७ मास तक ६,५७० किलोवाट बिजली प्राप्त होगी ।

(६) विद्युत् विभाग और वर्तमान वितरण प्रणाली के पुनर्निर्माण के अतिरिक्त इस पर १३·०९ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है ।

(ग) परियोजना प्रतिवेदन का टैक्निकल परीक्षण हो रहा है और काम आरम्भ करने के बारे में कोई निश्चय नहीं हुआ है ।

हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रैस

†*५१३. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि १ जनवरी १९५७ को ६९ अप जनता एक्सप्रैस की दुर्घटना उत्तर रेलवे के पोरा स्टेशन के निकट हुई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति घायल हुए और उनका उपचार कैसे किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि सहायता के लिये भेजी गई गाड़ी जिस में उक्त एक्सप्रैस के यात्री और घायल व्यक्ति थे अलीगढ़ स्टेशन पर बहुत देर तक रोकी गई जहां सहायता और भोजन आदि की भी व्यवस्था नहीं थी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५]**

गैर-वैभागिक टेलीफोन चालक

†*५१४. **श्री तंगामणि**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सर्कल में गैर-वैभागिक टेलीफोन चालक नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ;

(ग) क्या डाक तथा तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन ने दिसम्बर, १९५६ में गैर-वैभागिक टेलीफोन चालकों के बारे सरकार को कोई ज्ञापन दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य -मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) १६९

(ग) फरवरी १९५७ में एक ज्ञापन दिया गया था।

(घ) सरकार उस पर विचार कर रही है ।

विशाखापटनम् बन्दरगाह

* **५१५. श्री रा० ज० राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखपटनम् बन्दरगाह में कितने घाट (बर्थ) है ;

(ख) प्रत्येक सप्ताह इसमें कितने जहाज आते है ;

(ग) विशाखपटनम् बन्दरगाह के घाट (बर्थ) पर पहुंचने के लिये प्रत्येक जहाज को बाहर कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(घ) इस बात को देखते हुए कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से मैंगानीज़ और लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये केवल एक विशाखपटनम् को ही बन्दरगाह है, क्या सरकार यहां भीड़ भाड़ कम करने और बन्दरगाह का विकास करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) कच्ची धातु और साधारण सामान उतारने और लादने के चार घाट (क्वे बर्थस) ३ कोयला कोठरी के जेटी घाट (जैटी बर्थस फौर बंकिंग) और जहाजों को खड़ा करने के ४ घाट (मूरिंग बर्थस) और तेल वाहक जहाजों के दो घाट (क्वे बर्थस फौर आयल टैकर्स)

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आने वाले जहाजों की संख्या में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है ; मार्च और अप्रैल १९५७ को औसत ९ या १० जहाज प्रति सप्ताह थी ।

(ग) घाट पर पहुंचने के लिये जहाज को जितना समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। उदाहरणतः अप्रैल, १९५७ में जब ३८ जहाज बन्दगाह में दाखिल हुए उस समय औसतन प्रत्येक जहाज को ४·४७ दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी ।

(घ) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में यहां अधिक घाटों और कच्चा धातुओं के मशीनों द्वारा लदान की व्यवस्था की जाने वाली है । कुछ उपकरण पहुंच गया है और अतिरिक्त घाटों के निर्माण का काम आरम्भ होने वाला है ।

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद

†*५१६ **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री १५ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को इस बात के लिये बाध्य किया जा रहा है कि जब तक भारत और पाकिस्तान में नहरी पानी विवाद के बारे में बातचीत चल रही है तब तक भारत उस पानी से सम्बन्धित नहरों से विकास का कोई प्रमुख कार्य न करे जब कि पाकिस्तान को ऐसा करने की रोक नहीं है ; और

(ख) भारतीय शिष्टमंडल पर जिसे वस्तुतः पांच वर्ष तक वाशिंगटन में रहना पड़ा, कितना खर्च हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** :(क) नहीं ; श्रीमान ।

(ख) सिधू जल विवाद के वर्तमान पहलू पर सहकारी कार्य, जिसमें विश्व बैंक भी सम्मिलित है, दिसम्बर, १९५४ में वाशिंगटन में आरम्भ हुआ था। सहकारी कार्य की कालावधि ३० सितंबर, १९५७ तक बढ़ गई है और वाशिंगटन में भारतीय शिष्टमंडल की अवधि भी इस समय ३० जून, १९५७ तक बढ़ा दी गई है। भारतीय शिष्टमंडल के दिसम्बर १९५४ से ३० जून, १९५७ तक वाशिंगटन में ठहरने पर लगभग १०·८१ लाख रुपये खर्च हुए ।

भारतीय रेलवे के लिये इस्पात

†*५१७. { **श्री अस्सर** :
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के लिये इस्पात और अन्य सामग्री प्राप्त करने के लिये पदाधिकारियों का एक विशेष दल भेजा है अथवा भेजने का विचार है;

(ख) यदि हां, यह दल किन किन देशों में जा रहा है अथवा जायगा; और

(ग) इस दल पर लगभग कितना खर्च होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी, हां ।

(ख) ब्रिटेन और अन्य योरुप के देशों और सम्भवतः जापान और कनाडा में ।

(ग) लगभग ८१,००० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खलीलाबाद के चीनी के कारखाने का किसी दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाना

†*५१८. { **श्री सिंहासन सिंह :**
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला बस्ती में खलीलाबाद चीनी मिल के मालिकों ने सरकार से मिल को किसी अन्य स्थान पर ले जाने की अनुज्ञा और आर्थिक सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुज्ञा और कोई सहायता दी गई है ;

(ग) क्या सरकार ने गन्ना उत्पादकों से इस प्रस्तावित स्थाना-तरण के बारे में परामर्श किया है और क्या उनके दृष्टिकोण से इस मामले पर विचार किया है ;

(घ) इस स्थानान्तरण को उस जिले के उस भाग में, जो कारखाने को गन्ने का संभरण करता था, गन्ने की काश्त पर किस हद तक प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) क्या सरकार ने अधिक गन्ना और अच्छी किस्म का गन्ना पैदा करने के लिये गन्ना उत्पादकों को सहायता देने में कोई कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ङ). एक विवरण जिसमे अवेक्षित जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६]**

आयात किये गये गेहूं का वितरण

†*५१९. **श्री याज्ञिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े नगरों को आयात किया गया गेहूं देने पर प्रतिबन्ध लगाने का जो आदेश दिया गया उससे देश में विशेष कर अहमदाबाद में "भीषण संकट" की आशंका के बारे में भारत के रोलर फ्लोर मिलर फ्रेडरेशन ने तार द्वारा जो अभ्यावेदन भेजा क्या माननीय मंत्री का ध्यान उसकी ओर आकर्षिकत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). भारत के रोलर फ्लोर मिल फेडरेशन से ऐसा कोई तार प्राप्त नहीं हुआ । आयात किये गये गेहूं का संभंण बन्द करने के खिलाफ बड़ोदा और अहमदाबाद की तीन आटे की मिलों से तार मिले थे।

मिलें देश के किसी भी भाग से देशीय गेहूं खरीद सकती हैं और नई फसल का गेहूं बाजार में आ जाने से उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी ।

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति

†*५२०. { **श्री लीलाधर कटाकी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री २० मार्च १९५७ के अतांराकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसके पश्चात रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति की शेष सिफारिशें कार्यविन्त की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : उन पर अभी विचार किया जा रहा है ।

कोसी परियोजना के लिये टेलीफोन एक्सचेंज

†***५२१. श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोसी प्रयोजना के मुख्यालय बीरपुर में टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जी हां, कोसी परियोजना प्रशासन के लिये ।

दिल्ली में चिड़ियाघर

***५२२. श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में एक चिड़ियाघर की स्थापना के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उस पर अब तक कितना खर्च हो चुका है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(ख) अप्रैल, १९५७ तक ६.६७ लाख रुपये ।

महेन्द्रूघाट स्टेशन

†***५२४. श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री ३० अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार ने उस के पश्चात् पूर्वोत्तर रेलवे के महेन्द्रूघाट स्टेशन के लिये नया स्थान अर्जित किया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थान का नाम और कितने समय में स्टेशन तैयार हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). वर्तमान महेन्द्रूघाट स्टेशन से ३०० गज ऊपर की ओर, जहां लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक इंजीनियर के लिये बंगला और उस का कार्यालय है, स्थायी तौर पर महेन्द्रूघाट स्टेशन बनाने का विचार है। इस नये स्थान को अर्जित करने के लिये बातचीत चल रही है और नये स्टेशन की इमारत तैयार हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार यह सम्पत्ति रेलवे प्रशासन को हस्तान्तरित कर देगी ।

छोटी गंडकी पर पुल

†***५२५. श्री झूलन सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश को गुठानी स्थान पर लारी सड़क द्वारा मिलाने के लिये गुठनी थाना में गुठानी स्थान पर छोटी गंडकी नदी पर पुल बनाने की योजना इस समय किस अवस्था में है; और

(ख) इस योजना के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता देने का वचन दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख) पुल पर ८ लाख रुपये की लागत का अनुमान है जिस में से उत्तर प्रदेश सरकार ने १.५० लाख रुपये अंशदान देना स्वीकार किया है और केन्द्रीय सरकार ने इस शर्त पर कि शेष व्यय बिहार सरकार अपने संसाधनों से करे, केन्द्रीय सड़क सुरक्षित निधि (साधारण) में से वास्तविक व्यय का एक तिहाई भाग जो २.६७ लाख रुपये से अधिक न हो देना स्वीकार किया है। जनवरी १९५७ में इस बारे में बिहार सरकार को लिखा था परन्तु अभी उस ने अपनी राय नहीं दी।

भारत-नार्वे परियोजना प्रशासन

†*५२६. **श्री वें० प० नायर :**
श्री कोडियान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भारत-नार्वे परियोजना प्रशासन की स्थायी समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि परियोजना के प्रबन्ध में न तो परियोजना के श्रमिकों के और न ही जनता के प्रतिनिधि हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८]

पत्तनों पर जहाज ठहराने के स्थान (बर्थ) की कमी

†*५२७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ने यह पता लगाया है कि विशेषकर कलकत्ता और बम्बई के पत्तनों पर जहाज ठहराने के स्थान (बर्थ) की कमी के कारण अब ५००० टन वाले मालवाही जहाज को भारतीय पत्तन में १९५० की तुलना में ७५ प्रतिशत अधिक समय लगता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के प्रतिवेदन में जो निर्धारण किया गया है वह गोदी श्रमिक (नौकरी का विनियमन) जांच समिति की उपपत्तियों पर आधारित था और उस में बताया गया है कि बम्बई में आने वाले जहाजों से ५००० टन माल उतारने में १९५० में जो २६ प्रतिशत समय लगता था वह पढ़ कर ७५ प्रतिशत हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के प्रतिवेदन में बम्बई के अतिरिक्त किसी अन्य पत्तन का उल्लेख नहीं है और न ही घाटों पर स्थान की कमी के कारण विलम्ब होने का ही उल्लेख है।

राष्ट्रीय राजपथ

*५२८. **श्री श्री नारायण दास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस साल कितने राष्ट्रीय राजपथ बनाये जायेंगे और वर्तमान कौन-कौन से राजपथों की दूरी में वृद्धि की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : यह तजवीज की गयी है कि चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों की वर्तमान व्यवस्था के अन्दर १५० मील लम्बाई के छूटे हुए मार्गों को बनाया जायेगा और लगभग ८०० मील लम्बी सड़कों के मौजूदा खंडों को सुधारा जायेगा तथा ३०० मील लम्बे खंडों को जो सुधारे जा चुके हैं चौड़ा किया जायेगा, जिनमें दुतर्फा यातायात हो सके। फिलहाल वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों में कोई भी वृद्धि करने की तजवीज नहीं है।

भूतपूर्व बीकानेर रेलवे के कर्मचारी

†२७७. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि भूतपूर्व-बीकानेर राज्य रेलवे कर्मचारियों की कार्यवाही समिति (एक्शन कमेटी) ने उन की वरिष्ठता भूतपूर्व बी० बी० एंड सी० आई० रेलवे के दिल्ली-रिवाडी-फाजिलका सैक्शन के कर्मचारियों के समान निश्चित करने के खिलाफ इस आधार पर अभ्यावेदन भेजे हैं कि इन दोनों सैक्शनों पर भर्ती, सेवा और पदोन्नति की शर्तें एक सी नहीं थीं; और

(ख) यदि हां, तो कर्मकारियों की शिकायतें दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) संघ से परमर्श कर के इस बात का निर्णय करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

बीकानेर रेलवे वर्कशाप

२७८. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के बीकानेर रेलवे वर्कशाप से लकड़ी का बुरादा उठाने का ठेका किसी व्यक्ति को दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि लकड़ी का बुरादा उठाने वाले व्यक्तियों ने बुरादे के साथ कई मन तांबा और पीतल बोरों में भर लिया और वे पकड़े गये;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार की चोरी का अपराधी होने पर भी इन व्यक्तियों पर अभी तक मुकदमा नहीं चलाया गया है; और

(घ) १९५५-५६ में रेलवे वर्कशाप, बीकानेर में कितनी चोरियां हुईं, और कितने व्यक्ति पकड़े गये, कितनों पर मुकदमा चलाया गया और कितनों को सजा हुई ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) बीकानेर रेल कारखाने से लकड़ी का बुरादा हटाने का कोई नियमित ठेका नहीं दिया गया था। लेकिन बीकानेर के एक आदमी को १००० मन बुरादा नीलाम में दिया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) बीकानेर रेल कारखाने में चोरी की पांच घटनाएं हुईं। इन चोरियों में कुछ रेल कर्मचारियों का हाथ था जिन के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गयी। इन चोरियों के सिलसिले में कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, क्योंकि जो सबूत मिले थे उन से अदालत में जुर्म साबित होने की संभावना बहुत कम थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पद्मपुर की रेलवे आउट एजेन्सी

२७९. {श्री प० ला० बारूपाल :
श्री ओंकार लाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीगंगानगर जिले में पद्मपुर में एक आउट एजेन्सी खोलने के लिये टेंडर मांगे गये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने टेंडर भेजे थे और उन में से प्रत्येक ने अलग अलग क्या रेट दिये थे;

(ग) क्या यह सच है कि ५ आने ८ पाई प्रति मन की दर का टेंडर मंजूर कर लिया गया जब कि ३ आने से ५ आने प्रति मन तक की दर के टेंडर नामंजूर कर दिये गये;

(घ) यदि हां, तो किस कारण ;

(ङ) क्या रेलवे अधिकारियों को यह पता था कि श्रीगंगानगर और पदमपुर के बीच माल ढ़ोने की दर ढ़ाई आने प्रति मन है;

(च) यदि हां, तो ५ आने ८ पाई की दर का टेण्डर क्यों मंजर किया गया;

(छ) क्या रेलवे अधिकारियों को यह पता था कि पहला आऊट एजेंट जिस का किराया ५ आने प्रति मन था समय समय पर किराया कम कर के अर्थात् व्यापारियों को छूट दे कर उन का माल ढ़ोता था; और

(ज) यदि हां, तो इतने ऊंचे किराये का टेण्डर किस कारण से मंजूर किया गया ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) बयान साथ नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ग) जी हां। ३५ नये पैसे की दर मंजूर की गयी थी और दो आने से लेकर ५ आने तक की कम दरें नामंजूर कर दी गयी थीं।

(घ) कुछ मामलों में कम दर वाले टेन्डर इसलिये नामंजूर किये गये क्योंकि इन दरों पर काम नहीं हो सकता था और दूसरे कुछ मामलों में टेंडर देने वाले उपयुक्त नहीं समझे गये।

(ङ) पदमपुर और श्रीगंगानगर के बीच निर्धारित माल ढुलाई ६ आने ६ पाई प्रति मन आती है। भाड़े की वास्तविक दर में कमी-पेशी होती रही है। जिन दिनों काम कम होता है भाड़े की दर २ आने ६ पाई प्रति मन रहती है और जिन दिनों काम अधिक होता है, यह दर ५ आने प्रति मन हो जाती

(च) आऊट एजेंसी के ठेकेदारों को हर मौसम में नियमित रूप से माल पहुंचाने का प्रबन्ध करना होता है और ठीक ढ़ंग पर दफ्तर रखने और स्टेशन से आऊट एजेंसी तक माल ले जाने के लिये ऊपर से भी खर्च करना पड़ता है, इसलिये, माल ढुलाई की उन की दर का चालू दर से कुछ अधिक होना अनुचित नहीं है .

(छ) जी हां। यह छूट अनधिकृत थी और गंतव्य स्टेशन रकम के इस अन्तर को अवप्रभार के रूप में वसूल कर रहे थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ज) भाग (छ) के उत्तर में जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए सवाल नहीं उठता। उत्तर का भाग (८) भी देखिये ।

चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६

†२ **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान १९५६ के चिकित्सा परिषद् अधिनियम के लागू होने की विधि की घोषणा करने में विलम्ब की ओर आकर्षित किया गया;

(ख) क्या इस विलम्ब से उत्पन्न होने वाले कष्टों के बारे में उन्हें अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) क्या इसे पहले की किसी तिथि से लागू करने के बारे में निश्चय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). उत्तर स्वीकारात्मक है;

(ग) अधिनियम को यथासाध्य शीघ्र लागू करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

ब्रह्मपुत्र स्टीमर सेवा

†२८२. **श्री भगवती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि भूतकाल में आसाम राज्य परिवहन के लिये मुख्यतः ब्रह्मपुत्र स्टीमर सेवा पर निर्भर करता रहा है ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि १९५० के भीषण भूकम्प से ब्रह्मपुत्र नदी परिवहन को बहुत हानि पहुंची है ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि आसाम राज्य में स्टीमरों के प्रमुख घाटों की हालत ऐसी है कि उन पर निर्भर नहीं किया जा सकता है और इस से नौवहन में बड़ी कठिनाइयां पैदा हो गई हैं;

(घ) आसाम राज्य में अन्तर्देशीय जलमार्गों की हालत सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ङ) क्या सहकार ब्रह्मपुत्र स्टीमर घाटों जैसे कि गौहाटी, तेजपुर, स्लीघाट, नियमती और डिब्रूगढ़ को मजबूत बनाने के लिये सरकार का पर्याप्त कार्यवाही करने, जैसे कि नदी की घाटी के पास गहरा करना, का विचार है ;

(च) ब्रह्मपुत्र नदी आयोग ने किन उपायों की सिफारिश की है ; और

(छ) ब्रह्मपुत्र नदी आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) सरकार को विदित है कि आसाम राज्य के लिये ब्रह्मपुत्र परिवहन का एक मुख्य साधन है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार को विदित है कि १९५० के भूकम्प का ब्रह्मपुत्र के नदी परिवहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ग) सरकार को मालूम है कि आसाम में कुछ स्टीमर घाट बुरी हालत में हैं और उस से नौवहन में कठिनाइयां पैदा हो गई हैं।

(घ) और (ङ). जहां कहीं आवश्यक हो पानी को गहरा करने, बहते हुए वृक्षों को निकालने का प्रबन्ध जो कि नौवहन में रुकावट डालते हैं करने और अन्य आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है ;

(च) ब्रह्मपुत्र नदी आयोग ने ब्रह्मपुत्र में जल परिवहन की समस्या पर विचार नहीं किया क्योंकि वह सिंचित क्षेत्र में बाढ़ समस्या की जांच कर रहा था;

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इम्फाल में डाक-घरों की इमारतें और कर्मचारियों के क्वार्टर

†२८३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में इम्फाल में डाक-घर की इमारत बनाने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) क्या इम्फाल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने की कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ग) क्या मनीपुर के किसी अन्य केन्द्र अथवा सब-डिवीज़नल मुख्यालय में सरकार डाक-घर की इमारत बनायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) संगजुमाई बाज़ार और इम्फाल बाज़ार उप डाक-घरों के लिये।

मनीपुर में धान के खेतों का अर्जन

†२८४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल के कृषकों के धान के खेत अर्जित करते समय मनीपुर प्रशासन द्वारा जब्त किये गये धान की पुनः प्राप्ति के बारे में संघ सरकार ने कोई आदेश जारी किया है ;

(ख) क्या कृषकों ने इन खेतों में से बेदखली को रोकने अथवा सरकार द्वारा जब्त किये गये धान की पुनः प्राप्ति के लिये कोई अभ्यावेदन दिया ;

(ग) लम्फलपट से कृषकों की निकालने का सरकार का क्या प्रयोजन है ; और

(घ) लम्फलपट में मनीपुर प्रशासन ने धान की कितने एकड़ भूमि अर्जित की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) उल्लिखित भूमि, जो कि मनीपुर प्रशासन की है, कृषकों को वार्षिक पट्टे पर दी गई थी। जब कृषि और पशु पालन फार्म स्थापित करने

---

†मूल अंग्रेजी में

का निश्चय किया गया तो कृषकों का वार्षिक पट्टा नहीं बढ़ाया गया। कृषकों को खड़ी फसल काटने की अनुज्ञा दे दी गई थी। जो कृषक फसल नहीं काट सके उनके बारे में मनीपुर प्रशासन ने यह आदेश जारी किये कि खड़ी फसल बेच कर जो मूल्य प्राप्त हो वह सम्बन्धित कृषकों को दिया जाये। इस मामले में संघ सरकार ने कोई आदेश नहीं दिये।

(ख) जी हां, कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) मनीपुर में स्थापित किये जाने वाले एक कृषि तथा पशु पालन फार्म के लिये भूमि की आवश्यकता थी। ऐसा विचार है कि इस फार्म में केवल चावल पर प्रयोग करके किसी ऐसे धान का पता लगाया जाये जिस से मनीपुर की जलवायु में अधिकतम उपज हो सके। पशु पालन फार्म में ढोर की नस्ल सुधारने का प्रयत्न किया जायेगा और ऐसे ढोर पैदा करने के पश्चात् प्रयत्न किये जायेंगे जो कृषि के काम में शक्ति की भी व्यवस्था करें और अधिक दूध भी दें।

(घ) प्रशासन ने वार्षिक पट्टे की कालावधि न बढ़ा कर और अनधिकृत कृषकों को बेदखल करके ७५० एकड़ भूमि अर्जित की।

मनीपुर में ढोर गणना

†२८५. **श्री ले० अवौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मनीपुर के संघ क्षेत्र की ढोर गणना के कोई आंकड़े हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय खेतों में हल चलाने के लिये ढोरों की कमी है ;

(ग) क्या यह सच है कि बैलों की कमी के कारण खेतों में हल चलाने के लिये बिना सोचे समझ गाये जोती जाती हैं ; और

(घ) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां, परन्तु केवल १९५४ के।

(ख) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर तुरन्त उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

सहकारी चीनी का कारखाना

†२८६. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोई ऐसा चीनी का कारखाना है जिसे सहकारी चीनी के कारखाने में परिवर्तित किया गया हो ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और मिल मालिक को कितना प्रतिकर दिया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कांडला–रानीवाड़ा रेल सम्पर्क

†२८७. **श्री दामानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला स्टेशन को रेलवे लाइन द्वारा राजस्थान में जिला जालोर के रानीवाड़ा स्टेशन से कब मिलाया जायेगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नियमित रूप से सवारी गाड़ी के चलने की कब तक प्रत्याशा की जा सकती है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). आशा है कि नवम्बर, १९५७ तक।

शिलौंग और नौगांव में हवाई अड्डे

†२८८. **श्री लीलाधर कटाकी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राज्य में शिलौंग और नौगांव स्थानों पर हवाई अड्डे स्थापित करने के विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इन हवाई अड्डों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)**: (क) और (ख). टैक्निकल कठिनाइयों और निधि की कमी के कारण इन हवाई अड्डों के निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है।

मछुए

†२८९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के मछुओं को प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में और द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष में (क) समुद्री (ख) ताज़े पानी में मिलने वाली मछलियों से कुल कितनी आय हुई; और

(ख) सरकार को इस बारे में क्या पता चला कि यदि उनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में कोई वृद्धि हुई तो वह कितनी थी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). अभी तक इस विषय में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है इसलिये कोई ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

चीनी का उत्पादन

†२९०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो :

(क) वर्ष १९५२–५३ से १९५६–५७ तक चीनी का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में से प्रत्येक में चीनी उद्योग द्वारा कुल कितनी मंजूरी दी गई ;

(ग) प्रत्येक वर्ष में गन्ना उत्पादकों को कुल कितनी राशि दी गई;

(घ) प्रत्येक वर्ष में चीनी उद्योग ने श्रमिकों को कितना लाभांश दिया ;

(ङ) प्रत्येक वर्ष में उद्योग को कितना सकल और शुद्ध लाभ हुआ ;

(च) प्रत्येक वर्ष में प्रति व्यक्ति औसतन उपभोग कितना था ; और

(छ) प्रत्येक वर्ष में औसतन उपभोग दर क्या थी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ख). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

मुर्गी पालन

†२९१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयात की गई किस्मों (देशीय किस्मों के अतिरिक्त) जैसे कि वाइट लेग्हार्न, ब्लैक माइनार्का, रोड आइलैंड रेड आदि की कितनी मुर्गियां भारत में सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों द्वारा प्रारम्भ की गई योजनाओं के अन्तर्गत पाली गई ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : सितम्बर, १९५६ तक बढ़िया नसल के २,५७,६८९ पक्षी और मुर्गियों की आयात की गई किस्मों के बच्चे वाले अण्डे सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खडों के क्षेत्रों में बांटे गये ।

खाद्य उपभोग

†२९२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम पचवर्षीय योजना के पहले वर्ष से लोगों के भोजनादि में पौष्टिक तत्व निश्चित रूप से बढ़े हैं जिनका हिसाब कैलोरियों में लगाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो एक साधारण व्यक्ति के भोजनादि की प्रत्येक वस्तु में "कैलोरियों की संख्या क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). जी हां ।

प्रत्येक व्यक्ति के उपभोग के लिये उपलब्ध खाद्य का अनुमान ।

उपभोग की वस्तु	कैलोरियां प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	
	१९५०–५१	१९५५–५६
अनाज	१११८	१२५७
दालें .	१५६	२१९
चीनी (गुड़)	१४१	१५४
वनस्पति तेल	७१	७८*
अन्य सूरक्षात्मक खाद्य पदार्थ दूध और दूध से बनी वस्तुएं, गोश्त, अण्डे, मछली, फल, सब्जियां और सुखे फल . . .	२०२	२२६

*अस्थायी

†मूल अंग्रजी में

गोश्त

†*२९३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष कुल कितना गोश्त और इससे बनी वस्तुए उपलब्ध होती हैं और यह मात्रा १९३९ और १९५० से कम है या अधिक ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : १९५१ की जनगणना पर आधारत

प्रति व्यक्ति उपभोग . . . . २.९ पौण्ड

१९४१ की जनगणना पर आधारित और उस समय गोश्त के उत्पादन को देखते हुए प्रति व्यक्ति उपभोग . ३.२ पौण्ड

१९३९ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

खाद्य उपभोग

†२९४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विभिन्न राज्यों में खाद्य का प्रति व्यक्ति (कैलरीज़ में) औसत उपभोग कितना है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : खाद्य की विभिन्न प्रकार की उपलब्ध वस्तुओं के सभरण को राज्यवार गणना करना सम्भव नहीं है, क्योंकि सम्बन्धित आंकड़े, जैसे कि विभिन्न वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने, तथा व्यापारियों के पास उपलब्ध स्टाक सम्बन्धी आंकड़े, प्राप्त नहीं हैं ।

१९५५–५६ की समस्त भारत की उपलब्ध जानकारी निम्नलिखित है :

उपभोग के लिये प्रति व्यक्ति खाद्य की उपलब्धि का अनुमान

वस्तु का नाम	प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिये कैलरी
अनाज	१२५७
दालें	२१९
चीनी (गुड़)	१५४
वनस्पति घी	७८*

अन्य रक्षक खाद्य दूध तथा दूध की वस्तुएं मांस, अंडे, मछली, फल, वनस्पतियां तथा मेवे २२६* ।

फलों का उत्पादन

†२९५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में फलों का कुल कितना उत्पादन होता है ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फलोत्पादकों के निर्यात के लिये निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

*अस्थाई

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १९५४ तथा १९५५ के वर्षों के उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	(टनों में) परिमाण	मूल्य (राज्यों में)
१९५४	११,५४१.५०	१,६१,६०,०८१

१९५६ के लिये आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) (१) देश से निर्यात किये जाने वाले फलोत्पादकों में प्रयुक्त की जाने वाली चीनी के उत्पादन शुल्क पर कुछ छूट दी गयी है।

(२) फल परिरक्षण उद्योग में काम आने वाली टीन की प्लेटों पर ५०० रुपया प्रति टन के हिसाब से राजकीय सहायता देने की एक योजना हाल ही में मंजूर की गई है।

(३) विदेशों में भारतीय राजदूतावासों से यह प्रार्थना की गयी है कि वे भारतीय फलोत्पाद को प्रचारित करने के लिये यथासम्भव उन्हीं का प्रयोग करें।

(४) विदेशों में होने वाले सभी मेलों तथा प्रदर्शनियों में, जिनमें भारत भाग लेता है, डिब्बों में बन्द भारतीय फलोत्पादो का प्रदर्शन किया जाता है।

तिलहन

†२९६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में तिलहनों की खेती की कुल भूमि की तुलना में इस समय की तिलहन की खेती की भूमि कितनी है ;

(ख) दोनों वर्षों के लिये १९५०–५१ को आधारभूत वर्ष मानते हुए तेल की कीमतों का देशनांक क्या है ;

(ग) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रत्येक वर्ष में काश्तकारों से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(घ) उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित प्रत्येक वर्ष में वनस्पति निर्माण उद्योग द्वारा कितने वनस्पति तेल का उपभोग किया गया; और प्रतिवर्ष कुल कितना लाभ हुआ ; और

(ङ) उपरोक्त प्रतिवर्ष कितने मूल्य के वनस्पति तेल का निर्यात किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** :(क) भारत में पांच मुख्य तिलहनों की उपज होती है वे हैं मूंगफली, राई, तिल, अलसी और अरण्ड। १९५६–५७ के लिये अभी तक मूंगफली और अरण्ड के ही अन्तिम प्राक्कलन बताये गये हैं। इसलिये १९५१–५२ और १९५५–५६ के लिये सभी तिलहनों की खेती की भूमि निम्नलिखित थी :—

तिलहन	प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् १९५१–५२ में	१९५५–५६	१९५६–५७
मूंगफली	१२,१५१	१२,६९२*	१३,१०१
राई और सरसों	८,९३४	६,२६२**	उपलब्ध नहीं
तिल	५,९४२	५,७३८**	उपलब्ध नहीं
अलसी	३,४०९	३,४२४**	उपलब्ध नहीं
अरण्ड	१,४३७	१,४०५*	१,४०३
कुल	२८,८७३	२९,५२१	उपबन्ध नहीं

*आंशिक रूप में बदला हुआ प्राक्कलन

**अन्तिम प्राक्कलन; जिनमें परिवर्तन की गुंजायश है

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५१–५२ और १९५५–५६ के लिए तेलों की कीमतों के निम्नलिखित देशनांक हैं :

तेल	देशनांक (आधार : १९५०–५१–१००)	
	१९५१–५२	१९५५–५६
मूंगफली का तेल	९४	५६
सरसों का तेल	८३	५२
तिल का तेल	९२	६०
अलसी का तेल	९९	६९
अरण्ड का तेल	१२०	५५

(ग) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) एक विवरण सम्बद्ध है जिसमें बताया गया है कि वनस्पति निर्माण उद्योग में कितने वनस्पति तेल की खपत हुई । (विवरण १) । वनस्पति उद्योग द्वारा उक्त अवधि में प्राप्त लाभों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न तेलों के निर्यातों की कीमत बतायी गयी है । (विवरण २)

खाद्य उत्पादन

†२९७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि (१) रासायनिक उर्वरकों और (२) अधिक उपज वाले बीजों के प्रयोग से खाद्यान्नों के उत्पादन में वास्तव में प्रति एकड़ कितनी वृद्धि हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (१) पिछले तीन वर्षों में काश्तकारों के खेतों में किये गए बहुत से परीक्षणों के आधार पर प्रति एकड़ बीस पौंड नाइट्रोजन के एमोनियम सल्फेट के रूप में प्रयोग करने से औसतन ३४६ पौंड धान, २३१ पौंड गेहूं (सिंचित) और १४७ पौंड गेहूं (असिंचित) की अतिरिक्त उपज हुई ।

प्रति एकड़ बीस पौंड फासफोरस को सुपर फास्फेट के रूप में प्रयुक्त करने से २७५ पौंड धान, १७४ पौंड गेहूं (सिंचित) और १०८ पौंड गेहूं (असिंचित) की अतिरिक्त उपज हुई है ।

प्रति एकड़ २० पौंड नाईट्रोजन और २० पौंड फासफोरस के सम्मिश्रण के प्रयोग से ५१२ पौंड धान, ३३८ पौंड गेहूं (सिंचित) और १८९ पौंड (असिंचित) गेहूं की अतिरिक्त फसल हुई है ।

(२) औसतन १० से १५ प्रतिशत ।

अण्डे

†२९८. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में देश में (१) मुर्गी के तथा (२) बतख के कुल कितने अण्डे उत्पन्न हुए, और यह संख्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष की संख्या की तुलना में कैसी है ;

(ख) इन दो वर्षों में भारत में अण्डों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि कितनी है ; और

(ग) योजना काल में भारत में मुर्गी पालन उद्योग के विकास पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) १९५६ में देश में उत्पादित मुर्गी के अण्डों की कुल संख्या, जो कि १९५६ में की गई मुर्गी पालन उद्योग सम्बन्धी गणना पर आधारित है, लगभग १९०८० लाख है। यह संख्या १९५१ की संख्या की अपेक्षा ४२ प्रतिशत अधिक है। बतख के अंडों के सम्बन्ध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई ।

(ख) इन दो वर्षों में प्रति व्यक्ति के हिसाब से अण्डों की उपलब्धि निम्नलिखित थी :—

१९५१	३.७ अंडे
१९५६	५.३ अंडे

(ग) १९५५–५६ से पहले कोई भी केन्द्रीय मुर्गी पालन विकास योजना लागू नहीं थी। १९५५-५६ में मुर्गी पालन सम्बन्धी एक अग्रिम परियोजना प्रारम्भ की गई थी जिस पर २.०७ लाख रु० का खर्च आया था। १९५६–५७ में टी० सी० एम० सहायता के अन्तर्गत प्राप्त एक दिन की आयु वाले ३०००० मुर्गी के बच्चों के लाने तथा पालन पोषण पर ३.२८ लाख रु० खर्च किए गए और १०.२५ लाख रु० (९.२२ लाख रु० अनुदान के रूप में और १.०३ लाख ऋण के रूप में) विकास कार्य के लिए राज्यों को दिये गये ।

रिहांड बांध

†२९९. **श्री कालिका सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहाण्ड बांध के १९५९ तक निर्माण तथा पूरा हो जाने की प्रगति इसलिये रुक गयी है कि किन्हीं कारणों से विदेशों से सामग्री के संभरण में कमी हो गयी है ;

(ख) इस बांध के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को ऋण के रूप में जो विदेशी ऋण दिया गया है उस के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में यदि केन्द्रीय सरकार ने उस राज्य सरकार को कोई राशि दी है तो वह क्या है ; और

(ग) रिहाण्ड बांध पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है, वह राशि किन किन स्रोतों से प्राप्त हुई है और उस पर और कितनी राशि अभी और खर्च की जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) रिहांड बांध १९६१ में पूरा करने का लक्ष्य है न कि १९५९ में। राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक काम में कोई रुकावट नहीं आयी है, परन्तु यदि परियोजना के लिये आवश्यक वैदेशिक मुद्रा उपयुक्त समय पर प्राप्त नहीं हुई तो सम्भव है कि प्रगति में थोड़ी सी रुकावट आ जाये।

(ख) प्रविधिक सहयोग मिशन सहायता कार्यक्रम (टी० सी० एम० एड प्रोग्राम) के अधीन १९५५–५६ में ५५,३२,५०० रुपयों और १९५६–५७ में २,४६,९२,४४२ रुपयों की कीमत के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उनके अतिरिक्त निम्नलिखित ऋण उत्तर प्रदेश सरकार को परियोजना की कार्यान्विति के लिये दिये गये हैं :

वर्ष	राशि (रुपयों में)
१९५४–५५	८९,००,०००
१९५५–५६	३,००,००,०००
१९५६–५७	२,५०,००,०००
कुल	६,३९,००,०००

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दिसम्बर, १९४७ (जबकि कार्य प्रारम्भ किया गया था) से लेकर मार्च, १९५७ के अन्त तक परियोजना पर कुल १० करोड़ रुपये खर्च हुए जिसमें प्रविधिक सहयोग मिशन सहायता कार्यक्रम के अधीन प्राप्त उपकरणों की कीमत भी सम्मिलित है। १९५४–५५ से पूर्व परियोजना पर होने वाले खर्च को, अन्य विकास योजनाओं के खर्चों के समान ही राज्य सरकार ही वहन करती थी। १९५४–५५ के बाद यह खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जा रहे ऋणों में से ही पूरा किया जा रहा है। मार्च, १९५७ के बाद लगभग ३५ करोड़ रुपये की राशि और खर्च की जायेगी।

केन्द्रीय सड़क निधि

†३००. **श्री रा० ज० राव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से उड़ीसा राज्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** १९५६ के लिए ७,०७,४४८ रु० निर्धारित किए गए हैं।

तिनेलवेली से कन्या कुमारी तक रेलवे लाइन

†३०१. **श्री गणिपति :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिनेलवेली से कन्या कुमारी तक की रेलवे लाइन का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलों में बुकिंग की सुविधायें

†३०२. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर दरभंगा शाखा के रामभद्रपुर तथा बालुहा के क्रासिंग स्टेशनों के बीच यात्रियों को बुकिंग की सुविधा देने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). इन स्टेशनों पर यात्रियों तथा उनके सामान का बुकिंग शीघ्र ही प्रारम्भ करने का विचार है।

राज्य विद्युत बोर्ड

†३०३. **श्री ल० ना० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक किन किन राज्यों में विद्युत बोर्ड स्थापित हुए हैं ;

(ख) क्या इन राज्य विद्युत बोर्डों की स्थापना देहातों में बिजली लगाने के कार्यक्रम की गति बढ़ाने में लाभकारी सिद्ध हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बम्बई, केरल तथा दिल्ली संघ क्षेत्र ।

(ख) जी हां, ।

(ग) केरल बोर्ड, जो कि १–४–५७ में स्थापित हुआ था, के अतिरिक्त अन्य विद्युत बोर्डों द्वारा स्थापना के समय से ले कर अब तक, जिन ग्रामों में बिजली लगाई गई है उन की संख्या निम्न-लिखित है :—

मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड	२६७ (१९५६–५७ के अंत तक)
बम्बई राज्य विद्युत बोर्ड	९९ ग्रामों में सौराष्ट्र विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली लगाई गई । वह बोर्ड अब बम्बई बोर्ड में मिल गया है ।
पश्चिमी बंगाल	संख्या के सम्बन्ध में पूछताछ की जा रही है।
दिल्ली	९

पंजाब में गेहूं के भाव

†३०४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १ मार्च १९५५ और १९५६ अथवा किसी और तुलना योग्य तिथी की तुलना में १ मार्च १९५७ को गेहूँ का भाव कितना था ; और

(ख) इस समय के केन्द्रीय सरकार के पास गेहूँ का कुल कितना स्टाक है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४३]**

(ख) ११ मई, १९५७ को केन्द्रीय सरकार के पास ११५,००० टन गहूं का स्टाक था ।

व्यास नदी पर बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†३०५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ से १९५६–५७ तक के लिये (गुरदासपुर जिले) में व्यास नदी पर बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये कितनी राशि मंजूर की गई ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये वास्तव में कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ग) इन बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). गुरदासपुर जिले में व्यास नदी पर बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी केवल एक ही योजना है । वह योजना यह है कि मीरथल रेलवे पुल के नीचे एक बंद बनाया जाय । इस योजना के सम्बन्ध में क्षेत्र जांच की जा चुकी है और अनुमान है कि यह परियोजना राज्य प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) व्यास नदी की बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी योजनायें निम्न लिखित हैं : —

(१) "कांगड़ा ज़िला में इन्दौरा नगर को बाढ़ों से बचाना" यह योजना १९५६-५७ में प्रारम्भ की गई थी और लग भग पूरी होने को है।

(२) "गुरदासपुर ज़िले में मीरथल से प्रारम्भ होने वाले बाढ़ बंद का निर्माण" क्षेत्र जांच पूरी हो चुकी है और परियोजना का प्राकल्लन तैयार किया जा रहा है ; और

(३) "कपूरथला जिला मे ताहली से प्रारम्भ होने वाले बाढ़ बन्द का निर्माण" योजना की जांच की जा रही है ।

यात्री-सुविधा समिति

†३०६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री २५ मार्च, १९५७ के तारांकित प्रश्न ७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे दर्जे में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने भी उस पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, नहीं। यह प्रतिवेदन है तो तैयार, परन्तु समिति उसे प्रस्तुत करने से पूर्व ग्रीष्म काल में दी जाने वाली यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं की उपयोगिता का व्यावहारिक रूप से परीक्षण कर लेना चाहती है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सार्वजनिक टेलीफोन-घर (बिहार)

†३०७. **श्री ल० ना० मिश्र :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में बिहार के सहारसा, दरभंगा और पूर्निया के जिलों में किस किस स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन-घर खोलने लगाने की प्रस्थापना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (१) बनगांव (सहारसा ज़िला) और (२) फूल परस (दरभंगा ज़िला) के सम्बन्ध में प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है । यदि उन्हें वित्तीय दृष्टी से न्यायोचित समझा गया तो उन्हें इसी वर्ष मंजूरी दे दी जायेगी और वहां पर सार्वजनिक टेलीफोन-घर खोलने के सम्बन्ध में और आगे कार्यवाही भी की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटे सिंचाई कार्य

†३०८. **श्री ल० ना० मिश्र :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि छोटे सिंचाई कार्यों को भी राज्य के सिंचाई विभाग के अधीन ले लिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक किन-किन राज्यों ने इस प्रार्थना पर अमल किया है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†३०९. **श्री ल० ना० मिश्र :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां तक सम्बन्धित क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों का सम्बन्ध है, क्या सामुदायिक परियोजना प्रशासन, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों और राज्य सरकारों के सिंचाई विभागों में सबन्वय पैदा करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** सामुदायिक विकास मंत्रालय कुछ समय से सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों का राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के साथ जिनमें सिंचाई विभाग भी सम्मिलित हैं, समन्वय उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है। सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित छोटे सिंचाई कार्य सम्बन्धी सम्मेलन में ५ मार्च को समन्वय को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई थी। अप्रैल, १९५७ में मसूरी में हुए विकास आयुक्तों के छटे सम्मेलन में भी इस विषय पर चर्चा की गई थी। सम्मेलन ने निम्नलिखित सिफारिशें की है,

> "राज्य सरकारों को मंत्रणा दी जाती है कि वे सभी विभागों की छोटी योजनाओं का आयोजन और परीक्षण करने तथा विकास आयुक्त से सीधा सम्पर्क रखने के लिये आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था करें जिनमें कम से कम एक वरिष्ठ सिंचाई इंजीनियर हो।"

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली

†३१०. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली में हाल ही में पागल जानवरों द्वारा काटे हुए व्यक्तियों के इलाज में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न रसायनों के तुलनात्मक प्रभाव के सम्बन्ध में कोई प्रयोग किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रयोगों का क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां। १९५३–५५ में केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली में पागल जानवरों द्वारा काटे हुए जानवरों (केवल गिनी सूअरों) के इलाज में और न कि मनुष्यों के इलाज में विभिन्न रसायनों के तुलनात्मक प्रभाव के बारे में प्रयोग किये गये हैं।

(ख) इन प्रयोगों के परिणाम ये हैं :

(१) यदि विषाण अधिक प्रचण्ड हों तो जख्मों को साबुन के घोल से धोने या मैथिलेटेड स्पिरिट से धोने से बीमारी के बढ़ने को रोकने में कोई भी विशेष लाभ न होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसे विषाणु कम से से कम ८० प्रतिशत ऐसे जानवर मर जाते हैं जिनका इलाज न किया जाये । प्रथम उपचार से तो केवल विषाणु को धोने में ही सहायता मिलती है ; और इस से कुछ लाभ उस दशा में होता है जबकि विषाणु कम भयंकर होते हैं

(२) कारबालिक एसिड या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से ज़ख्मों को दागने से अत्यधिक तीव्र विषाणुओं से बचने में पर्याप्त सहायता मिलती है ।

(३) टिंचर आयोडीन का भी महत्व है परन्तु वह इतना प्रभावकारी नहीं है जितना कि कारबालिक एसिड या नाइट्रिक एसिड ।

(४) 'कटवेलन'[५] नामक एक शोधक दवाई के १ प्रतिशत घोल के प्रयोग से कोई विशेष लाभ नहीं होता ।

(५) संक्रामक रोग होने के चार घण्टे बाद, जख्म के स्थान पर हाइपर इम्यून एन्टी-रेबिक सीरम लगाने से कोई विशेष प्रभाव नहीं होता । जख्मों पर इनमें से किसी भी वस्तु के लगाने से केवल आंशिक रूप में ही लाभ होता है और इस लिये उनके बाद नियमित रूप से प्रत्यालर्क वैक्सीन उपचार[६] करना चाहिये ।

रेलवे के सियालदा-डनकुनी सेक्शन में गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†३११. **श्री साधन गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २५ जनवरी, १९५७ को पूर्व रेलवे के सियालदा-डनकुनी सेक्शन में एक गाड़ी पटरी से उतर गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) २५-१-१९५७ को लगभग ७.०५ बजे कलकत्ता नार्थ स्टेशन के प्वाईंट नं० ३२ पर नं० एस-१८२ डनकुनी-सियालदा लोकल पैसेंजर का इंजन पटरी से उतर गया था ।

(ख) गाड़ी के पटरी से उतरने का कारण यह था कि ड्राइवर सिगनल न होते हुए भी गाड़ी को आगे ले गया जिससे कि प्वाइंट, जो उस गाड़ी के लिये सेट नहीं थे, 'बर्स्ट' हो गये ।

रेल गाड़ी के माल के डिब्बे में आग की दुर्घटना

†३१२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत १४ अप्रैल, १९५७ की रात को कलकत्ता जाने वाली माल गाड़ी के एक डिब्बे का पहिया गर्म हो जाने के कारण पटना से ३० मील पूर्व में स्थित कोरवट स्टेशन के पास उसमें आग लग जाने से वह जल कर राख हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना का विवरण क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[५]Catavelon.

[६]Anti-rabic Vaccine Treatment.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). १४–४–५७ को लगभग २२–१० पर, जब हावड़ा की ओर जाने वाली नं० १४०० डाउन मालगाड़ी पूर्व रेलवे के दोहरी लाइन वाले दानापुर-झाझा सेक्शन के खुसरूपुर स्टेशन से गुज़र रही थी, गाड़ी के एक डिब्बे में से धुआं निकलता दिखायी दिया। गाड़ी करौटा स्टेशन पर रोक दी गई और जांच से पता चला कि इंजन से पांचवे डिब्बे, नं० ई० आर० ७००४१ में जो माल रखा था, उसमें आग लग गई है और उसमें से लपटें निकल रही हैं। उस डिब्बे को गाड़ी से अलग कर दिया गया और पटना से आग बुझाने का इंजन मंगा कर आग बुझा दी गयी इस दुर्घटना की जांच मण्डल वाणिज्य अधीक्षक, दानापुर ने की थी। उनका कहना है कि दुर्घटना के कारण का ठीक पता तो नहीं लग सका, लेकिन यह बात तय है कि आग धुरी गरम होने के कारण नहीं लगी ।

मैडिकल कॉलिजों में अफ़गान विद्यार्थी

†३१३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों के विभिन्न मैडिकल कालिजों में प्रतिवर्ष कितने अफ़गान विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पर्यटकों का यातायात

†३१४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से पर्यटकों के यातायात को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाहियां की गयी हैं और वे कहां तक सफल सिद्ध सिद्ध हुई हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) अमरीका से पर्यटक-यातायात को बढ़ाने के लिये जो कार्यवाहियां की गई हैं उनमें ये भी शामिल हैं : उस देश में पर्यटन सूचना कार्यालय खोलना एक—न्यूयार्क में और दूसरा सान-फ्रानसिस्को में; और यात्रा सम्बन्धी साहित्य के वितरण, समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में विज्ञापन, फिल्म शो, विंडो डिस्प्ले, फोटो प्रचार वार्ताओं तथा भाषणों, रेडियो, तथा टेलीविज़न कार्यक्रमों, सांस्कृतिक समारोहों, व्यापारिक मेलों और यात्रा-पुर प्रदर्शनियों तथा सम्मेलनों द्वारा भारत के दर्शनीय स्थानों का प्रचार करना । अमरीका में पर्यटक यातायात को हमारे अमरीका स्थित दो कार्यलयों द्वारा विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है । अमरीका से आने वाले पर्यटकों की संख्या १९५१ में ३५०० से बढ़ कर १९५५ में ११,०२८ हो गयी थी ।

बम्बई जल संभरण तथा जल निस्सारण

†३१५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई निगम ने राज्य सरकार के द्वारा (१) जल संभरण ; और (२) जल निस्सारण के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापनायें भेजी हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) वेतराना तथा टांसा जल संभरण योजना के सम्बन्ध में प्रस्थापनायें प्राप्त हुई हैं । जल-निस्सारण-योजना के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) योजना के लिये अभी तक ७.५ करोड़ रुपये का ऋण दिया जा रहा है ।

पंजाब में बाढ़-नियंत्रण

†३१६. **श्री दो० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्चिमोत्तर नदी आयोग (उप समिति) ने पंजाब में बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में सरकार को कोई सिफारिशें भेजी हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : इसका उत्तर नकारात्मक है । पश्चिमोत्तर नदी आयोग (बाढ़) द्वारा १९५६ में यह उपसमिति पंजाब की नदियों में अत्यधिक बाढ़ आने के कारणों की खोज करने के लिये ही नियुक्त की गयी थी और न कि राज्य में बाढ़ नियन्त्रण के लिये सिफ़ारिशें देने के लिये ।

पंजाब में चीनी के कारखाने

†३१७. **श्री दो० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में चीनी के कारखाने खोलने के लिये कोई नये लाइसेन्स दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कहां कहाँ के लिये ; और

(ग) क्या वे लाइसेन्स सहकारी संस्थाओं के लिये हैं या दूसरों के लिये ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां । सात लाइसेन्स दिये गये हैं ।

(ख) (१) रोहतक, ज़िला रोहतक

(२) पानीपत, ज़िला करनाल

(३) भोमपुर, ज़िला जालंधर

(४) मोस्का, ज़िला अम्बाला

(५) बटाला, ज़िला गुरदासपुर

(६) जगत जीत नगर, ज़िला कपूरथला

(७) धुरी, ज़िला संगरूर

(ग) पहले पांच लाइसेन्स सहकारी संस्थाओं के लिये हैं । अन्त के दो स्थानों के कारखाने संयुक्त स्कन्ध समवाय हैं और वे देश में बेकार पड़े हुये पुराने सयंत्रों के उपयोग से स्थापित किये गये हैं ।

मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में यकृत रोग

†३१८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में दिल्ली या नई दिल्ली में यकृत रोग के किन्ही केसों की कोई सूचना मिली है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** जनवरी से अप्रैल १९५७ तक प्रत्यक मास में दिल्ली और नई दिल्ली में यकृत रोग के जिन मामलों की सूचना मिली है, उनकी संख्या निम्न-लिखित है:—

मास	मामलों की संख्या
जनवरी	२९
फरवरी	१२
मार्च	९
अप्रैल	१
कुल	५१

रेडियो सेट

†३१९. **पंडित मु० बि० भार्गव :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि भारत में १९५० में कितने रेडियो सेट थे और १ अप्रैल, १९५७ को उनकी संख्या कितनी थी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : १९५० में रेडियो के ५,४६,७८५ लाइसेन्स जारी किये गये थे और १९५७ में १०,७५,०३० लांइसेन्स दिये गये हैं। इन संख्याओं से यह नहीं समझा जाना चाहिये कि इतने ही रेडियो का प्रयोग हो रहा है,। एक लाइसेन्स के अन्तर्गत एक से अधिक रेडियो भी रखे जा सकते हैं, परन्तु शर्त यह है कि वे एक ही इमारत में हों। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे रेडियो भी हो सकते हैं जिन का लाइसेन्स अभी तक बनवाया ही नहीं गया हो और उनके बारे में कुछ पता भी नहीं लग सकता ।

रेलवे की आय

†३२०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे किराये में वृद्धि होने से पूर्वोत्तर रेलवे यात्री आय पर कुछ प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) क्या यात्रियों द्वारा की जाने वाली औसत यात्रा में कुछ कमी हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) ;** (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां। कम फासले की यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात बढ़ जाने से इसमें कुछ कमी हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पर्यटक

३२१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में किन–किन देशों से पर्यटक भारत भ्रमण के लिए आये ;

(ख) वे कौन-कौन से स्थान देखने गये ;

(ग) क्या उन्हें यात्रा में किसी प्रकार की कठिनाई हुई ;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की ; और

(ङ) सरकार ने उन कठिनाइयों को कहां तक दूर कर दिया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) प्रत्येक पर्यटक द्वारा जिन २ स्थानों में देखा गया है उनके बारे में एक विस्तृत सूची देनी कठिन है। फिर भी साथ में लगे हुये विवरण में जो स्थान दिये गये हैं, मालूम हुआ है कि पर्यटकों ने उन स्थानों को काफी बड़ी संख्या में देखा है।

(ग) से (ङ). पर्यटकों द्वारा कुछ खास कठिनाइयाँ अनुभव की गईं। वे आमतौर पर ये हैं :–प्रवेश और प्रस्थान के संबन्ध में लम्बी २ शिष्टाचारपूर्ण कार्यवाहियां करना, हवाई यातायात और निवास स्थान की कमी, विश्राम–गृहों, डाक–बंगलों और रेलवे–विश्रामालयों में निवास स्थान प्राप्त करने में दुविधा, बहुत से होटलों में टेलीफून, वातानुकूलित कमरों, घंटियों आदि सुख सुविधाओं की कमी, होटल के बैरों, समृति–चिन्ह बेचने वालों और भिखारियों द्वारा अनुचित तौर पर तंग किया जाना, कुछेक स्थानों में शौचालय और स्नान–गृह आदि सुविधाओं की कमी, यात्रियों के चैकों और विदेशी मुद्रा विनिमय में पर्याप्त सुविधाओं की कमी और कुछ स्थानों में शराब के परमिटों को हासिल करना।

सरकार इन शिकायतों को दूर करने की लगातार कोशिश कर रही है। पिछले कुछ सालों से नाम दर्ज कराने और चुंगी आदि औपचारिक कार्यवाहियों की सख्ती में काफी कमी की गई है और फिर इन मामलों में सख्ती को और कम करने के प्रश्न पर लगातार जांच की जा रही है। होटल मालिकों से प्रार्थना की है कि वे अपने स्तर को सुधारें और पर्यटक विभाग द्वारा पर्यटकों को यथासम्भव सहायता दी जाय। पर्यटक विभाग का, राज्य सरकारों और पुराविद्या विभाग तथा दूसरे सभी सम्बन्धित संस्थाओं से नज़दीकी सड़कों, विश्राम–गृहों, मार्ग–दर्शक सेवाओं आदि के विषय में सम्पर्क स्थापित किया गया है।

विमानों का क्रय

†३२२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के उपयोग के लिये ब्रिटेन से अभी तक कोई विमान खरीदा है, और

(ख) यदि हाँ, तो कितने और किस प्रकार के विमान ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन ने १९५५ में केन्द्रीय सरकार की अनुमति से ब्रिटेन से ८ डी–हैवीलैण्ड हीरोन एयरक्राफ्ट खरीदे थे। कार्पोरेशन ने ब्रिटेन के मैसर्ज़ विकरज़ आर्मस्ट्रांग लिमिटिड को १० वाइकांडर विमानों के लिए और आर्डर दे दिया है जो कि जुलाई, १९५७ और अप्रैल, १९५८ के बीच मिल जाने चाहियें।

दिल्ली के कटरों का सुधार

†३२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक दिल्ली के कितने कटरों का सुधार किया जा चुका है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अप्रैल, १९५७ के अन्त तक १८७ कटरों का सुधार किया गया था।

रेलवे के इंजन डिब्बे

†३२४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में भारत में कुल कितने इंजनों, डिब्बों और माल डिब्बों का निर्माण हुआ था; और

(ख) उपरोक्त अवधि में निर्माण का लक्ष्य क्या था?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क)

(१) इंजन :

(क) बड़ी लाइन–१५६ डब्लु जी जोकि २०० औसत साइज़ के इंजनों के बराबर है।

(ख) मीटर लाइन–७७।

(२) सवारी डिब्बे : तीसरे दर्जे के १२३६ डिब्बे

(३) माल डिब्बे, १५,९८५।

(ख) (१) इंजन :

(क) औसत साइज़ के २०० बड़ी लाइन के इंजन।

(ख) मीटर लाइन के ७५।

(२) सवारी डिब्बे–तीसरे दर्जे के १३१७ डिब्बे।

(३) १६,००० माल डिब्बे।

मैसूर में राष्ट्रीय राजपथ

†३२५. **श्री वोडयार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५६ में मैसूर राज्य में राष्ट्रीय राजपथ बना देने के लिये कुल कितनी सड़क ली गयी; और

(ख) फ़रवरी, १९५७ के अन्त तक कुल कितने मील लम्बी सड़के बनाई गईं?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†परिवहन **तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) वर्तमान राजपथों में शामिल करने के लिये और कोई भी नयी सड़क नहीं ली गयी। १ नवम्बर, १९५६ से राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, पुनर्गठित मैसूर में राज्य में राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई बढ़कर ५३९ मील हो गयी है जब की पुनर्गठन से पहले केवल ३११ मील थी।

(ख) मैसूर राज्य में राष्ट्रीय राजपथों के भागों में कहीं भी सम्पर्क टूटा हुआ नहीं है और इसलिये पूरा करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

दिल्ली के बातावरण का गन्दा होना

†३२६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नई दिल्ली में डीज़ल गाड़ियों के काले धुएं से वातावरण गन्दा हो रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : जी हां, परन्तु दिल्ली में डीज़ल तेल से चलने वाली गाड़ियों से जितना धुआं निकलता है उस से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने का खतरा नहीं है।

गोकुलनगर रेलवे स्टेशन

†३२७. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे का गोकुलनगर स्टेशन बन्द कर दिया जायगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि इस स्टेशन से किसानों के अतिरिक्त हज़ारों कृषि मज़दूरों तथा अगणित सरकारी कृषि संस्थाओं को बहुत सी सुविधायें प्राप्त होती हैं ; और

(ग) क्या कुछ समय पहले इस के विस्तार के सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन थी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) गोकुलनगर फ्लैग स्टेशन को एक क्रासिंग स्टेशन बना देने की एक प्रस्थापना है। इस सम्बन्ध में इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या इस स्टेशन को किसी और स्थान पर ले जाना आवश्यक होगा।

(ख) जी नहीं। वास्तव में १९५४ में उस क्षेत्र में चीनी के कारखाने के बन्द होने के बाद वर्तमान गोकुलनगर स्टेशन से यात्रियों तथा माल का यातायात बहुत कम हो गया है और इस समय यह यातायात पर्याप्त नहीं है।

(ग) जी नहीं।

विदेशी सहायता

†३२८. **श्री झजन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कृषि के क्षेत्र में कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : भारत को मुख्यतया निम्नलिखित तीन स्रोतों से विदेशी सहायता प्राप्त होती रही है :—

(१) संयुक्त राष्ट्र संघ के विस्तृत प्रविधिक सहायता कार्यक्रम से।

(२) भारत-अमरीकी प्रविधिक सहकारी तथा विकास सहायता कार्यक्रम से।

(३) कोलम्बो-योजना से।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इन के अतिरिक्त भारत को पुनर्निर्माण तथा विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋणों के रूप में भी विदेशी सहायता मिलती रही है। यह सहायता फोर्ड फाउन्डेशन, जोकि अमरीकी का लाभ न कमाने वाला एक निगम है के द्वारा अनुदानों के रूप में प्राप्त हुआ है। इस के अतिरिक्त राकफेलर फाउन्डेशन तथा नार्वे सरकार और कई अन्य स्रोतों से भी यह सहायता प्राप्त होती है।

(१) विस्तारित प्रविधिक सहायता कार्यक्रम

विस्तारित प्रविधिक सहायता कार्यक्रम के अधीन भारत खाद्य तथा कृषि संघ से विदेशी विशेषज्ञों, विदेशों में प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्तियों और कृषि क्षेत्र में गवेषणा तथा प्रदर्शन कार्यों के लिये सहायक उपकरणों के रूप में प्रविधिक सहायता प्राप्त करता रहा है। इस प्रकार की सहायता का कार्य क्रम प्रत्येक पत्री वर्ष के लिये बनाया जाता है। १९५१ से १९५५ तक के पत्री वर्षों में खाद्य तथा कृषि संघ ने भारत को लगभग १५ लाख डालर की सहायता देने की व्यवस्था की थी।

(२) भारत-अमरीकी सहायता कार्यक्रम

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में भारत को अमरीकी सरकार से कृषि तथा सामुदायिक विकास के क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाली वस्तुओं के लिये ७५०.७ लाख डालर की सहायता प्राप्त हुई। इस राशि में यहां पर भेजे गये प्रविधिक व्यक्तियों पर आने वाला खर्च तथा उस सरकार द्वारा भारतीयों को प्रशिक्षण के लिये दी गई छात्रवृत्तियां सम्मिलित नहीं हैं।

(३) कोलम्बो योजना

(क) **कनाडा**

प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में कोलम्बो योजना के अधीन भारत को कृषि क्षेत्र में कनाडा के द्वारा ३५२,००० डालर की कुल पूंजी सहायता मिली थी। इस के अतिरिक्त कनाडा सरकार ने कोलम्बो योजना के अधीन बहुत से भारतीयों को प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें तथा कुछ एक विशेषज्ञ भी प्रदान किये हैं।

(ख) **आस्ट्रेलिया**

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में आस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत को कृषि के क्षेत्र में राष्ट्रीय डेरी गवेषणा संस्था, केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था तथा योजना संरक्षण क्वैरनटाईन तथा स्टोरेज निदेशालय के लिये लगभग ३६,५०० पौंड के उपकरणों के रूप में सहायता दी है।

(ग) **न्यूज़ीलैंड**

न्यूज़ीलैंड सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में देश में डेरी विकास योजनाओं के उपयोग के लिये लगभग २५०,००० पौंड की कुल सहायता दी है। उस सरकार ने कुछ एक विशेषज्ञों की व्यवस्था करने के अतिरिक्त बहुत से भारतीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें दी हैं।

(घ) **ब्रिटेन**

ब्रिटेन सरकार ने उस मंत्रालय की कुछ एक प्रविधिक संस्थाओं को गवेषणा तथा प्रदर्शन सम्बन्धी उपकरण प्रदान करना स्वीकार कर लिया है। इस सरकार ने कोलम्बो योजना के अधीन कुछ एक विशेषज्ञ तथा बहुत सी प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं की भी व्यवस्था की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) फोर्ड फाउन्डेशन

फोर्ड फाउन्डेशन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में भारत को कृषि के क्षेत्र में पदाधिकारियों को विदेशों में अध्ययन, दौरे करने के लिये खर्च तथा अन्य अनुदान देने के अतिरिक्त १,३६,००० रु० की सहायता ग्राम-विकास कार्यों के लिये भी दी है।

(५) नार्वे

नार्वे की सरकार ने १६५३-५४ में देश के आर्थिक विकास के लिये १०० लाख क्रोनर (७६ लाख रु०) देने स्वीकार किये थे। नार्वे सरकार इस बात से भी सहमत हो गई थी कि त्रावनकोर-कोचीन (वर्तमान केरल) राज्य में मत्स्य पालन तथा सामुदायिक विकास सम्बन्धी एक परियोजना प्रारम्भ की जाये, और उस ने इस परियोजना के लिये २७ लाख रु० की प्रारम्भिक राशि दी है।

नल-कूप

†३२६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में देश में सिंचाई के लिये लगाये गये ऐसे कितने नलकूप हैं जो इस समय चल रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार देश में कुल ४,६८४ नलकूप लगाये जाने थे। उन में से ४,२६१ कुल लग चुके हैं। ४,१५६ कुएं इस समय चल रहे हैं।

होम्योपैथी

†३३०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले पांच वर्षों में सरकार का रुझान होम्योपैथी प्रणाली के प्रसार और विकास पर व्यय बढ़ाने का रहा है ;

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : जी हां। प्रथम पंचवर्षीय योजना में होम्योपैथी संबंधी गवेषणा के लिये कुछ भी अनुदान नहीं दिया गया था। क्योंकि सरकार को जो योजनायें प्राप्त हुईं वे अधूरी थीं लेकिन केवल १६५५-५६ में ही इस चिकित्सा प्रणाली सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं के लिये २,४७,६१० रुपये की सहायता दी गई है।

खाद्य तथा कृषि संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग

३३१. **श्री स० चं० सामन्त**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य तथा कृषि संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग के बीच क्या सम्बन्ध है;

(ख) खाद्य तथा कृषि संगठन के १६५६ के सम्मेलनों में भारत की ओर से किसने भाग लिया ; और

(ग) खाद्य तथा कृषि संगठन के अधीन कितने भारतीय पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग खाद्य तथा कृषि संगठन की एक सहायक संस्था है। यह खाद्य तथा कृषि संगठन के ऐसे सदस्य देशों में, जो अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग से अनुषक्त होते हैं, चावल सम्बन्धी गवेषणा और विकास-कार्य को, जिस में एशिया और सुदूर-पूर्व की समस्याओं पर, जिन में चावल की नई-नई किस्में निकालने, उर्वरक, उत्पादन, संरक्षण और चावल का विधायन भी शामिल है, काफी जोर दिया जाता है, समन्वित करता और बढ़ाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलनों, परिषद्, कृषि पदार्थों की समस्याओं सम्बन्धी समिति[4] आदि की १९५६ में हुई बैठकों में निम्नलिखित ने भारत का प्रतिनिधित्व किया :

क्रमांक	बैठक का नाम	प्रतिनिधि का नाम
१	खाद्य तथा कृषि संगठन तथा कार्यों का अध्ययन करने के लिये विशेष रूप से नियुक्त समिति—रोम, २४-४-५६ से १-५-५६	श्री जे० वी० ए० नेहैमिया, सचिव, भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ।
२	कृषिपदार्थों की समस्याओं पर विचार करने वाली समिति का २७वां अधिवेशन —रोम । १८-६-५६ से २९-६-५६	डा० एस० आर० सेन, आर्थिक और सांख्यकीय परामर्शः दाता ।
३	खाद्य तथा कृषि संगठन की परिषद् का २४वां अधिवेशन—रोम में । ३-९-५६ से १५-९-५६	१. श्री बी० आर० सेन, जापान में भारतीय राजदूत—नेता । २. श्री जे० एन० खोसला, अधिदूत, प्रैग ।
४	तीसरा विशेष सम्मेलन अधिवेशन, रोम में १०-९-५६ से २२-९-५६	३ श्री जे० वी० ए० नेहेमिया, सचिव, भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् । ४. श्री टी० एन० गुलराजानी, कृषि-सचिव, भारतीय दूतावास, रोम ।

(ग) खाद्य तथा कृषि संगठन में, संगठन के महा निदेशक को मिला कर कुल १५ भारतीय पदाधिकारी काम कर रहे हैं ।

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्

†३३२. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् को गवेषणा कार्य के लिये १९५६-५७ में उपकर-निधि से कितनी राशि मिली है ;

(ख) इसी अवधि में विभिन्न कृषि-वस्तु समितियों से कितना उपकर मिला और उसे किस प्रकार से व्यय किया गया ; और

(ग) क्या १९५६ में कोई नया उपकर लगाया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) उपकर वसूली सम्बन्धी आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं । इस के अनुसार ११५६-५७ में ४३,२७,७९० रु० उपकर वसूल किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[4]Committee on Commodity Problems.

(ख) विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३ अनुबंध संख्या ४४]

(ग) जी नहीं ।

डाक और तारघरों के कर्मचारी

†३३३. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तारघरों के कर्मचारियों की संख्या में जो वृद्धि की गई है वह हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में खोले गये डाक और तारघरों की तुलना में बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की जाने वाली है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डाक और तारघरों को जो फार्म दिये जाते हैं वह भी बिल्कुल अपर्याप्त होते हैं और इन फार्मों को छापने के लिये जिस कागज़ का प्रयोग किया जाता है वह बहुत ही घटिया किस्म का है ; और

(घ) क्या डाक-तार विभाग अपने काम के लिये छापेखाने खोलने वाला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं । निम्नलिखित आंकड़ों से यह पता चल जायेगा कि कर्मचारियों की संख्या में भी तद्नुरूप वृद्धि हुई है :—

	डाक और तारघरों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
३१-३-१९४८ . . .	३३,१७४	१,४९,२६६
३१-३-१९५६ . . .	७०,६३५	२,७६,३८३

(ख) यह उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) क्योंकि मौजूदा सरकारी प्रैस डाक और तार विभाग के तेजी से होने वाले विस्तार का साथ नहीं दे पाते इसलिये संभरण की स्थिति संतोषप्रद नहीं रही है । फार्म छापने के लिये प्रयोग किये जाने वाला कागज अब बढ़िया किस्म का हो गया है क्योंकि डाक और तार विभाग सफेद कागज प्राप्त करने के सरकारी स्रोतों को ध्यान में रखते हुए सभी फार्मों को सफेद कागज़ पर छापने के अपने निर्णय को कार्यान्वित कर रहा है ।

(घ) प्रत्येक सर्किल के प्रधान को एक-एक जाब प्रैस देने के प्रश्न पर फार्मों के संभरण और छपाई सम्बन्धी अन्य विषयों के बारे में एक उच्च शक्ति फार्म समिति द्वारा निश्चय किया जायेगा । आशा है कि यह समिति जल्दी ही कार्य आरम्भ कर देगी ।

सफदरजंग अस्पताल में नर्सों का मैस

†३३४. **श्री वारियर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में नर्सों का कोई मैस है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसे कौन चलाता है ;

(ग) क्या मैस के सदस्यों को उस के प्रबन्ध और नियंत्रण में दखल देने का अधिकार है ;

(घ) मैस के सदस्यों से कितना शुल्क वसूल किया जाता है ; और

(ङ) क्या मैस का हिसाब सदस्यों को दिखाया जाता है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) यह होम सिस्टर की सहायता से मैट्रन द्वारा चलाया जाता है ।

(ग) मैस का नियंत्रण और प्रबन्ध अन्तिम रूप से अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट के हाथ में होता है । नस मैस की बैठकों में मैस के प्रबन्ध और नियंत्रण के बारे में सुझाव दे सकती हैं । सुपरिंटेंडेण्ट ने यह भी हिदायत दे दी है कि एक मैस समिति बना कर तीन नर्सों को उस का सदस्य चुन लिया जाये ।

(घ) सदस्यों से ५०) रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमास वसूल किये जाते हैं ।

(ङ) मैस के हिसाब की एक प्रति नर्सों की जानकारी के लिये मैस के सूचना-पट्ट[१] पर टांग दी जाती है और नर्सों को हिसाब देखने का अवसर भी प्रदान किया जाता है ।

छपरा स्टेशन पर रेल के ऊपर का पुल

३३५. श्री म० ना० सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि छपरा कचहरी स्टेशन के पश्चिमी फाटक पर यातायात के काफी बढ़ जाने के कारण लोगों को माल गाड़ियों के शंटिंग और डिब्बे आदि जोड़ने के कारण बहुत असुविधा होती है ; और

(ख) क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये रेलवे लाइन के ऊपर एक पुल बनाने का प्रबन्ध करेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार को मालूम है कि लोगों को कुछ कठिनाई हो रही है । लेकिन इस की वजह यह नहीं है कि समपार से गुजरने वाला रेल या सड़क यातायात बढ़ गया है । कठिनाई की वजह यह है कि यार्ड के विस्तार के कारण समपार यार्ड के अन्दर आ गया है, इसलिये मार्शलिंग और शंटिंग के समय इस का फाटक बन्द रखना पड़ता है ।

(ख) जी नहीं । ऊपरी पुल बनाना ज़रूरी नहीं मालूम होता । लेकिन समपार को यार्ड से हटाने के लिये, उसे पश्चिम की ओर लगभग ७४० फीट की दूरी पर बनाने का विचार है । इस से सड़क यातायात में जो रुकावट पड़ती है, वह कम हो जायेगी और आजकल जनता को जो कठिनाइयां हो रही हैं वे भी कम हो जायेंगी ।

स्टेशन मास्टरों की परीक्षा

३३६. श्री म० ना० सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि पूर्वोत्तर रेलवे में हाल ही में सहायक स्टेशन मास्टरों और सिगनेलरों की भर्ती के लिये एक परीक्षा हुई थी और बनारस तथा अन्य परीक्षा केन्द्रों के परीक्षार्थियों को पहले से ही परीक्षा-पत्र ज्ञात हो गये थे ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

१. Notice Board.

(ख) क्या सरकार का इस परीक्षा के आधार पर भर्ती करने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार इस की जांच करेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां, पता चला है कि कुछ केन्द्रों में इम्तहान से पहले पर्चा आउट हो गया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है ।

गाड़ियों के ठहराव[10]

३३७. **श्री म० ना० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि बिहार की जनता की निरन्तर मांग के बावजूद भी ३२१ अप और ३२२ डाउन रेल गाड़ियां पूर्वोत्तर रेलवे के मंजीघाट रिविलगंज घाट, और रिविलगंज स्टेशनों पर नहीं रुकतीं ; और

(ख) क्या सरकार का इन स्टेशनों पर इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख), ३२१ अप और ३२२ डाउन गाड़ियों को रिविलगंज घाट, रिविलगंज और मांझी स्टेशनों पर ठहराने के सवाल पर फिर विचार किया जा रहा है ।

रेलवे में हिन्दी फार्मों का प्रयोग

३३८. **श्री म० ना० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेलवे टिकटों के समान जिन में अंग्रेजी के साथ हिन्दी भी दी हुई होती है टिकट-घर, टी० टी० ई०, पार्सल, गोदाम आदि में प्रयोग किये जाने वाले फार्मों को कम से कम हिन्दी भाषी राज्यों की जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि की जनता की सुविधा के लिये हिन्दी में भी जारी करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ये कब जारी किये जायेंगे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां । कुछ चुने हुए अंग्रेजी-हिन्दी फार्म सभी भारतीय रेलों में जारी करने का विचार है । इन फार्मों की पहली किस्त में अग्रेषण नोट[11], माल-बीजक[12], रेलवे रसीद, पार्सल रवन्ना[13], जोखिम नोट फार्म[14] और क्षतिपूर्ति नोटों[15] की कुछ किस्में शामिल हैं ।

(ख) भाग (क) के उत्तर में जो फार्म बताये गये हैं उन के अंग्रेजी-हिन्दी नमूने[16] रेल-प्रशासनों को जल्द भेजे जायेंगे, और आशा है कि अगले कुछ महीनों में ये फार्म जारी कर दिये जायेंगे ।

---

[10]Train Halts.
[11]Forwarding Notes.
[12]Goods Invoices.
[13]Parcel way-bills.
[14]Risk note-forms.
[15]Indemnity note
[16]Proformas.

†मूल अंग्रेज़ी में

अखिल भारतीय मत्स्य-पालन सम्मेलन

†३३९. { श्री वें० प० नायर :
श्री कोडियान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के तत्वावधान में १९५६ में मद्रास में एक अखिल भारतीय मत्स्य-पालन सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन ने क्या सिफारिशें कीं और कौन से संकल्प स्वीकार किये ; और

(ग) भारत सरकार ने अब तक कौन सी सिफारिशें और संकल्प (१) स्वीकार किये हैं; और (२) लागू किये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां । यह सम्मेलन १९ सितम्बर से २१ सितम्बर १९५६ तक हुआ था ।

(ख) सम्मेलन के कार्यवाही के विवरण को, जिसमें उस की सिफारिशें और संकल्प दिये हुए हैं, प्रतियां संसद्-पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ग) भारत सरकार ने सम्मेलन की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं । उन्हें राज्यों और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को, जहां तक उन का सम्बन्ध है, आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेज दिया गया है । जहां तक भारत सरकार से उन का सम्बन्ध है, ये सिफारिशें कार्यान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

समुद्री मीन-क्षेत्र

†३४०. { श्री वें० प० नायर :
श्री कोडियान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में समद्री मीन-क्षेत्रों में पकड़ी गई मछलियों की तुलना में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में कितनी मछलियां पकड़ी गईं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में समुद्री मीन-क्षेत्रों में पकड़ी गई मछलियों के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । इस-लिये तुलना नहीं की जा सकती ।

झींगा आदि का निर्यात

†३४१. { श्री वें० प० नायर :
श्री कोडियान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र-पार के देशों के बाज़ार में बर्फ में दबे भारतीय झींगा, केंकड़े और मेंढ़क के मांस की अच्छी मांग है ; और

---

† मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इन खाद्य-वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये यदि भारत सरकार कोई कार्यवाही कर रही हो तो वह क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां, अमरीका में अच्छी मांग है ।

(ख) भारत सरकार बर्फ, शीतकोठार संयंत्रों, यातायात और बड़े आकार की झींगा को बर्फ में दबाने और संग्रह करने सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिये सुविधायें प्रदान करती रही है । झींगा को पकड़ने के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारें, खाद्य तथा कृषि संगठन, कोलम्बो योजना और भारत नार्वेजियन मीन-क्षेत्र सहायता कार्यक्रमों के अधीन दिये गये विशेषज्ञों की सहायता से अन्वेषण की दृष्टि से भी मछलियां पकड़वाती हैं । मछली पकड़ने के उद्योग के साधनों और विधायन[17] सम्बन्धीं पहलुओं के बारे में गवेषणा करने के लिये कोचीन में एक मीन-क्षेत्र प्रौद्योगिकीय गवेषणा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है । इस प्रकार के अनुसन्धान से अधिक झींगों का पकड़ना संभव होगा और जमी हुई झींगा के व्यापार के लिये उपयुक्त झींगों के संरक्षण के बेहतर तरीके निकाले जा सकेंगे ।

कच्चे काजुओं के बारे में आत्मनिर्भरता

†३४२. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री कोडियान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किये हुए कच्चे काजुओं पर निर्भर रहने के कारण काजू-उद्योग में समय समय पर आने वाले संकट को ध्यान में रखते हुए भारत को कच्चे काजुओं के बारे में आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी हां ।

(ख) राज्य-सरकारों को ऋणों और राज-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दे कर वन तथा अन्य क्षेत्रों में काजू की खेती का विकास करने के लिये कार्यवाही की जा रही है । राज्य सरकारों से अतिरिक्त सरकारी और गैर-सरकारी जमीन में इस की खेती के लिये १५०) रु० प्रति एकड़ की दर से और राज्य कृषि विभागों के अतिरिक्त प्रविधिक कर्मचारियों के और नई पौधशालाओं के चलाने के आवर्त्तक व्यय का ५० प्रतिशत पूरा करने के लिये राज सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है । वन क्षेत्रों में काजू की खेती बढ़ाने के लिये भी राज्य सरकारों को ऋण देने का प्रस्ताव किया गया है ।

गैर-वन क्षेत्रों सम्बन्धी योजनाओं के व्यय में केन्द्रीय सरकार के अंश को पूरा करने के लिये १९५७-५८ कीं आय-व्ययक प्रस्थापनाओं में ६.७७ लाख रुपयों का उपबन्ध किया गया है (जिनमें ऋण देने के लिये ५ लाख रुपये भी शामिल हैं)। मद्रास और केरल के वन-क्षेत्रों के लिये राज्यों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल ७०.३२ लाख रुपयों का उपबन्ध किया गया है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

17. Processing.

अधिक उपज करने वाली किस्म के पौधों को उगाना और उन का वितरण करना तथा उत्पादकों को प्रविधिक सलाह देना इस योजना की मुख्य विशेषतायें हैं ।

यह आशा की जाती है कि अधिक भूमि में काजू की खेती द्वारा कच्चे काजुओं का उत्पादन १९६०-६१ तक ८०,००० टन से बढ़ कर १,०६,००० टन हो जायेगा ।

खाद्यान्नों का बन्दरगाहों पर उतारा जाना

†३४३. { श्री वें० प० नायर :
श्री कोडियान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन बन्दरगाह पर खाद्यान्न उतारने और वहां से "वेलभमों" (देशी नावों) द्वारा केरल के विभिन्न भागों में पहुंचाने का ठेका बढ़ाये जाने वाला है ;

(ख) ठेकेदार इस समय किस दर पर यह काम कर रहा है ;

(ग) क्या ठेकेदार ने इस काम को उप-ठेके पर किसी को दे दिया है ;

(घ) यदि हां तो उस ने अपने लिये कितना मुनाफ़ा बचाया है ; और

(ङ) क्या ठेके में इस आशय की कोई व्यवस्था है जो ठेकेदार को अपना काम उप-ठेके पर अन्य किसी को देने से रोकती हो ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) इस समय उसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) यह दर १ आना १० पाई प्रतिटन प्रतिमील है ;

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) ऊपर भाग 'ग' के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) जी हां ।

पुनलूर-के कुलम रेलवे लाइन

†३४४. { श्री वे० प० नायर :
श्री कोडियान :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में पुनलूर से केयंकुल तक एक रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में इस समय क्या स्थिति है ; और

(ग) क्या इस लाइन के लिये यातायात और इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कर लिये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग), उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विभागातिरिक्त डाक घर

३४५. **श्री म० ना० सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दी हुई हों :

(क) कितने विभागातिरिक्त डाक घर दो वर्ष या इससे अधिक समय से और कितने एक वर्ष या इस से अधिक समय से चल रहे हैं ;

(ख) इनमें से कितने डाकघर स्वावलम्बी हैं ; और

(ग) कितने विभागातिरिक्त डाकघर घाटे में चल रहे हैं और कब से ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दो वर्ष या इससे अधिक समय से चल रहे अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की संख्या ४२,२०२ है। एक वर्ष या इससे अधिक काल से चल रहे ऐसे डाकघरों की संख्या (जिनमें वे डाकघर भी सम्मिलित हैं, जो दो वर्ष से अधिक काल से चल रहे हैं) ४७,४६८ हैं ; अर्थात् ५,२६६ वे अतिरिक्त विभागीय डाकघर हैं, जो एक वर्ष से अधिक पर २ वर्ष से कम अवधि से चल रहे हैं।

(ख) ३१,५४५ अतिरिक्त विभागीय डाक घर स्थायी हैं । सामुदायिक रूप से इन डाकघरों को डाक-तार विभाग की आवश्यकतायों को पूरा करने के प्रयोजन से स्वावलम्बी कहा जा सकता है। जब डाकघरों के परियात [१८] तथा आय में इतनी वृद्धि हो जाती है कि उन में से प्रत्येक डाकघर द्वारा उठायी जाने वाली हानि २५० रुपये वार्षिक से कम हो जाये, तो उनको स्थायी कर दिया जाता है ; चूंकि देखने में आया है कि कुछ काल के अनन्तर उन्हें स्वावलम्बी करार देने के लिये उनकी आय में वृद्धि होती जाती है ।

(ग) ऐसे डाकघरों के खोले जाने की तारीख से १५,९२३ डाकघर २४० रुपये वार्षिक हानि पर चल रहे हैं ।

रेलवे में प्रथम श्रेणी की नौकरियां

†३४६. **श्री ज० रा० मेहता :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २३ फरवरी, १९५६ को भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग, यातायत और लेखा विभागों में प्रथम श्रेणी की नौकरियों में कितने स्थान खाली थे ;

(ख) उसके बाद से कितने स्थान खाली हुए हैं ; और

(ग) अब तक कितने स्थान भरे गये हैं और निम्नलिखित श्रेणियों में उनका वितरण किस ढंग से किया गया है :

(१) प्रथम श्रेणी में सीधे भरती ।

(२) द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में पदोन्नति ।

(३) भूतपूर्व राज्य-पदाधिकारियों के लिये विशेष रूप से सुरक्षित १६$^{२}/_{३}$ प्रतिशत के कोट में उन पदाधिकारयों को पदोन्नति, जिन पर समान स्तर पर लाने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[१८]Traffic.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) से (ग) विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४५]**

प्रतिष्ठित विदेशी व्यक्तियों के लिये स्पेशल रेलगाड़ियां

३४७. **श्री जांगड़े :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में प्रतिष्ठित विदेशी व्यक्तियों तथा शिष्ट-मंडलों के लिये कितनी विशेष रेल गाड़ियां चलाई गईं ;

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) विशेष गाड़ियों में भोजन व्यवस्था पर कितना व्यय हुआ ।?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

टिकट निरीक्षक[19]

†३४८. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टिकट निरीक्षकों से इस आशय का आवेदन प्राप्त हुआ है कि उन्हें भी अत्यंत आवश्यक कर्मचारियों[20] की श्रेणी में शामिल कर लिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार टिकट निरीक्षकों को अत्यंत आवश्यक कर्मचारियों की श्रेणी में शामिल करने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क)जी हां; उत्तर और दक्षिण रेलवे के गाड़ियों के साथ चलने वाले टिकट निरीक्षकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

नदी घाटी परियोजनाओं में अन्तर्देशीय जल परिवहन

†३४९. **श्री सें० वें० रामस्वामी:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं में अन्तर्देशीय जल परिवहन सुनिश्चित करने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ; और

†(ख) क्या नदियों और नहरों में चलने वाली नावों आदि का आना जाना आसान बनाने के लिये हमारी किसी नदी घाटी परियोजना में अमरीका के टेनेसीवैली एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जलावरोधों[21] की प्रणाली रखी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[19]Ticket Examiners.

[20]Essential Staff.

[21]Locks.

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसके अनुसार भारत की सभी नदी घाटी परियोजनाओं में नौवहन-सम्बन्धी सुविधायें देना आवश्यक हो। परन्तु, दामोदर घाटी और तुंगभद्रा परियोजना की कुछ नहरों में नौवहन सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है।

(ख) दामोदर घाटी परियोजना में दुर्गापुर बांध से हुगली तक की ८५ मील लम्बी नौवहन नहर में २२ जलावरोधों की व्यवस्था की गयी है। नयी नदी घाटी परियोजनाओं में ऐसी कोई और नौवहन नहर नहीं है जिसमें जलावरोधों की व्यवस्था हो।

डिब्बों की लागत

३५०. { **श्री सिंहासन सिंह :**
श्री महादेव प्रसाद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी तथा वायु-अनुकूलित रेलवे डिब्बों के निर्माण पर क्या लागत आती है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६]**

कोटा रेलवे स्टेशन

†३५१. **श्री ओंकार लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा रेलवे स्टेशन के परे प्लेटफार्मों के दोनों ओर शेड डालने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं। परन्तु यात्री सुविधाओं सम्बन्धी रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदाता समिति ने प्लेटफार्मों को १९५७–५८ में ऊपर से छा देने का प्रस्ताव काफी निचली प्राथमिकता पर स्वीकार कर लिया था। परन्तु धन की कमी के कारण इस कार्य को टाल देना पड़ा। रेलवे प्रयोक्ता परामशदातृ समिति ने इस कार्य को १९५८–५९ के कार्यों में सम्मिलित करने के लिये विचार किया था, परन्तु इस अवधि के लिये जो राशि दी गयी थी उसमें उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है। अब १९५९-६० के कार्यों में शामिल करने के लिये इस प्रस्थापना पर विचार किया जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर रेलवे में वाणिज्यिक निरीक्षक[२२]

†३५२. **श्री पन्नालाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई स्थान रिक्त रहने पर भी १९५२ से उत्तर रेलवे में वाणिज्यिक निरीक्षकों के पद के लिये चुनाव नहीं किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[२२]Commercial Inspectors.

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में जो कर्मचारी पिछले दो वर्षों से वाणिज्यिक निरीक्षकों के पद पर काम कर रहे थे उन्हें हाल ही में हटा कर उनके स्थान पर इस पद के लिये कोई चुनाव किये बिना ऐसे व्यक्तियों को रख लिया गया है जिनका नाम तालिका में नहीं है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पहले इन स्थानों के लिये अस्थायी रूप से जो नियुक्तियां की थीं, उन्हें हटाकर फिर अस्थायी रूप से ही नियुक्तियां कर दी गई हैं, उम्मीदवारों का चुनाव नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). जी हां ।

(घ) जब तक चुनाव नहीं होता तब तक की अवधि में पात्र श्रेणियों के वरिष्ठ कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने की दृष्टि से ।

उड़ीसा में नयी रेलवे लाइनें

†३५३. **श्री पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** जी हां । इस समय उड़ीसा में निम्नलिखित नई लाइनों का निर्माण हो रहा है ;

(१) नावमंडी-वंशपाणि ।

(२) रूरकेला (बोंडा मुंडा)—डुमरांव ।

पकला-धर्मवरम् सैक्शन पर नल्लाचेरा पर गाड़ी का ठहराव (हाल्ट)

†३५४. **श्री राम कृष्ण रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता द्वारा इस बात की बड़ी मांग की जा रही है कि दक्षिण रेलवे के पकलाधर्मवरम् सैक्शन पर नल्लाचेरवा गांव के निकट एक फ्लैग स्टेशन अथवा ठहराव (हाल्ट) बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) १९५४ और १९५५ में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) इस मामले के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की गयी थी और यह देखा गया था कि जिस स्टेशन अथवा ठहराव की मांग की गयी थी उसके लिये पर्याप्त औचित्य नहीं है ।

गुण्टाकल-मदाकसीना रेलवे लाइन

†३५५. **श्री राम कृष्ण रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गुण्टाकल को, उर्वकोण्डा और कल्याण दुर्ग हो कर मदाकसीना से जोड़ने वाली नयी रेलवे लाइन बिछाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टनकल्ला में सार्वजनिक टेलीफोन-घर

†३५६. **श्री राम कृष्ण रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में टनकल्ला में एक सार्वजनिक टेलीफोन-घर खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब खोला जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). इस प्रस्ताव के बारे में छानबीन की जा रही है । यदि इससे विभाग को हानि न होती होगी, या हानि होने की स्थिति में यदि कोई उतनी ही धन चुकाने की गारंटी कर देगा तो इसे मंजूर कर लिया जायेगा ।

बंगलौर-मसुलीपट्टम सैक्शन पर गाड़ियों का समय से पीछे चलना

†३५७. **श्री राम कृष्ण रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी रेलवे के बंगलौर और मसूलीपट्टम सैक्शन पर पिछले छः महीनों से गाड़ियां समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि धर्मवरम् के विधिजीवी संघ [११] ने इस सम्बन्ध में एक संकल्प स्वीकार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को ऐसे किसी संकल्प का पता नहीं है ।

(ग) १ अप्रैल, १९५७ से पहले इस सैक्शन की यात्री गाड़ियों के ठीक समय से चलने सम्बन्धी स्थिति संतोषप्रद नहीं थी । स्थिति में सुधार करने के लिये गाड़ियों को समय से चलाने का आन्दोलन तेजी से चलाया गया है । तब से स्थिति में सुधार हुआ है और आगे और भी सुधार होने की आशा है ।

रेनीगुंटा और हैदराबाद के बीच एक्सप्रेस गाड़ी

†३५८. **श्री राम कृष्ण रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी रेलवे पर रेनीगुण्टा और हैदराबाद के बीच धर्मवरम्, गुण्टाकल और द्रोणचलम् होते हुए एक एक्सप्रैस गाड़ी चलाने की मांग की गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[११]Bar Association.

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या यह सच है कि आंध्र सरकार ने भी ऐसी गाड़ी चलाने की सिफारिश की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). केवल आंध्र प्रदेश की सरकार से इस आशय की सिफारिश मिली थी ।

(ख) इस सम्बन्ध में स्थिति की जांच कर ली गयी है और इससे पता लगा है कि इन सैक्शनों पर यातायात इतना नहीं है कि इस प्रकार की ट्रेन सर्विस को खोलना उचित ठहराया जा सके ।

हिन्दूपुर–गुण्टाकल के बीच शटल गाड़ी चलाना

†३५९. **श्री रामकृष्ण रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि दक्षिणी रेलवे के हिन्दूपुर और गुण्टाकल के बीच बहुत यातायात होता है, डाक गाड़ियों में भीड़ से बचने और इन दोनों महत्वपूर्ण स्टेशनों को मिलाने के लिये एक शटल सर्विस अथवा डीजलचालित डिब्बे की सर्विस चलाई जाने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : डिब्बों और इंजनों की कमी के कारण अतिरिक्त सवारी गाड़ियां शुरु करने के लिये प्राथमिकता केवल उन्हीं सैक्शनों को दी जाती है जहां अत्यधिक भीड़भाड़ होती हो, और यहां की भीड़भाड़ के परिणाम को ध्यान में रखते हुए गुण्टाकाल और हिन्दूपुर के बीच शटल-ट्रेन सर्विस या डीजल चालित डिब्बे की सर्विस चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय अनाज गोदाम

३६०. { **श्री श्रीनारायण दास** :
पंडित मु० बि० भार्गव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में, विशेषतया बिहार में, केन्द्रीय अनाज गोदाम कहां कहां और कितने हैं ;

(ख) मार्च, १९५७ में उन गोदामों में कितना अनाज था ; और

(ग) इन गोदामों के प्रमुखों का क्या दर्जा रहता है और इनके कर्त्तव्य और कृत्य क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). केन्द्रीय अनाज गोदामों के केन्द्रों का एक विवरण साथ में नत्थी किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४७]**

(ग) छोटे गोदामों का एक प्रमुख गोदाम नान-गजटी सूपरिन्टेडेंट जिसका वेतन स्केल रु० २५०—३२५ है, होता है। जहां अधिक स्टाक है अथवा कोई अन्य विशेष कारण है, वहां गजटी अधिकारी, सहायक निदेशक के तुल्य पद वाला, (वेतन स्केल रु० ३५०—८५०) रखा जाता है। उनका कृत्य गोदाम का प्रबन्ध करना और अनाज का लेना तथा देना है। गोदामों पर रीजनल डाइरेक्टर का सर्वांग निरीक्षण रहता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में रेलवे का विस्तार

†३६१. **श्री अमजद अली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन आसाम में रेलवे का विस्तार करने के लिये जो योजना तैयार की गयी थी क्या आसाम राज्य में किसी स्थान पर तेल-शोधक कारखाने की स्थापना से उस में कुछ गड़बड़ी हो जायेगी ; और

(ख) क्या आसाम के तेल-क्षेत्रों के लिये तेल-शोधक कारखाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी विस्तार योजना का पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). आसाम में निकाले गये तेल का शोधन करने के लिये एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में रेलवे सम्बन्धी जिन सुविधाओं की आवश्यकता है, उन्हें रेलवे की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिये, अतिरिक्त यातायात के लिये अलग से प्रबन्ध करना आवश्यक होगा और यह इस बात पर निर्भर होगा कि तेल-शोधक कारखाने की स्थापना किस स्थान पर की जाती है।

खाद्यान्नों से लदे स्टीमर

†३६२. **श्री ईश्वर अय्यर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खाद्यान्नों से लदे स्टीमर नियमित रूप से त्रिवेन्द्रम की वलियथुरा अवतरणी[24] पर नहीं आते ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मौसम की स्थिति, स्थानीय आवश्यकताओं और संग्रह करने के स्थान के खाली होने आदि सभी सम्बन्धित बातों का ध्यान रखते हुए जब भी त्रिवेन्द्रम को माल उतारने के केन्द्र के रूप में निश्चित किया जाता है तभी त्रिवेन्द्रम् में आने वाले स्टीमरों के लिये वहां की वलियाथुरा अवतरणी का प्रयोग किया जाता है और वहां खाद्यान्न उतारा जाता है।

खण्ड विकास पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

†३६३. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खंड विकास पदाधिकारियों की कमी के कारण खोले गये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों को चलाया नहीं जा सका ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय पश्चिमी बंगाल में ऐसे कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गाड़ियों के साथ चलने वाले टिकट कलेक्टर

३६४. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अनाज की दुकानों (ग्रेन शाप) के काफी कर्मचारियों को दक्षिण-पूर्व रेलवे में गाड़ियों के साथ चलने वाले टिकट कलेक्टरों के रूप में रख लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[24] Pier.

[25] Block Development Officers.

(ख) यदि हां, तो क्या इनको नियुक्त करने से पहले टिकट कलेक्टरों के लिये अपेक्षित अर्हताओं का विचार कर लिया गया था ;

(ग) क्या ये टिकट कलेक्टर अनाज की दुकानों में अस्थायी नौकरियों पर नियुक्त थे ; और

(घ) उस रेलवे में इस प्रकार के कितने टिकट कलेक्टर हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां १४५ ।

(ख) अनाज की दुकानों (ग्रेन शाप) पर काम करने वाले फालतू कर्मचारियों का, उन्हें टिकट कलेक्टरों के रूप में रखने से पूर्व, इस प्रकार के पदों के लिये उनकी उपयुक्तता का पता लगाने की दृष्टि से, एक तदर्थ चुनाव बोर्ड द्वारा इंटरव्यू लिया गया था। ऐसे कर्मचारियों के बारे में, जिनकी शिक्षा सम्बन्धी अपेक्षित अर्हताएं नहीं थीं लेकिन जिन्हें अन्य दृष्टियों से उपयुक्त समझा गया था, शिक्षा सम्बन्धी अर्हता काम करने के लिये जनरल मैनेजर की मंजूरी ले ली गयी थी ।

(ग) जी हां ।

(घ) अनाज की दुकानों (ग्रेन शाप) के जिन १४५ भूतपूर्व कर्मचारियों को टिकट कलेक्टरों के रूप में रखा गया था, उनमें से ११७ को गाड़ियों के साथ चलने वाले टिकट निरीक्षकों के रूप में पदोन्नत भी किया जा चुका है और २८ इस समय टिकट कलेक्टरों के रूप में काम कर रहे हैं ।

फैजाबाद स्टेशन पर भोजन व्यवस्था

३६५. **श्री रूप नारायण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के फैजाबाद स्टेशन पर शाकाहारी तथा मासाहारी भोजनालय चलाने का ठेका किस व्यक्ति को कब दिया गया था ?

(ख) क्या इस ठेके के लिये और लोगों से भी टेण्डर प्राप्त हुए थे ; और

(ग) क्या यह सच है कि इन भोजनालयों को चलाने वाले ठेकेदार के विरुद्ध अनेक शिकायतें आई हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). फैजाबाद स्टेशन के शाकाहारी और सामिष भोजनालयों का ठेका क्रमश : मैसर्स टेहल राम डब्ल्यू० के और मैसर्स बी० एल० मित्तल एण्ड सन्स को लगभग ३० साल पहले दिया गया था । उस समय इन ठेकों के सम्बन्ध में जो टेण्डर प्रार्थना-पत्र आये थे, उनका ब्यौरा इस समय नहीं मिल रहा है ।

ऊपर बताये गये ठेकेदारों के काम के बारे में कुछ शिकायतें मिली थीं और इनके ठेके १-६-५७ से खत्म किये जा रहे हैं ।

शाकाहारी और सामिष भोजनालयों का ठेका एक युनिट में मिला दिया गया है । उपयुक्त ठेकेदार के लिये नये प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं और यह तय किया गया है कि १-६-५७ से यह ठेका प्रार्थियों में से किसी एक को दे दिया जाये । जिस प्रार्थी को यह ठेका दिया जा रहा है वह एक ठेकेदार है, जिसके सभी ठेके विभागी खान-पान व्यवस्था[26] जारी करने और कुछ स्टेशनों पर खोमचे वालों को लाइसेंस देने की प्रणाली शुरु करने के कारण खत्म किये जा रहे हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[26] Departmental Catering.

रेलवे लाइनों के दोनों ओर तार लगाना

३६६. **श्री भगवान दीन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे की रेलवे लाइनों के दोनों ओर कितनी दुरी में तार लगी हुई है और कितने में नहीं लगी हुई ;

(ख) इसमें तार न लगाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि तार न लगी होने के कारण कई जानवर गाड़ियों से कुचले जाते हैं ;

(घ) गत तीन वर्षों में इस प्रकार कितने पशु कुचले गये ; और

(ङ) क्या सरकार के पास पशुओं को गाड़ियों से कुचलने से बचाने के लिये कोई योजना है और यदि हां, तो वह क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). तार की बाढ़ केवल स्टेशन यार्ड, उपनगरी क्षेत्र[27] और कारखानों के इर्द-गिर्द और खास समपारों के पास लगायी जाती है।

(ग) जी हां ।

(घ) पिछले तीन साल में पूर्वोत्तर रेलवे में मवेशियों के कटने की दूर्घटनायें इस प्रकार हैं :— १९५४—५५ में ९५, १९५५—५६ में ७९, और १९५६—५७ में ११२ ।

(ङ) दुर्घटनाओं को कम करने के लिये नीचे लिखे उपाय किये गये हैं ।:—

(१) इस रेलवे में उपयुक्त जगहों पर समपार और मवेशियों के लिये फाटक बनाये गये हैं।

(२) जिन समपारों पर फाटक लगे हैं उनके दोनों ओर ५० फीट तक बाढ़ लगायी गयी है ताकि बिना देख-रेख वाले मवेशी लाइन पार न करने पायें ।

(३) रेलवे की जमीन जब घास काटने के लिये पट्टे पर दी जाती है, उस समय करार में यह बात साफ-साफ लिख दी जाती है कि उस जमीन में मवेशियों को चरने नहीं दिया जायेगा ।

यात्री सुविधायें

३६७. **श्री भगवान दीन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि गोरखपुर डिवीजन के बहराइच जिले में मीहीपुरवा और कतरनियांघाट स्टेशनों पर प्रतीक्षालय नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी हां । इन स्टेशनों पर ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय नहीं हैं, लेकिन यहां तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय पहले से बने हैं । इन स्टेशनों पर आने-जाने वाले ऊंचे दर्जे के यात्रियों की दैनिक औसत संख्या क्रमशः ३ और १५ है, इसलिये मिहिनपुरवा स्टेशन पर प्रतीक्षालय बनाने का कोई उचित कारण नहीं है। कतरनियांघाट स्टेशन पर ऊंचे दर्जे का प्रतीक्षालय बनाने का सुझाव रेल उपभोक्ता सुविधा समिति[28] के सामने रखा जायेगा ।

---

[27] Suburbs.
[28] Railway Users' Amenities Committee.

गोंडा-कतर नियांघाट लाइन पर रेल गाड़ियां

३६८. **श्री भगवान दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का गोंडा जंकशन से रात के आठ बजे बहराइच पहुंचने वाली गाड़ी को मिहिनपुरवा से आगे कतरनियां घाट तक बढ़ाने का विचार है। क्योंकि इससे वहां के व्यापारी एक दिन में कम से कम दो बार आ जा सकेंगे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जी नहीं।

जिस गाड़ी का जिक्र किया गया है वह १९.४५ पर बहराइच पहुंचती है और नानपारा होकर मिहिनपुरवा नहीं, सीधी नेपालगंज जाती है। इसलिये, इस सुझाव का मतलब यह होगा कि इस गाड़ी को नानपारा और मिहिनपुरवा होकर कतरनियाँघाट तक चलाया जाये। फिर भी, इस गाड़ी को मिहिनपुरवा से आगे चलाना मुमकिन न होगा क्योंकि निशानगढ़ा—कतरनियां घाट सैक्शन पर रात में गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है।

रेल-सागर समन्वय समिति[२९]

†३६९. {श्री रघुनाथ सिंह :
श्री टांटिया :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल-समु समन्वय समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि समिति ने ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले दो वर्षों के लिये तटीय भाढ़े की दरों में १५ प्रतिशत की सामान्य वृद्धि करने की सिफारिश की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हाँ। यह प्रतिवेदन १७-४-१९५७ को प्रस्तुत हो गया है।

(ख) समिति की सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

शालीमार में रेल के ऊपर का पुल

†३७०. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण पूर्व रेलवे के शालीमार संख्या ३ फाटक पर एक ऊपर के पुल का निर्माण कराने वाली है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) राज्य सरकार ने यह सिफारिश की है कि रेल के इस फाटक के स्थान पर ऊपर/नीचे के पुल का निर्माण किया जायेगा। इस प्रस्ताव के अनुसार पुल तक पहुंचने का रास्ता बनाने के लिये बहुमूल्य सम्पत्ति प्राप्त करनी पड़ेगी ; जिसका वांछनीयता पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जायेगा। जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ऊपर या नीचे के पुल का निर्माण करने के बारे में निश्चित प्रस्ताव तक तैयार करना संभव नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

[२९] Rail-sea Coordination Committee.

†मूल अंग्रेजी में

शेन कोट्टा-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन

†३७१. **श्री कुमारन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शेनकोट्टा से कुलठूपुजा और नेडुमाँण्णु होते हुए त्रिवेन्द्रम जाने वाली रेलवे लाइन खोलने की संभावना की जाँच कर ली है ; और

(ख) यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजस्थान में रेलवे लाइन

†३७२. **श्री शोभा राम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में राजस्थान में कुल कितने मील लम्बी नई रेलवे लाइनें खोली जायेंगी ; और

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में ये आंकड़े कितने बैठते हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के लिये एक भी नई रेलवे लाइन नहीं रखी गई है । परन्तु २६.२६ मील लम्बी जो फतेहपुर-चुरू लाइन प्रथम पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई थी उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खोल दिया गया है ।

रानीवाड़ा-भिलाड़ी लाइन भी, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई थी, राजस्थान से सम्बन्ध जोड़ देगी ।

(ख) सूचना राज्यों के बारे में अलग अलग संकलित नहीं की जाती । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिन ८४२ मील लम्बी रेल लाइनों का निर्माण सम्मिलित किया गया है उन में से १७५ मील मध्य रेलवे पर है, १६८ मील पूर्वी रेलवे पर, १०० मील उत्तर रेलवे पर, ५६ मील पूर्वोत्तर रेलवे पर और शेष ३४३ मील दक्षिण-पूर्व रेलवे पर हैं ।

बरहामपुर का डाक घर

†३७३. **श्री मोहन नायक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरहामपुर (जिला गंजम, उड़ीसा) का डाक-घर एक किराये के मकान में चल रहा है, जिस में पर्याप्त स्थान नहीं है ;

(ख) क्या नगर में किसी उपयुक्त स्थान पर डाकघर और कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये कुछ जमीन ली गई है या नहीं ; और

(ग) क्या बरहामपुर में डाकघर और कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ उपबन्ध रखा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) इस का उत्तर 'हां' है, केवल इतनी बात है कि जिस किराये के मकान का जिक्र किया उसे और जिस भूमि पर वह खड़ा है उसे भी ५-१-१९५४ को डाक और तार विभाग ने ले लिया था ।

(ख) और (ग) .बरहामपुर (गंजम) में मौजूदा जमीन पर द्वितीय योजना काल में डाक-घर के भवन का निर्माण करने के लिये कार्यवाही की जा रही है । यहां कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये जमीन अभी नहीं ली गई है और इसलिये इस के लिये अभी कोई उपबन्ध नहीं किया गया है । परन्तु इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त ज़मीन चुनने का प्रयास किया जा रहा है ।

रेलवे के क्वार्टर

†३७४. **श्री मोहन नायक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणपूर्व रेलवे के बरहामपुर स्टेशन पर सफाई कर्मचारियों के लिये अभी क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ; और

(ख) क्या कर्मचारियों के ऐसे क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई उपबन्ध किया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं । बरहामपुर के २० प्रतिशत सफाई कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये हैं ।

(ख) जी हां ।

अमरया तार घर

†३७५. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पीलीभीत जिले (उत्तर प्रदेश) के अमरया तारघर से आने-जाने वाले तारों में कई कई दिनों की देर हो जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस देर में कमी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). अमरया में कोई तारघर नहीं है । पीलीभीत का जो निकटतम तारघर है वह अमरया से १५ मील की दूरी पर स्थित है । तारों को पहुंचाने में यह देरी का प्रारम्भिक कारण यही है कि डाकिये को यह दूरी तय करनी पड़ती है । तारों का परियात[10] यहां इतना नहीं है कि यहां तारघर खोलना उचित कहा जा सके ।

रामपुर-हलद्वानी रेलवे लाइन

†३७६. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **रेलवे** मंत्री २ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की हलद्वानी-रामपुर ब्रांच लाइन के सर्वेक्षण में कितनी प्रगति हुई है ; और

---

[10] Traffic.

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) यातायात का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इंजीनियरिंग सर्वेक्षण पूरा होने वाला है ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में साधनों के सीमित मात्रा में प्राप्त होने के कारण इस परियोजना को इस योजना की अवधि में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

भोजीपुरा-सितारगंज रेलवे लाइन

†३७७. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर रेलवे पर भोजीपुरा से सितारगंज तक एक रेलवे लाइन बिछाने वाली है ;

(ख) क्या पहले इस सम्बन्ध में कुछ सर्वेक्षण कार्य किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या जल्दी ही कोई सर्वेक्षण शुरू किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सर्वेक्षण से कुछ भी लाभ नहीं होगा क्योंकि योजना आयोग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में जिन ८४२ मील लम्बी रेलवे लाइनों के निर्माण का अनुमोदन किया है, उन में साधनों के सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इस परियोजना को सम्मिलित नहीं किया है ।

सस्ते अनाज की दूकानें

३७८. **श्री बाल्मीकी** :
पंडित मू० बि० भार्गव :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री अब तक प्रत्येक राज्य में खोली गई सस्ते अनाजों की दुकानों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : भिन्न भिन्न राज्यों में खोली गई सस्ते अनाजों की दुकानों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४८]**

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में

†**श्री एन्थनी पिल्ले** (मद्रास-उत्तर) : श्रीमान्, कल शाम को मैंने विशेषाधिकार सम्बन्धी एक प्रस्ताव की पूर्वसूचना दी थी । क्या मुझे अनुमति है कि मैं उसे प्रस्तुत करूं ?

अध्यक्ष महोदय : जब विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव मेरे पास आयेगा तब मैं उस पर विचार करूंगा और निर्णय करूंगा कि उसे प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये या नहीं । माननीय

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य को निर्णय की सूचना मिल जायेगी । माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि ज्यों ही वे पूर्व-सूचना दें त्योंही उन्हें उन को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जाये । यह कैसे हो सकता है । आखिर अध्यक्ष को हरेक प्रश्न पर विचार करना होता है, तब ही वह यह फ़ैसला करता है कि अमुक विषय को सभा में उठाने की अनुमति दी जाये या नहीं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: श्रीमान्, मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन, अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३९१ तारीख ४ मई, १९५७ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, १९५७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एस०-६२/५७]**

विनियोग (संख्या ३) विधेयक*, १९५७

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं और उक्त वर्ष के लिये अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं और उक्त वर्ष के लिये अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं ।

केन्ट्रीय बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय**: अब सभा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक पर खण्डवार चर्चा शुरू करेगी ।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : कल आप ने वादविवाद स्थगित करने की कृपा की थी ताकि सरकार को श्री हजारनवीस के संशोधनों की परीक्षा करने का अवसर मिल सके । मैंने वादा किया था कि यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं अपना संशोधन ढाई बजे प्रस्तुत करूंगा । श्रीमान् मैं आप से क्षमा मांगता हूं कि मैं वैसा नहीं कर सका क्योंकि मेरे वैधानिक परामर्शदाता की समझ में यह बात नहीं आई कि इस को कैसे किया जाये । कुछ समय बाद तीन संशोधन पेश किये गये वे मेरे नाम से हैं । यह संशोधन श्री हजारनवीस के कुछ शाब्दिक परिवर्तनों को स्थान देने के

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट—भाग २, अनुभाग २, तारीख २८-५-५७ में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

लिये है। परिवर्तन केवल शाब्दिक हैं उनके विधेयक के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन संशोधनों को प्रस्तुत कर के मैंने माननीय सदस्य को, जिन्हों ने कल कुछ संशोधन प्रस्तुत किये थे, संतुष्ट कर दिया है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि इन संशोधनों को प्रस्तावित मान लिया जाये और अध्यक्ष महोदय बतायें कि अब उन के बारे में क्या किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री संशोधनों को प्रस्तुत करें।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ १—

पंक्ति २० और २१ के स्थान पर यह रखा जाये :

["In respect of the last sale or purchase inside the State and shall not exceed two per cent of the sale or purchase price"

("राज्य के भीतर किये गये अन्तिम विक्रय या क्रय के सम्बन्ध में और विक्रय या क्रय मूल्य के २ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा"]

(२) पृष्ठ २, पंक्ति २—

["at the last stage of sale or purchase ("विक्रय या क्रय के अन्तिम प्रक्रम पर")] के स्थान पर

["In respect of the last sale or purchase inside the State" ("राज्य के भीतर किये गये अन्तिम विक्रय या क्रय के सम्बन्ध में")] रखा जाये।

(३) पृष्ठ २—

पंक्ति ५ से ७ के स्थान पर यह रखा जाये :

["*Explanation*—the expression "last sale or purchase inside the State" means the translation in which a dealer registered under the Sales tax law of the State—"

("**व्याख्या**—राज्य के भीतर किये गये अन्तिम विक्रय या क्रय "शब्दों का अर्थ है ऐसा क्रय-विक्रय जिस में राज्य के" बिक्री कर विधि के अधीन पंजीकृत कोई व्यापारी")]

†**श्री हजारनवीस** (भंडारा) : माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करता हूं कि मुझे अपने संशोधनों को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधनों को सभा के सामने मतदान के लिये रखूंगा।

†**श्री तैयबजी** (जालना) : मैं माननीय मंत्री द्वारा रखे गये संशोधनों का समर्थन करता हूं। पर मुझे एक दो बातें कहनी हैं। विधेयक की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिये। जहां "क्रय और

†मूल अंग्रेजी में।

विक्रय" दोनों शब्दों का उल्लेख है वहां केवल एक शब्द से भी काम चल सकता था क्योंकि जब किसी वस्तु का विक्रय होगा तो उस का क्रय अवश्य होगा और जब क्रय होगा तो विक्रय अवश्य होगा। अतः विधेयक की भाषा संक्षिप्त होनी चाहिये थी।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** कल मैंने विधेयक का मसौदा फिर से तैयार करने की कोशिश की थी और चूंकि विधेयक चर्चा के अन्तिम प्रक्रम पर था अतः मैं उस के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सका। मतभेद इस सम्बन्ध में था कि "विक्रय का अन्तिम प्रक्रम" शब्द रहें या "अन्तिम विक्रय या प्रक्रम" शब्द रहें। मैंने मसौदा तैयार करने वालों से कहा कि वे श्री हजारनवीस द्वारा उठाई गई बातों का अवश्य ध्यान रखें।

मैं समझता हूं कि हमारे सभी विधानों में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती ही है। यदि विधेयक इतने स्पष्ट हो सके तो वकीलों की कोई आवश्यकता ही न पड़े। कोई भी व्यक्ति उसकी व्याख्या कर सकता है और वकील की केवल सहायता ले सकता है। अतः सभा में हम ऐसी गलतियों को छोड़ कर वकीलों के लिये गुंजाइश रखते हैं। इस विधेयक को इस समय इसी प्रकार पारित होने दिया जाय बाद में आवश्यकता पड़ने पर हम इस में संशोधन या सुधार करते रहेंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे यहां या विधि मंत्रालय में मसौदा बनाने वाले ऐसे पदाधिकारी नहीं हैं जो ऐसा विधेयक तैयार कर सकें जिस की व्याख्या के बारे में कभी कोई अस्पष्टता नहीं रहे।

†**अध्यक्ष महोदय :** कल सभी बातों पर विचार हो चुका है। यदि माननीय सदस्य को इन संशोधनों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना हो तो वह दे सकते हैं। अब मैं संशोधनों को मतदान के लिये रखूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

(१) पृश्ठ १—

पंक्ति २० और २१ के स्थान पर यह रखा जाये :

["In respect of the last sale or purchase inside the State and shall not exceed two per cent of the sale or purchase price"

("राज्य के भीतर किये गये अन्तिम विक्रय या क्रय के सम्बन्ध में और विक्रय या क्रय मूल्य के २ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा")]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

(२) पृष्ठ २, पंक्ति २— ["at the last stage of sale or purchase ("विक्रय या क्रय के अन्तिम प्रक्रम पर")] के स्थान पर ["In respect of the last sale or purchase inside the State" ("राज्य के भीतर किये गये अन्तिम विक्रय या क्रय के सम्बन्ध में")] रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

(३) पृष्ठ २—

पंक्ति ५ से ७ के स्थान पर यह रखा जाये :

[*Explanation*—the expression 'last sale or purchase inside the State' means the transaction in which a dealer registered under the Sales tax law of the State"

("**व्याख्या**—राज्य के भीतर किये गये अन्तिम विक्रय या क्रय के सम्बन्ध में "शब्दों का अर्थ है ऐसा क्रय-विक्रय जिस में राज्य के बिक्री कर विधि के अधीन पंजीकृत कोई व्यापारी—")]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा सामान्य आयव्ययक पर सामान्य चर्चा शुरू करेगी । यह सामान्य चर्चा ३० मई, १९५७ तक चलेगी और अगले दिन वित्त मंत्री उत्तर देंगे । इस चर्चा के दौरान में आय-व्ययक का सामान्य परीक्षण अर्थात् व्यय की मदों के उचित वितरण आदि और करारोपण की नीति के बारे में ही बातें कही जायेंगी । सदस्य ध्यान रखें कि इस सामान्य परीक्षण में राजस्व, घाटा या लाभ तथा राजस्व और व्यय के लेखे आदि सम्मिलित हैं । राजस्व के लेखे के सम्बन्ध में सदस्य प्राक्कलन के तरीकों पर भी चर्चा कर सकते हैं । सामान्य शिकायतें वित्त विधेयक पर विचार करते समय रखी जानी चाहियें । इसी प्रकार व्यय के व्यौरों पर चर्चा तभी होनी चाहिये जब अगले सत्र में अनुदानों की मांगें सभा के सामने आयेंगी । नियम २०७(३) के अन्तर्गत सदस्यों के लिये १५ मिनट का समय रखा गया है । वित्त मंत्री को उत्तर देने के लिये एक घंटा, या यदि आवश्यकता

---

†मूल अंग्रेजी में

पड़े तो, अधिक समय भी दिया जायेगा। विभिन्न दलों के नेताओं को २० मिनट या ३० मिनट का समय भी दिया जा सकता ।

†श्री डांगे (**बम्बई नगर**—मध्य) : जब १५ तारीख को माननीय मंत्री ने आयव्ययक प्रस्तुत किया था तब से अब तक उस के सम्बन्ध में तरह तरह के विचार प्रगट किये गये। हमने देखा कि उसी समय से सभा में धीरे धीरे लोगों की शिकायतें शुरू हो गईं, बाहर भी शिकायतें हुईं। तरह-तरह की संस्थाओं जैसे कार्मिक संघों, मध्यमवर्गीय संस्थाओं और वाणिज्य संस्थाओं को आयव्ययक की नई प्रस्थापनाओं पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन लोगों ने आश्चर्य प्रगट करते हुए तार भी भेजे हैं। खेद इस बात का है नहीं कि कर लगाकर रुपया इकट्ठा किया जा रहा, खेद इस बात का है कि इस कर का प्रभाव किन किन लोगों पर पड़ेगा। हम देखते हैं कि चाय, काफी, दियासलाई, तम्बाकू और चीनी आदि पर कर लगाया गया है। माननीय मंत्री ने कहा कि हम लोग चाय, चीनी और तम्बाकू आदि का प्रयोग अधिक करते हैं इसलिये हम पर कर लगाया जा रहा है। ध्यान रहे कि इन करों का प्रभाव साधारण जनता पर अधिक पड़ेगा और उच्च श्रेणी के लोगों पर इस का प्रभाव कुछ कम ही रहेगा ।

आयव्ययक की सब से मुख्य बात यह है कि घरेलू खर्चों में कमी की जाये ताकि जनता के रहन सहन का स्तर सुधरे। पर यह बात समाज के समाजवादी ढांचे की व्यवस्था के विरुद्ध है। माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह आयव्ययक अच्छा नहीं है। पर उन्होंने कहा कि इस से क्या होता है ? जब हमें राष्ट्र का विकास करना है और उद्योगों को बढ़ाना है, हमें योजना को पूरा करना है तो उसके लिये धन चाहिये और वह धन कर के रूप में ही इकट्ठा किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि जनता यदि यह समझती है कि निर्वाचन के दो महीने बाद ही चाय, चीनी, काफी, मिट्टी के तेल और कागज पर कर बढ़ जायेगा तो शायद वह कुछ समझ से काम लेती। माननीय मंत्री ने चुनौती दी है कि यदि इस उपाय का सहारा नहीं लिया जाये तो विरोधी दल के लोग बतायें कि योजना के लिये धन कहां से आये। हम चाहते हैं कि योजना को पूरा करने के लिये धन इकट्ठा किया जाये और मैं यह भी चाहता हूं कि कर लगाया जाये। पर इस प्रकार कर नहीं लगाया जाना चाहिये। माननीय मंत्री ने कहा कि हम खपत को कम करना चाहते हैं, निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं, आयात में भी कमी करना चाहते और उत्पादन भी बढ़ाना चाहते हैं। ताकि हमारे कोष में योजना के लिये धन जमा हो, पर मुझे तो यह भी पता नहीं कि योजना को किस प्रकार पूरा किया जा रहा है। पर, मैं इतना जानता हूं कि इस तरह धन इकट्ठा करना उचित नहीं है। हमारा मतभेद तो माननीय मंत्री से केवल इतना ही है कि जिस उपाय से वह धन इकट्ठा कर रहे हैं वह समाजवादी उपाय नहीं है। हो सकता है वह मुझे अनुत्तरदायी व्यक्ति कहें, पर मैं यह जानता हूं कि मंत्री लोग स्वयं भी अपने काम के लिये काफी सावधान नहीं हैं। १५ मई को आयव्ययक आने के एक-दो दिन बाद माननीय मंत्री ने स्वयं बताया कि उन्हें पता नहीं कि कागज और मिट्टी के तेल पर कर की प्रस्थापनाएं कैसे आ गईं, यह उन की सावधानी का एक नमूना है। उन का दृष्टि-कोण शायद यही है कि किसी न किसी तरह से चाहे वह उचित हो या अनुचित, चाहे गरीब का खून चूस कर, किसी भी तरह धन इकट्ठा किया जाये। पिछली बार कहा गया था कि आय-कर का अप-वंचन करने वालों को रोका जायेगा। पर अब भी २०० करोड़ रुपये तक का अपवंचन हो रहा है। माननीय मंत्री साधारण व्यक्तियों पर आक्रमण करने के लिये बड़ी अच्छी तरह तैयार हैं, क्योंकि वे बेचारे अपवंचन नहीं कर सकते। सो मैं कह रहा था कि समाजवाद का सिद्धान्त उन के लिये केवल सिद्धान्त के लिये ही है व्यवहार के लिये नहीं। मैं धन की कमी को पूरा करने के लिये और भी उपाय

†मूल अंग्रेजी में

[श्री डांगे]

बता सकता हूं, यह मेरे लिये बड़ा आसान है । हमें उन साधनों पर कब्जा करना चाहिये जिन से धन पैदा होता है न कि कर बढ़ाये जायें । मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपना दृष्टिकोण बदल देना चाहिये और यदि हम उत्पादन के उन बड़े साधनों पर कब्जा कर लेते हैं तो हमारी योजना के लिये काफी सम्पत्ति हमें मिल जाती है । हमें गैर-सरकारी क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहिये और सरकारी क्षेत्रों का विस्तार करना चाहिये । हम राष्ट्रीयकरण के नाम से क्यों भागते हैं जब हम ने समाजवाद को स्वीकार किया है तो हमें समाजवाद की परिभाषा भी जाननी चाहिये । पर हम ने कभी भी समाजवाद की परिभाषा की व्याख्या नहीं की । हम केवल सिद्धान्त में ही उस का नाम रटते रहे । हम देखते हैं कि कई बार मार्क्स के नाम पर लोगों को बहुत क्रोध आता है और लोग कहते हैं कि उस का सिद्धान्त बहुत पुराना हो गया है । पर दुनिया के अधिकांश देशों में मार्क्स के सिद्धान्त के ही कारण काफी उन्नति हुई है और वहां पर न बेकारी है और न अशान्ति है और न इस प्रकार कर ही लगाये जाते हैं जैसेकि हमारे देश में । आज हमारे देश में उद्योग का जो विकास हो रहा है उस से लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति की वृद्धि हो रही है । बड़े पैमाने के उद्योगों में काफी उत्पादन हुआ है और उन से हम योजना के लिये धन प्राप्त कर सकते हैं । अत्यावश्यक उत्पादन करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं पर नियंत्रण होना चाहिये । अतः यह आवश्यक है कि यदि योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो धन के उत्पादन के साधनों पर ही हमें कब्जा करना चाहिये । मैं ने माना कि बागानों के राष्ट्रीयकरण में कठिनाई है क्योंकि उस में विदेशी पूंजी और विदेशी बाजार का मामला अन्तर्ग्रस्त है । फिर भी हमें चाय के उत्पादन की लागत और बिक्री के मूल्य के अन्तर को प्राप्त करने के लिये तो कदम उठाना ही चाहिये । यह राशि लगभग १८ से २० करोड़ रुपये प्रति वर्ष है । हमें इस का सहारा क्यों नहीं लेना चाहिये ।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि साधारण जनता पर कर न लगाया जाये, उत्पादन के साधनों को ही इस सम्बन्ध में काम में लाया जाये । उत्पादन के बड़े-बड़े कारखानों को केवल उन का समुचित अंश ही दिया जाये और शेष सरकार स्वयं ले ले । हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता, पर मैं देखता हूं कि सरकार धीरे-धीरे उसी प्रकार राष्ट्रीयकरण कर रही है जैसे हम कहते हैं । १९४७ में श्री खण्डूभाई देसाई ने एक पुस्तिका लिखी थी जिस में उन्हों ने कहा था कि वस्त्र उद्योग में बहुत सी राशि छिपी पड़ी हुई है अतः हमें इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये । पर बाद में उन का भी विचार बदल गया । हम देखते हैं कि राज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण हो गया, लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो गया और व्यापारों का भी अंशतः राष्ट्रीयकरण हो गया है । निर्यात और आयात का भी मामला बहुत महत्वपूर्ण है । इसलिये हमें चाहिये कि हम निर्यात और आयात के व्यवसायों को भी राज्यों से अपने हाथ में ले लें । विदेशी व्यापार लगभग १२०० करोड़ रुपये का होता है और उस में से यदि आधा भी हम अपने हाथ में ले लें और उस पर १० प्रतिशत हम कमायें तो भी काफी धन मिल सकता है । जब अर्थ संकट हमारे मंत्रियों के सामने भीषण रूप ले कर खड़ा होता है तब वह राष्ट्रीयकरण का नाम लेते हैं अन्यथा तो वे गैर-सरकारी क्षेत्रों के व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण का नाम भी नहीं लेते । अतः स्पष्ट है कि हमारे सामने राष्ट्रीयकरण द्वारा धन प्राप्त करने का दूसरा साधन भी है जिस से कि हम अपनी योजना को पूरा कर सकते हैं । यदि माननीय मंत्री चाहें तो इस सम्बन्ध में एक अलग बैठक या एक कमेटी की स्थापना भी की जा सकती है ताकि करारोपण के समाजवादी सिद्धान्त पर विचार किया जा सके ।

मैं आप को आमदनी के और साधन बता रहा हूं । आप पहले तो बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करें । बड़े बड़े बैंकों के मालिकों तथा अंशधारियों की वास्तव में कोई जिम्मेदारी नहीं है । जो रुपया उन की जेब में जाता है उसे राष्ट्र के विकास पर लगाया जा सकता है ।

इसलिये राज्य व्यापार पहला साधन है तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरा । माननीय मंत्री ने वस्त्रोद्योग की प्रशंसा की कि उन्हों ने कपड़े की कीमतें नहीं बढ़ाईं । वास्तव में उत्पादन शुल्क का प्रभाव इस कारण से नहीं पड़ सका क्योंकि तीसरी पालि के उत्पादन पर उस की छूट दी जाती है। उद्योगपतियों ने योजना की ओर ध्यान नहीं दिया है ।

अब आप वस्त्रोद्योग को लें—इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है । सारे उद्योग में १७ समवाय ऐसे हैं जिन के पास ३५ प्रतिशत लाभ की रकम चली जाती है । इस प्रकार बहुत ही ज्यादा लाभ इन लोगों को होता है ।

इस उद्योग का ५० प्रतिशत उत्पादन कुछ लोगों के हाथों में है । क्या ये लोग देशभक्ति का प्रमाण नहीं दे सकते । क्या ये लोग योजना की क्रियान्विति के लिये थोड़ी कुर्बानी नहीं कर सकते ? हम उन्हें अच्छी तरह रहने के लिये वेतन दे सकते हैं—उन्हें अपने कारखाने राष्ट्र को सौंप देने चाहियें ।

जब ढाई सौ रुपये मासिक वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कर देना होगा क्या ये लखपति ५०० रुपया मासिक ले कर गुजारा नहीं कर सकते ? किन्तु इस आयव्ययक से तो गरीबों को ही बर्बाद किया गया है । इस कारण हमें इन बड़े बड़े कारखानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये । गरीबों का खून नहीं चूसना चाहिये ।

माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्हों ने धन तथा व्यय पर कर लगा कर समाजवाद का परिचय दिया है । किन्तु केवल सम्पदा शुल्क आदि से क्या लाभ है ? केवल १० तथा १२ लाख रुपये की आय हुई है । बड़े बड़े लोग इस बात में भी सरकार को धोखा देते हैं । इसी प्रकार व्यय आदि के करों का भी अपवंचन होगा—गलत हिसाब रखे जायेंगे । बड़े लखपतियों से आप एक पाई भी नहीं ले सकते । कभी इस न्यायालय में जाते हैं तो कभी दूसरे में । बड़े बड़े पूंजीपति तो इस प्रकार बच जाते हैं किन्तु गरीबों की चीनी तथा चाय पर भी कर लगता है । गरीब लोग न्यायालय में नहीं जा सकते । इस प्रकार की प्रक्रिया है—इस में गरीब पिसते हैं । केवल कारखाने बनाने से ही लोगों की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं होती । अब भी मजदूरों की हालत वैसी ही है ।

केवल राष्ट्रीयकरण या व्यय पर करारोपण से भी कुछ नहीं बनता । आप को ठीक तरीके अपनाने होंगे । भ्रष्टाचार तथा दूसरी तीसरी गड़बड़ को बन्द किया जाना आवश्यक है । माननीय मंत्री भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है । भ्रष्टाचार विरोधी विभाग हैं किन्तु जितना काम वह करते हैं वह सब लोगों को मालूम है ।

इन बातों का क्या इलाज है ? मैं तो कहूंगा कि आप ने जो प्रजातंत्रात्मक भावना का प्रसार किया है उसे गलत तरीके से किया गया है । प्रजातंत्र केवल इसे ही नहीं कहते कि जो व्यक्ति जैसा कहना चाहे वह कहे । प्रजातंत्र में लूट नहीं मचाई जाती । भ्रष्टाचार तभी बन्द हो सकता है जो प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों की निगरानी हो । मामूली मजदूर भी सब बातें देख सके । केवल ऐसे वातावरण से प्रजातंत्र का विकास होता है—समाजवाद भी इसी तरीके से आता है ।

आज यहां यह स्थिति है कि मजदूर संतुलन-पत्र तक को देख नहीं सकते । क्या यह गोपनीय होते हैं ? कार्य समितियां बनती हैं किन्तु वह न होने के बराबर होती हैं । कई स्थानों पर ऐसी समितियां दलबन्दी के कारणों से तोड़ दी गई हैं । कांग्रेस का जहां प्रभाव न रहे वहां कुछ नहीं होता ।

[श्री डांगे]

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी बलिदान तथा अन्याय और असमानतायें यह बातें साथ साथ नहीं हो सकतीं। इस सिद्धान्त से कोई विरोध नहीं करता। देखना तो यह है कि इस बात को शक्ल किस प्रकार से दी जाती है। वास्तव में स्थिति विपरीत है। लोग तो बलिदान कर रहे हैं किन्तु साथ साथ महान असमानतायें विद्यमान हैं। १९५०-५४ के बीच आप देखें कि श्रमिकों तथा पूंजीपतियों के हिस्से में कितना कितना धन आया। १९५० में कुल शुद्ध आय ५५० करोड़ रुपये थी उस में से ३१८ करोड़ रुपये लाभ के रूप में पूंजीपतियों के हिस्से में आये और २३२ करोड़ वेतनों आदि के रूप में कर्मचारियों के हिस्से में आये। यह समाजवाद अनोखा है। समाजवादी समाज में श्रमिकों का हिस्सा ज्यादा होना चाहिये। पूंजीपतियों का हिस्सा और भी ज्यादा हुआ है। इस के बारे में आप क्या कहेंगे।

कुछ लोग कहते हैं कि इस आयव्ययक से लोग योजना के प्रति सजग हो जायेंगे—यह खूब बात हुई—उन की कमर टूट रही है और यदि इसी प्रकार सजग करना है तो क्या लाभ होगा? हम चाहते हैं कि लोग योजना के प्रति सजग हों—किन्तु ठीक तरीके से। यह तरीका गलत है। इसे बदलने की आवश्यकता है। आप जो रवैया बड़े पूंजीपतियों से रखते हैं इसे भी बदलने की जरूरत है।

करारोपण के सम्बन्ध में मैं अनुदानों की मांगों के समय सुझाव दूंगा। अब सरकार भी अनाज की कीमतों पर काबू पाने के बारे में सोच रही है। किन्तु ऐसा तरीका न अपनाया जाये जिस से छोटे किसानों को हानि पहुंचे।

अब मैं कीमतों के बढ़ने से जो बोझ जनसाधारण पर पड़ता है उस सम्बन्ध में कुछ बातें कहूंगा। पूंजीवादी समाज में लाभ का लालच इतना होता है कि कहीं यदि एक पैसा कीमत बढ़ी तो प्रत्येक स्थान पर कीमत बढ़ जाती है। मार्क्स पढ़ने से इस बात का सही ज्ञान हो जाता है। कीमतें बढ़ने पर लोग ज्यादा वेतन आदि की मांग करते हैं—हड़तालें होती हैं।

वास्तव में प्रतिरक्षा व्यय में जो ५० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है उस से भी सरकार के सामने कठिनाई आई है। इस के लिये भी साम्राज्यवादी देश ही उत्तरदायी हैं—वह दूसरे देशों को सैनिक सहायता देते हैं—तब दूसरे देश को अपनी चिन्ता करनी पड़ती है। खैर! कई बार प्रतिरक्षा पर भी यहां ठीक ढंग से व्यय नहीं किया जाता।

हम ने इंग्लैंड से ६६ कैनबरा जैट वायुयान मंगवाये हैं—ये विमान हमें बहुत महंगे मिले हैं—किसी दूसरे देश से सस्ते भी मिल सकते थे। हमें रूस से या चेकोस्लावेकिया से खरीदने में घबराना क्यों चाहिये। हमें कोई बदनाम नहीं कर सकता।

माननीय मंत्री ने आर्थिक समानता पैदा करने तथा समाज सुधार करने के जो सिद्धान्त रखे हैं उनसे मैं सहमत हूं। किन्तु मेरी इच्छा तो यह है कि इसे क्रियान्वित किया जाये। माननीय मंत्री को गरीबों की रक्षा करनी चाहिये—बड़े लखपतियों के उद्योगों को जनता की सम्पत्ति बना देना चाहिये क्योंकि लोग इस बात का पूर्णरूप से समर्थन करेंगे।

आप अपना सारा दृष्टिकोण बदलिये। मांग तथा संभरण के नियमों को छोड़िये—किसी सिद्धान्त का अनुसरण करें। मार्क्स को भी छोड़िये—अपने ही सिद्धान्तों पर चलिये ताकि गरीब बच जायें और उन्हें चीनी तथा चाय के लिये भी तरसना न पड़े।

†श्री रंगा (तेनालि) : श्रीमान्, मैं आयव्ययक का समर्थन करता हूं । श्री डांगे ने कहा है कि हमें अपने ही सिद्धान्त अपना लेने चाहियें--यह ठीक है । हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हैं । हम उन के दल का अनुसरण नहीं करते । हम लोगों से बेगार नहीं लेते और किसी से बलपूर्वक काम नहीं कराते । श्री डांगे समझते हैं कि राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई दूसरा कुछ जानता ही नहीं है ।

१९३८ में हमारी राष्ट्रीय योजना समिति ने कहा था कि बुनियादी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा । १९४८ की औद्योगिक नीति में भी इसी प्रकार की घोषणा की गई थी--हम काम करते हैं और यह प्रतीक्षा नहीं करते कि श्री डांगे आ कर हमें पढ़ायें ।

हमारे दल ने देश का शासन चलाने की जिम्मेदारी ली है । यही दल इस बात का निर्णय भी कर सकता है कि किस समय राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । सरकार सारा काम बड़े धैर्य से करना चाहती है ।

श्री डांगे हमें समाजवाद के सिद्धान्त बताने लगे थे । वह मार्क्स के पुजारी हैं--हम महात्मा गांधी के समाजवाद को मानते हैं । इटली आदि देशों में लोग गिल्ड समाजवाद चाहते हैं । गिल्ड समाजवाद का अभिप्राय है नौकरशाही को नीचा करना, प्रबन्धकों पर नियंत्रण आदि रखना आदि ।

एक ओर तो माननीय मित्र नौकरशाही की आलोचना करते हैं--दूसरी ओर राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं--राष्ट्रीयकरण के बाद उद्योगों का प्रबन्ध नौकरों के हाथों में ही आयेगा--वे और ज्यादा शक्तिशाली होंगे । हमें रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों के बारे में भी पता है--वहां लोगों ने विकास के लिये जो कीमत चुकाई है वह असहय है । हाल ही में हंगरी तथा पोलैण्ड में जो घटनायें हुई हैं उन से क्या पता चला है । पोलैण्ड के प्रधान मंत्री श्री गोमुल्का ने स्वयं इन बातों का उत्तर दिया है ।

ये लोग कहते हैं कि हम योजना को क्रियान्वित करने के लिये सरकार की सहायता करेंगे--किन्तु रुकावट तथा अड़चनें पैदा की जाती हैं । कभी कहते हैं यह उद्योग खत्म करो--कभी वह करो । क्या सभी को समाप्त कर दें ? रूस में ऐसा ही हुआ था । पहले पूंजीपति समाप्त हुए--फिर किसानों की बारी आई--लोग भूखे मर गये । किसी को खबर तक नहीं हुई । चीन में क्या हुआ । हम ऐसी बात नहीं चाहते कि जनता के नाम पर लाखों निर्दोषों के सर काट दिये जायें ।

भ्रष्टाचार रोकने की बातें भी ये लोग करते हैं--हम देखते हैं कि केरल में ये लोग क्या करेंगे । हम इन से शिक्षा प्राप्त करेंगे । हमें सभी लोगों या पदाधिकारियों को एक ही रस्सी में नहीं लपेटना चाहिये । स्टालिन ने रूस म लाखों आदमी मौत के घाट उतरवा दिये । यदि वह चाहते हों कि हम भी उसी तरह से भ्रष्टाचार को रोकथाम करें--हम तो नहीं कर सकते ।

इस के बाद माननीय मित्र ने राज्य व्यापार के बारे में बताया कि इस से इतना लाभ होगा --इस सम्बन्ध में उन्हें जानना चाहिये कि हमारी सरकार ने राज्य व्यापार समिति बनाई है । उस के बाद भी एक समिति बनाई गई थी । हम तो पहले ही ऐसी समिति बना चुके हैं और वह काम भी कर रही है । समय आने पर हमें पता लगेगा कि रूस से व्यापार करने में हमें क्या कठिनाइयां आती हैं । रूस जो राज्य-व्यापार को ही पसन्द करता है--आज हमारे व्यापारियों से भी व्यापार करने को तैयार है । इस की पृष्ठभूमि में भी कोई चाल है । हमें प्रत्येक काम सावधानी से करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

माननीय मित्र ने कहा कि सरकार जनता विरोधी कार्यवाही कर रही है। मैं उसे नहीं समझ सकता। अभी हमारे देश में स्वतंत्र ढंग से सामान्य निर्वाचन हुए हैं--कभी किसी साम्यवादी देश में तो निर्वाचन हुए भी नहीं होंगे। मैं ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को स्पष्टतया कहा है कि यदि योजना को सफल बनाना है तो कर लगाने से चिन्तित नहीं होना चाहिये। लोग योजना की क्रियान्विति चाहते हैं।

हमारी सरकार ने चुनाव से पहले संसद से अधिक कर लगाने की शक्ति ली--चुनावों से पहले साफ तौर पर लोगों को बताया गया कि हम कर बढ़ायेंगे--और फिर भी उन से वोट लिये। हम ने साहस से तथा ईमानदारी से काम किया है। मैं तो सोचता था कि माननीय मित्र यह सुझाव देंगे कि योजना के लिये पैसा इस प्रकार इकट्ठा करो--किन्तु वे तो यह कह रहे हैं कि किसी पर करारोपण न करो। इस के साथ ही वे यह भी कहते हैं कि अमेरिका तथा इंग्लैण्ड आदि देशों से सहायता न लो। हमें बताया जाता है कि हम भी नासिर की नीति का अनुसरण करें। जिस का परिणाम यह हो कि हम सब से शत्रुता कर बैठें।

चुनावों में वह कहते हैं कि सरकार ने योजना कार्यान्वित नहीं की इसलिये वोट हमें दो। वह कहते हैं कि जब हमारा शासन होगा तब कहीं कोई शब्द नहीं सुनाई देगा--"पूर्ण शान्ति होगी" --"मरघट की सी शान्ति"। हम नहीं चाहते कि हम भी तानाशाहों की भांति जनता का शोषण करें।

आयव्ययक के बारे में मैं यह कहूंगा कि यह आयव्ययक जनता का है। चीनी आदि वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाया गया है। वह किसी सीमा तक आवश्यक भी था। हम ने लोगों को पहले ही कहा था। किन्तु माननीय मित्रों को यदि कभी कोई अवसर मिला तो वे तो किसी को बतायेंगे भी नहीं। पेय पदार्थों में राज्य का अधिकार है--इस मामले में भी अधिक कर नहीं हैं। मेरे मित्र कहते हैं कि कर ज्यादा हैं। क्या सोवियत रूस में क्रेमलिन के कुछ लोगों को छोड़ कर--जनता की कमर करों के बोझ से नहीं तोड़ रखी है ? इस सम्बन्ध में वह चुप हैं। क्या वहां अनिवार्य बचतों का कोई हिसाब होता है। हमारे मित्र चाहते हैं कि हमें किसी सिद्धान्त को अपनाना चाहिये। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम रूसी सिद्धान्त नहीं चाहते। हम गांधी जी के सिद्धान्तों को मानते हैं। हम तानाशाही नहीं चाहते। **(अन्तर्बाधायें)**

†**अध्यक्ष महोदय** : साम्यवादी दल के नेता ने सिद्धान्तों की बात शुरू की। उन्हों ने कहा कि हमें केवल कर ही नहीं लगाने चाहियें बल्कि निजी सम्पदायें भी ले लेनी चाहिये। दूसरे माननीय सदस्य इस का विरोध कर रहे हैं --और बता रहे हैं कि अमुक देश में क्या हुआ। इसलिये माननीय सदस्यों को अब घबराना नहीं चाहिये--जब उन के नेता ने सिद्धान्त की बात की तब सब शान्त बैठे थे। सभी की बात सुननी चाहिये।

†**श्री रंगा** : माननीय मित्र ने कहा कि आयव्ययक से पूंजीवाद का और भी विकास होगा यह बात ग़लत है। लखपति लोग बहुत घबराये हुए हैं--वे रो रहे हैं कि यदि इसी प्रकार कर लगते रहे तो उन का क्या बनेगा। इसी कारण वह मध्यम वर्ग के लोगों को भड़काते हैं। इधर साम्यवादी भी मध्यमवर्ग के लोगों को भड़काते हैं--इस हिसाब से दोनों मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूंजीपति तथा साम्यवादी दोनों ही जनता के कल्याण के इच्छुक हैं। यह आयव्ययक हमें समाजवाद की ओर ले जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मुझे इस बात की खुशी हुई है कि लोगों ने अपने देश का भाग्य माननीय मित्र के दल के हाथों में नहीं सौंपा—बल्कि कांग्रेस को जिताया ताकि यहां का विकास रचनात्मक तरीके पर हो। इन सब बातों के होते हुए भी देश में नौकरशाही का खतरा है—मैं भी चाहूंगा कि इस खतरे से सरकार सावधान रहे और लोगों को —काम करने वाली जनता को विशेष प्रकार से स्थान दे।

†**श्री मसानी** (रांची-पूर्व) : श्रीमान्, सब लोगों ने सिन्दबाद जहाजी की कथा सुनी होगी। हमारे वित्त मंत्री की स्थिति भी वैसी ही है। उनकी पीठ पर द्वितीय पंच वर्षीय योजना सवार है और यह आयव्ययक उसी का परिणाम है। मुझे वित्त मंत्री से सहानुभूति है। उन्होंने यह ठीक किया है कि दो नये करों को प्रवर समिति के सामने रखने के बारे में सहमति दी है।

करों के सम्बन्ध में, मैं यह समझता हूं कि इन से गरीब लोगों पर बड़ा भारी बोझ पड़ेगा। इस बोझ को अब वह सहन नहीं कर सकते। १९४८-४९ से अब तक उत्पादन शुल्कों की रकम ५८ करोड़ रुपये से बढ़कर २५८ करोड़ रुपये हो गई है। इस के साथ ही रुपये की कीमत भी कुछ नहीं रही है—इससे वेतन पाने वाले लोगों की बड़ी हानि पहुंची है। आज ४०० रुपये युद्ध के पूर्व के ९३ रुपये के बराबर हैं। करादि देने के बाद १००० रुपये, १९३९ के २२३ रुपये के बराबर हैं। गत दो वर्षों में महंगाई २० प्रतिशत बढ़ गई है। यह सारा बोझ माध्यमिक दर्जे के लोगों पर ही पड़ा है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इन करों की राजनीतिक प्रतिक्रिया देखें। हमारे देश में दरमियाने दर्जे के लोगों की पर्याप्त संख्या है और उनका काम भी महत्वपूर्ण है—क्योंकि साधारण लोग अनपढ़ हैं। यही लोग नौकरियां करते हैं—यही लोग राजनीति में भाग लेते हैं। हमें इन लोगों पर कोई अन्याय नहीं करना चाहिये। हमें उन्हें इस स्थिति में नहीं लाना चाहिये—ताकि ऐसा न हो कि वे किसी दल के चक्कर में फंस जायें।

डीजल तथा पेट्रोल पर भी शुल्क लगाया गया है। हमारी योजना की सफलता के लिये परिवहन का विकास होना भी आवश्यक है। इतने अधिक करों से विकास में बाधा पड़ेगी रेल से ११ पाई प्रति टन मील के हिसाब से सामान जा सकता है, किन्तु मोटर परिवहन से अधिक व्यय करना पड़ेगा, इस कारण मोटर परिवहन का विकास नहीं होगा।

माननीय मंत्री ने घाटे की वित्त व्यवस्था के स्थान पर कर लगाकर बहुत अच्छा किया है। इसके लिये वे देश तथा जनता के धन्यवाद के पात्र हैं, तथापि मैं पूर्ण नम्रता से यह निवेदन करूंगा कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था करने के पश्चात् इन करों को लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। इनसे कीमतों के चढ़ने में कोई अन्तर नहीं आयेगा और फल-स्वरूप वे सभी अवांछनीय परिणाम होंगे जिनका जिक्र स्वयं मंत्री महोदय अपने भाषण में कर चुके हैं। मेरे विचार से बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने का केवल एक ही तरीका है और वह यह है कि जनता के धन के अनुरूप ही उन्हें सामान तथा सेवायें उपलब्ध की जायें। प्रमुख अर्थशास्त्री प्राफेसर आर्थर लेविस भी इसी के पक्ष में हैं।

वस्तुतः हम लोग योजना के विरोधी नहीं हैं। हम सच्चे हृदय से उसकी सफलता चाहते हैं। तथापि विवाद इस बात पर है कि हम लोग तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मसानी]

जब कि कुछ लोग बहुत धीरे आगे बढ़ रहे हैं । अन्तर योजना के तरीके पर है । वस्तुतः हम योजना के द्वारा आर्थिक विकास करना चाहते हैं तथापि योजना कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कोई स्पर्श न करे अथवा आलोचना न करे । यह योजना जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं ,वह योजना नहीं है जो सभा ने पारित की थी । उसके उद्देश्य वही हैं लेकिन व्यय बढ़ता जा रहा है सभा ने जब योजना पारित की थी तो उसने उसके व्यय में वृद्धि स्वीकार नहीं की थी ।

यह कहा गया है कि किसी भी मूल्य पर योजना को क्रियान्वित किया जायेगा । मेरे विचार से वित्त मंत्री ऐसा नहीं करेंगे अन्यथा जनता की मुसीबत और तकलीफें बढ़ जायेंगी । योजना के कुछ अंशों की अवधि बढ़ाना अधिक उपयुक्त होगा ।

इसके कई कारण हैं । एक कारण यह है कि हमारे कई अनुमान गलत सिद्ध हुए हैं । पहिला विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारे अनुमान गलत सिद्ध हुए हैं । दूसरा हमारा अनुमान था कि व्यय अत्याधिक स्थिर रहेगा तथापि उसमें ५० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । तीसरा खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में भी हमारा अनुमान गलत रहा है । तब योजना पर चिपके रहना उचित नहीं है । योजना अन्ततः जनता के कल्याण का एक साधन है । योजना को ही उद्देश्य मान लेना जिससे जनता के हित पर आघात हो उचित नहीं है ।

मेरा सुझाव है कि सरकार इस सत्र तथा अगले सत्र के बीच के अवकाश में, उन विकास तथा विकासेतर तथ्यों पर विचार करे, जो इस बजट में शामिल किये गये हैं । उदाहरण स्वरूप मैं आयकर और निगमकर लेता हूं १९४६–४७ में इन करों से कुल १३१ करोड़ रुपये एकत्र हुआ था जब कि संग्रह करने में १.५ करोड़ रुपया व्यय हुआ था । किन्तु चालू वर्ष में इससे १३६ करोड़ रुपया एकत्र होगा जब कि एकत्र करने का व्यय बढ़ कर तीन गुना अर्थात् ४·६ करोड़ रुपया हो जायेगा । अर्थात् देश में नौकरशाही की वृद्धि हो रही है । इस सभा में पारित होने वाले प्रत्येक विधेयक से कुछ नये पदाधिकारियों की वृद्धि होती है और कुछ नये विभाग बनते हैं । इस प्रकार की योजनायें अभी स्थगित की जा सकती हैं और उनके स्थान पर जनता के रोटी कपड़े का प्रश्न पहिले हल किया जाय ।

अतः मेरा सुझाव है कि योजना में कटौती की जाय और यह कटौती इस प्रकार हो कि योजना को अभिनव रूप दिया जाय जिसमें पूर्ववर्तिताओं के क्रम में अन्तर किया जाय । इसलिये भारी उद्योगों का रुपया छोटे प्रकार के उद्योगों और कृषि में लगाया जाय । इससे हमें कई गुना अधिक आय हो सकती है । उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश योजना, गवेषणा और कार्य संस्था द्वारा किये गये प्रयोगों से सिद्ध हो जाता है । उन्होंने बताया है कि प्रत्येक कृषक को केवल १०० रुपये ऋण देकर ही केवल पांच वर्ष के अन्दर उसके खेतों की उपज दुगुनी हो गई । उन प्रयोगों से यह भी ज्ञात हुआ कि छोटे उद्योगों में पूंजी और उत्पादन का अनुपात ५० से २० प्रतिशत तक रहता है । वस्तुतः छोटे उद्योगों में रुपया लगाकर बड़े उद्योगों की अपेक्षा शीघ्र लाभ हो सकता है ।

इसके पूर्व भी हमारी प्रगति आंशिक रही है । क्योंकि हमारे देश में उत्पादक सामान में १९५६ की अपेक्षा तीन गुना वृद्धि हुई है जबकि, उपभोग्य सामान में केवल ३५ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है । जब कि जनता को उपभोग्य वस्तुओं की ही आवश्यकता होती है ।

यूगोस्लाविया में मैंने एक बार भारतीय राजदूत को यह बात पूछी कि हवाई अड्डे और भारतीय दूतावास के बीच इतनी अर्धनिर्मित इमारतें क्यों हैं ? उन्होंने मुझे बताया कि मार्शल टीटो ने यह आज्ञा दी है कि जनता को भरपूर योजना और वस्त्र उपलब्ध होने तक इन इमारतों का निर्माण रोक दिया जाय। पोलैंड के इस वर्ष के बजट में भी इंजिनियरिंग इत्यादि की अपेक्षा कृषि को अधिक महत्व दिया गया है। हंगरी में भी यही किया जा रहा है वहां की समस्या का केन्द्र किन्तु यह है कि अनुपयोगी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार अधिक उपयोगी और लाभदायक बनाया जाय । चीन के राष्ट्रीय अर्थ आयोग के उपप्रधान ने यह बात स्वीकार की है कि उनके लक्ष्य बहुत ऊंचे होने के कारण योजना अकुशल और अलाभकारी सिद्ध हो रही है । रूस भी यही शिकायत कर रहा है । हमें इनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिये । जनता से योजना के लिये त्याग करने को कह कर वर्तमान पीढ़ी को भूखों मारना लोकतंत्रीय तरीका नहीं कहा जा सकता है । मेरे विचार से भारी उद्योगों के सम्बन्ध में योजना में कुछ परिवर्तन करना उचित होगा । योजना के लिये जनता का सहयोग अनिवार्य है क्योंकि बिना जनता के सहयोग के कोई योजना सफल नहीं हो सकती है ।

†**श्री सोमानी** (दौसा) : वित्त मंत्री ने एक क्रांतिकारी बजट प्रस्तुत किया है । यह उनके साहस और दूरदर्शिता का प्रमाण है । मैं उनके बुनियादी दृष्टिकोण से बिल्कुल सहमत हूं तथा मुझे पूरा विश्वास है कि भारी उद्योगों और कृषि में जो रुपया लगाया गया है उससे हमें निकट भविष्य में ही लाभ प्राप्त होना प्रारम्भ हो जायेगा ।

जहां तक गैर सरकारी क्षेत्र और वाणिज्यिक समुदाय का सम्बन्ध है, मैं उनकी ओर से वित्त मंत्री को विश्वास दिलाता हूं कि वे द्वितीय योजना की सफलता के लिये भी सरकार से उसी प्रकार सहयोग करेंगे जिस प्रकार उन्होंने पहिली योजना में किया था ।

साम्यवादी दल के नेता ने बम्बई के कारखानों के निदेशकों पर कुछ आरोप लगाये थे । मैं पहिले उनका उत्तर देता हूं । उन्होंने निदेशकों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है उन्हें यह ज्ञात होना चाहिये कि व्यवस्थापकों की कुशलता के कारण ही भारत, जो विश्व के बड़े वस्त्र आयातकर्ता देशों में एक था अब विश्व का बहुत बड़ा निर्यात कर्ता देश बन गया है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिद्वंद्विता कर रहा है ।

उन्होंने यह भी कहा है कि उत्पादन शुल्क को ग्राहकों के मत्थे मढ़ दिया गया है क्योंकि तीसरी पारी के उत्पादन में कुछ छूट दी गई है । यह बिल्कुल गलत है और जहां तक छट का सम्बन्ध है पहिले आठ महीनों के उत्पादन पर ही कुछ छूट दी जाती है ।

चालू वर्ष के बजट में ९०० करोड़ रुपये विकास कार्य में व्यय होंगे जिसके लिये उन्हें अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी । अक्सर हमारे विकास व्यय में कमी हो जाती है वस्तुतः हमें यह देखना चाहिये कि हम जो कुछ भी व्यय करें उसका पूरा उपयोग हो ।

दूसरे मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अक्सर राजस्व का अनुमान कम लगाया जाता है जबकि व्यय को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है । इसलिये बजट बनाते समय इस ओर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सोमानी]

तीसरी बात यह है कि उन्हें विकास व्यय में से अनावश्यक और अल्प उपयोगी विकास कार्यों को हटा देना चाहिये और केवल अत्यावश्यकीय कार्यों को ही किया जाना चाहिये ।

साथ ही वित्त मंत्री को यह ध्यान रखना चाहिये कि व्यय में मितव्ययता हो और अपव्यय दूर किया जाय । यथासम्भव केवल आवश्यक बातों पर ही व्यय किया जाय । इसके अलावा विकास कार्य के मार्ग में कई अन्य बाधायें भी हैं यथा सीमेन्ट व इस्पात की कमी, परिवहन सेवाओं की कमी इत्यादि इससे योजना के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी । क्या वित्त मंत्री ने उनका सामना करने का उपाय सोच लिया है, क्योंकि केवल वित्त की उपलब्धि से ही सब कुछ नहीं हो जायेगा ।

वित्त मंत्री ने कहा है कि ३०० से ४०० करोड़ तक विदेशी मुद्रा में कमी होगी क्या इससे योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । यदि उक्त बाधाओं के कारण विकास का पूर्ण कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं हो सकता है, तो योजना में कुछ कमी की जा सकती है और करों में भी कुछ कटौती की जा सकती है । क्योंकि बढ़ते हुए करों का व्यापक विरोध किया जा रहा है । और इसस कारखानों का उत्पादन व्यय भी बढ़ता है । उत्पादन व्यय का भी वस्त्र उद्योग पर काफी प्रभाव हुआ है, उनके मुनाफे कम हो गये हैं ।

अब मैं प्रत्यक्ष करों के प्रश्न को लेता हूं । यदि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित सभी करों को जोड़ा जाय तो हमारे देश में भी ब्रिटेन के बराबर ही कर लग गये हैं । इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री को यह सुझाव देना चाहता हूं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विषमता दूर की जाय । अभी हाल उद्योग मंत्री ने उत्तर प्रदेश में दो नये सरकारी उद्योगों की घोषणा की है जब कि राजस्थान इस सम्बन्ध में पिछड़ा हुआ है । सरकार को चाहिये कि वह भारत के कुछ पिछड़े हुए इलाकों को विशेष क्षेत्र घोषित कर वहां कुछ निश्चित अर्से के लिये कों से छूट प्रदान करें, जिससे वहां के उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा ।

दूसरा प्रश्न विदेशी मुद्रा के विषय में है । जो कारखाने निर्यात करने के लिये माल उत्पन्न करते हैं, उन्हें करों के सम्बन्ध में कुछ रियायतें दी जायं । इससे उन्हें उत्पादन में प्रोत्साहन मिलेगा ।

अल्प बचतों के सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि किसी विशेष क्षेत्र की बचत का उपयोग उसी क्षेत्र के विकास में किया जाय । इससे लोगों को बचत करने में काफी प्रोत्साहन मिलेगा ।

धन कर के सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि यह कर, नयी कम्पनियों के अंशों में लगाये गये धन पर भी नहीं लगना चाहिये इससे विनियोजन में वृद्धि होगी ।

यदि बड़ी कम्पनियां किसी छोटे पैमाने के उद्योग पर अपनी पूंजी का कुछ अंश लगाती हैं तो उसे भी कर मुक्त होना चाहिये । इससे छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास होगा और योजना के क्रियान्वित करने में भी सहायता मिलेगी ।

जहां तक धन कर का प्रश्न है, इसे लागू करने में उन सिद्धांतों का ध्यान नहीं रखा गया है, जिनके आधार पर यह कर लगाया गया था । इसके लिये आयकर में अधिक

छूट मिलनी चाहिये और कम्पनियों पर यह कर नहीं लगना चाहिये यदि लगाना अनिवार्य ही हो तो केवल प्रदत्त पूंजी को इसमें शामिल नहीं करना चाहिये । ऐसा करने से कम्पनियों की कठिनाई दूर हो जायेगी । मुझे आशा है प्रवर समिति इस सुझाव पर विचार करेगी ।

जहां तक बोनस कर का सम्बन्ध है, बोनस अंशों से कम्पनी की आस्तियों में कोई वृद्धि नहीं होती । बोनस अंशों में वृद्धि होने से यह कर निषिद्ध हो गया है और अब कम्पनियां बोनस अंश देना ही बन्द कर रही हैं । मुझे आशा है कि मेरे सुझावों से कर का वितरण अधिक—समान होगा और गैर सरकारी क्षेत्र को कुछ सहायता मिलेगी ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** (पुदुकोट्टै) : जहां तक वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों का सम्बन्ध है, उन्होंने अधिक आय वर्गों को सभी ओर से अपना शिकार बनाया है । उन्होंने उच्च आय वर्ग के करों के प्रतिशत में कुछ कमी की है तथापि वह कमी नाममात्र है जब कि उन्होंने धन कर और व्यय कर लगा दिया है । उन्होंने उत्पादन कर भी बढ़ा दिया है अल्प आय वर्गों के लिये करारोपण की सीमा ४२०० से घटाकर ३००० रुपये कर दी गई है ।

उक्त सभी करों से आवश्यक चीजों के मूल्य में वृद्धि होगी और देश की अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा ।

साथ ही योजना में क्षेत्रीय विषमता भी स्पष्ट है । कुल ४८०० करोड़ रुपयों में से मद्रास, आंध्र, केरल और मैसूर को केवल ६०० करोड़ रुपये मिलेंगे जब कि उन्हें एक चौथाई अवश्य मिलना चाहिये ।

केन्द्रीय सरकार के व्यय को कम करने के लिये, और यदि आवश्यकता हो तो छंटनी करने के लिये, एक उच्चाधिकार आयोग बैठना चाहिये और उसे आवश्यक सुझाव देने चाहियें। उदाहरणार्थ केवल अम्बर चर्खे के लिये द्वितीय योजना में ४० करोड़ रुपये रखे गये हैं। सरकार को देखना चाहिये कि इतनी राशि से जनता को कुछ लाभ भी मिलेगा या नहीं ।

वित्त मंत्री को चाहिये कि वे एक ऐसी संविधि संस्था बनायें, जो विनियोजन के सम्बन्ध में भारत का रक्षित बैंक, भारत का राज्य बैंक और जीवन बीमा निगम इत्यादि द्वारा विनियोजित किये जाने वाले संसाधनों का समन्वय करे । वह संस्था केन्द्रीय सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच सम्पर्क स्थापित करने का काम कर सकती है ।

वस्तुतः वित्त मंत्री को इन प्रस्तावों के कुल प्रभाव पर विचार कर, कुछ रियायतें देनी चाहियें, जिससे वे कर जनता पर भार न बनें ।

†**श्री महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : करों के विरोध में जनता के द्वारा जो आवाज उठाई जा रही है, उससे यह स्पष्ट है कि जनता असंतुष्ट है । मेरा लक्ष्य जनता की सेवा करना है अतः यह बजट वापस ले लिया जाना चाहिये । सर्वोत्तम उपाय यह है कि जनता के समय और शक्ति का भरपूर उपयोग किया जाय । हमारे देश में साधु, विद्यार्थी और सैनिक कोई कार्य नहीं करते हैं । साधुओं से सिपाहियों का कार्य लिया जा सकता है । प्रत्येक स्कूल में एक कारखाना, फार्म, बगीचा इत्यादि खोल कर विद्यार्थियों से वहां काम करवाया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महेन्द्र प्रताप]

जा सकता ह । यही कार्य सैनिक भी कर सकते हैं । वस्तुतः हमें सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था को ही बदलना होगा ।

हमें कर इस प्रकार लगाने चाहियें कि सामान्य व्यक्ति उस के भार को अनुभव न करे । यह तो ठीक है, परन्तु मैं यह नहीं कहता कि मैं साम्यवाद से सहमत हूं । मेरा विचार यह है कि कर एक ही होना चाहिये और वह भूमि अथवा अचल सम्पत्ति पर लगना चाहिए और बैंक में पड़े धन पर लगना चाहिये । सब को सब प्रकार की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । हमें केवल इतना ही नियन्त्रण रखना चाहिए कि लोग व्यर्थ, और समाज विरोधी बातें न करें । यह कर लगाने की प्रणाली गल्त है ।

हमारे समाज में दो ही बाते हैं, उत्पादन और वितरण । हम जितना उत्पादन कर सकें, करें और उसका न्यायोचित वितरण करें । परन्तु आजकल दुकानदार कई हेरफेर करके वस्तुओं को महंगा करके वितरण करते हैं, और लाभ उठाते हैं । दो ही बातें हैं या तो सरकार सारी व्यवस्था अपन हाथ में ले ले और सब को मासिक वेतनों का आश्वासन दे दें, और उसमें गरीब अमीर कोई न छोड़ा जाय या फिर स्वतन्त्रता होनी चाहिए और उत्पादन तथा वितरण का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए ।

सरकार की बांधों की योजना के संबंध में मुझे यह कहना है कि इन्हें व्यापारियों को दे दिया जाय, इससे न कर ही लगाने पड़ेंगे और न ही रुपया खर्च करना पड़ेगा। बड़े बड़े व्यापारियों को बिजली, पानी कारखानों और बांधों के ठेके दे देने चाहिएं । इसके पश्चात् वे ही इन सब सेवाओं के लिये पैसा वसूल करेंगे और फिर हम उन पर कर लगायेंगे । हम तो दलगत राजनीति में समय नष्ट कर देते हैं, और जनता को यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि हमारा ही दल ठीक काम कर रहा है । मेरा कहना है कि श्री जवाहरलाल हों अथवा कोई और जब तक सरकारी तंत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ हो नहीं सकेगा ।

श्री ब्रह्म प्रकाश (दिल्ली सदर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब से यह बजट पेश हुआ है इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है । मेरे खयाल में जितने भी आज तक बजट पेश हुए हैं या कभी कोई और मसले पेश हुए हैं उन सब पर इतनी ज्यादा चर्चा या नुक्ताचीनी नहीं हुई जितनी कि इस पर हुई है । एक तरह से इस बजट ने कुछ लोगों के दिमागों में तथा उनके दिलों में हलचल पैदा कर दी है । मालूम होता है कि हम लोगों ने जो पहला पांच साला प्लान को पूरा किया है तो हमने उसे ख्वाब में ही पूरा किया है और हम ख्वाब में ही थे । जब हमने दूसरा पांच साला प्लान तैयार किया और इस पर चर्चा की और बड़ी बहस की तो मैं समझता हूं कि न सिर्फ इस सदन ने ही बल्कि सारे हिन्दुस्तान ने तथा हिन्दुस्तान में जितनी भी जिम्मेदार पार्टियां हैं, उनके लीडरों ने इसको मंजूर किया है । इसके बाद जब आज पहली बार इस प्लान (योजना) को इम्प्लेमेंट कार्यान्वित करने के लिए कुछ कदम उठाये जाते हैं जिनको कि इन्कलाबी कदम कहा जा सकता है या मजबूत कदम कहा जा सकता है तो एकदम हमारे दिलों में कुछ घबराहट पैदा हो जाती है । हम एक बात सोचने लगते हैं और वह यह कि आया हम इस प्लान को पूरा कर सकेंगे या नहीं । हम एक तरफ सोचने लग जाते हैं कि हम प्लान में कुछ कतर-व्योत करें और दूसरी तरफ डांगे साहब कहते हैं कि प्लान पूरा होना चाहिए, प्लान में

कोई त्रुटि मालूम नहीं होती । साथ ही साथ वह फरमाते हैं कि टैक्सों का यह जो बोझ है यह गरीबों पर पड़ता है और यह सरमायादारी को बढ़ाता है । यह जो बात उन्होंने कही है, यह मेरी समझ में नहीं आई है । एक तरफ तो कहा जाता है कि प्लान को पूरा किया जाए और साथ ही साथ दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि प्लान में कतरव्योत की जाए और तीसरी दफा कहा जाता है कि प्लान की वजह से गरीबों पर जो टैक्स लगे हैं वे ऐसे बोझ हैं जिनको वे सम्भाल नहीं सकेंगे ।

हमने प्लान को मंजूर किया है और मैं समझता हूं कि हमने मंजूर किया है । कांग्रेस तो उसे मंजूर करके उसको वोटर्स के पास ले गयी और उनको उसकी बाबत सब कुछ बतलाया । मेरे ख्याल में किसी दूसरी पार्टी ने भी उसकी मुखालफत नहीं की और एक तरह से सभी ने उसको मंजूर किया ।

आज यह टैक्स प्रपोजल्स हमारे सामने आते हैं और उन पर चर्चा होती है, नुक्ताचीनी होती है और कहा जाता है कि आज वह ऐजम्प्शेस नहीं रहे जो कि प्लान के वक्त थे । प्लान की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि यह ठीक है कि ऐजम्प्शेस यह थे कि हमारे खाने पीने का सामान बढ़े, कंज्यूमर्स गुड्स (उपभोग वस्तुएं) बढ़ें, खास तौर से खाने के सामान के बारे में कहा गया है कि उसमें कमी नहीं होनी चाहिए बल्कि वह बढ़े और यह भी कहा गया था कि हमारे फारेन एक्सचेंज के सोर्सेज इतने नहीं हैं जिससे कि हमें बिलकुल खुली छूट मिल जाय, सोर्सेज लिमिटेड हैं और इसलिए हमें उन सोर्सेज (संसाधन) को ज्यादा से ज्यादा जमा करना होगा । यह बातें प्लान में कही गई हैं और यह भी कहा गया है कि जो टैक्सेज का सिस्टम है उसमें भी काफी तबदीलो करनी पड़ेगी । उसमें यह साफ इशारा किया गया है कि टैक्स की बढ़ोतरी होगी और अगर हम बचत ज्यादा नहीं कर सकेंगे और चूंकि फारेन एक्सचेंज की मिकदार मुकर्रर है और उस पर हमारा पूरा जोर नहीं चलता जितना चलना चाहिए तब हमें ऐसे तरीके अख्त्यार करने पड़ेंगे जिनसे कि हम प्लान के लिए ज्यादा रुपया हासिल कर सकें। इस वास्ते आज जब यह टैक्स प्रपोजल्स (प्रस्ताव) हमारे सामने आये हैं, मैं समझता हूं कि हमें उन्हें कबूल कर लेना चाहिए और खुशी के साथ कबूल करना चाहिए यह समझ कर कि प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे सिर पर है और हमें उसे पूरी तौर पर लेकर चलना है ।

मेरे दोस्त श्री डांगे ने प्लान को मंजूर किया, टैक्सेज को कंडेम किया और कहा कि टर्न ओवर टैक्स लगाया जाय और नेशनलाइज़ेशन किया जाय । मैं नहीं समझता कि क्या वह हवा में टैक्स लगाना चाहते हैं । आखिर टैक्स एक कौमी सरमाये पर लगता है और यह जानकर लगाते हैं कि एक कहीं हमारी नेशनल वेल्थ है और उससे किस हद तक हम टैक्स ले सकते हैं । यह जाहिर बात है कि चाहे वह नेशनल वेल्थ हमारे प्राइवेट सैक्टर के पास हो या आज पबलिक सैक्टर में हो लेकिन आखिर तो वह लिमिटेड है । अगर आज हम तमाम प्राइवेट सैक्टर को पब्लिक सैक्टर में तबदील कर दें तो क्या अचानक उससे नेशनल वेल्थ बढ़ जायगी और हम एकदम उतना टैक्स लगा सकेंगे जितना कि प्लान के लिए हमें जरूरत है ? यह मुमकिन नहीं है । उन्होंने जो एक तजवीज दी कि और वह थ्योरी की तजवीज़ थी कि एकदम हम उसको नेशनलाइज़ करें और यह टैक्स जो हैं यह बहुत बोझिल हैं और लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है ।

[श्री ब्रह्म प्रकाश]

हम देखें कि हमारे जो टैक्स प्रपोजल्स हैं उनका असर कहां तक पड़ता है । यह ठीक है कि चाहे दायें तरफ से और चाहे बायें तरफ से उस पर नुक्ताचीनी करेंया कहें कि गरीबों पर इसका असर पड़ता है और मैं मानता हूं कि इस बजट का गरीबों पर कुछ बोझ पड़ता है लेकिन हमारे सामने मसानी साहब ने ठीक कहा है कि उसका मिडिल क्लासेज पर बोझ पड़ता है । मिडिल क्लासेज कितने हैं ? अगर हम कुछ व्योरा लगायें और हम अपने अपर क्लासेज और लोअर मिडिल क्लासेज को भी मिडिल क्लासेज में गिन लें तो उनकी तादाद देश में २५ फीसदी से ज्यादा नहीं होगी । और मैं पूछता हूं कि पिछले ६ साल में इस नेशनल एकोनामी में जो रुपया यहां इनवैस्ट हुआ है उसका फायदा किसके पास पहुंचा है और वह रुपया कहां गया है ? आखिर वह कहां पहुंचा है और किस तबके में पहुंचा है । किस तबके से पास वह रुपया पहुंचा है तो क्या कोई भी देश चाहे वह सोशलिस्ट कंट्री हो, कम्युनिस्ट मुल्क हो या कैपटिलिस्टक मुल्क हो, क्या वह मना करेगा कि उस तबके से एक हद तक आप कुछ रुपया टैक्स की शकल में या बचत की शकल में वापिस न ले सकें ? तनासुब के तौर पर यह समझा गया है कि अपनी नेशनल इनकम में से जो हमारी आमदनी बढ़ती है उसमें से २० फीसदी के करीब अगर वापिस ले लिया जाय जाहे बचत की शकल में या टैक्स की शकल में तो वह गैर मुनासिब नहीं है और कोई मुल्क आज दुनिया के अन्दर ऐसा नहीं है जो यह कहेगा कि नहीं लेना चाहिए। इसके लिए शायद यह कहा जाय कि वह तो बड़े इंडस्ट्रियल मुल्क हैं और उन्होंने तरक्की कर ली है इसलिए आप उनकी मिसाल नहीं दे सकते तो मैं उनकी मिसाल न देकर अपने पड़ौसी अनडेवलपड़ट (अविकसित) मुल्क चीन की मिसाल आपके सामने रखता हूं । आप चीन को ले लें । उन्होंने भी इस बात को तसलीम किया है कि २२ फीसदी तक वह उसमें से ले सकते हैं और उनका ३० फीसदी तक लेने का इरादा है ।

हमारे देश में करीब ७५ फीसदी लोग गरीब बसते हैं और उन्हें सूखी रोटी, उबले हुए चावल और नमक आदि जैसी मामूली चीजों के अलावा और कुछ नहीं मिलता है । मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों पर भी मजमुई तौर पर इन टैक्सों का कुछ असर पड़ता है लेकिन असली जो बोझ है वह उस २०, २५ फीसदी तबके पर पड़ता है जिसके कि बारे में कोई शक नहीं कि उसकी आमदनी का दायरा बढ़ा है और उस आमदनी के दायरे पर अगर उसे कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है तो उन्हें गुरेज नहीं करना चाहिए ।

मालूम कुछ ऐसा देता है कि हम सब लोग शायद मिडिल क्लासेज और अपर क्लासेज के रिप्रेजेंटेटिव्स ज्यादा हैं और हमारी जेबों पर चूंकि उन टैक्सेज का असर पड़ रहा है इसलिए वह हमें ज्यादा खल रहा है । यह भी ठीक है कि जहां तक शहरों का ताल्लुक है शहरों में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जिनकी कि आमदनी उस लोअर मिडिल और मिडिल क्लासेज के तबके में आती है लेकिन अगर गांवों में हम जायं तो वहां इसका असर बिलकुल दूसरा है । हमें चाहिए कि इस सैकेंड फाइव इयर प्लान को पूरा करने के लिए जो कुछ जरूरी हो करें और यह हमें समाजवाद की दिशा की ओर ले जाने के लिए एक कदम है और हमें अपने ऊपर, मिडिल क्लासेज के ऊपर और लोअर मिडिल क्लासेज के ऊपर यह बोझ खुशी से बर्दाश्त करना चाहिए और हमें इस प्लान को काम्याब बनाने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए ।

मुझे अफसोस है कि हमारे दोस्तों ने जो कि सामने की बैंचों पर बैठे हुए हैं, अभी से उन्होंने एक जिहाद इन टैक्सों के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ दिल्ली की गलियों में शुरू कर दिया है और मुझे पता नहीं कि और कहां कहां शुरू किया है लेकिन मैं उन्हें यह जरूर कहना चाहता हूं कि जहां उन्हें इस बात का पूरा हक है कि वह लोगों को यह कहें कि यह टैक्स गलत हैं अगर वे ऐसा समझते हैं और इन टैक्सों के खिलाफ वे जिहाद कर सकते हैं लेकिन इतना मैं जरूर अर्ज कर दूं कि कम से कम आमतौर पर तरक्की पसन्द पार्टियों के अन्दर और मुल्कों के अन्दर ऐसा कभी नहीं देखा कि वह उन टैक्सों के खिलाफ जायं जिनको कि वह प्लान की कामयाबी के लिए सही समझते हों और महज एक पोलिटिकल एंड के लिए जद्दोजहद शुरू करें ।

इस वास्ते मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं । लोग अक्सर शुरू में ही मुबारकबाद देते हैं और बाद में कंडेम कर के कहते हैं कि यह खराब है, यह बुरा है । इसलिए मैं उन को आखिर में मुबारकबाद देता हूं कि यह बजट उन की हिम्मत और जुर्रत का सबूत है । उन्होंने सही मानों में एक इन्कलाबी कदम उठाया है, और सही मानों में सोशलिस्ट इन्कलाब की तरफ यह मजबूत कदम है जिसको कि आने वाला जमाना याद रखेगा । अगर यह कहा जाय कि इस से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी, तो मैं कह सकता हूं कि यह एक डेवेलपिंग एकानमी है, विकासशील एकानमी है । इस बढ़ती हुई एकानमी के अन्दर यह नहीं हो सकता कि प्राइसेज में स्टेबिलिटी (स्थिरता) रहे । इसलिए अगर कहीं कहीं प्राइसेज की अनस्टेबिलिटी रहती है तो इस से हमें घबराना नहीं चाहिए । क्योंकि आखिर यह तो हम समझते हैं ही कि पांच साला प्लान के पहले जो प्राइसेज थीं, पांच साला प्लान के अन्दर रहना मुश्किल है, एक सतह पर आना मुश्किल है । वह अपना लेवेल (स्तर) लेंगीं, एक नया लेवेल लेंगी । अनस्टेबल प्राइसेज से ही स्टेबल प्राइसेज निकलेंगी, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए, इस से हम को घबराना नहीं चाहिए ।

यह ठीक है कि हमारे यहां अनाज की कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए एक इन्कलाब की जरूरत है । जिस तरीके से आजकल सरकार का काम हो रहा है, यह ठीक है कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मेरी यह राय है कि उसमें एक और इन्कलाब की जरूरत है । लैंड रिफार्म्स की जरूरत है, लेकिन इस से ज्यादा जरूरत है कि हम एक कोआपरेटिव सिस्टम को इन्कलाबी तौर पर तैयार करें । आज से तीन साल पहले चीन की भी यह हालत थी कि वह दूसरे मुल्कों से अनाज ले रहा था, वहां के लोग दिल में कुछ परेशान थे । इस वजह से उन्होंने अपनी प्लान में कुछ तब्दीली की । जिस वक्त वहां कोआपरेटिव फार्मिंग पर और कोआपरेटिव सोसायटीज पर एतराज हुआ, सारे मुल्क में एतराज हुआ, तो उस को एक इन्कलाबी तरीके से उठाया गया, और उस से एक जबर्दस्त उपज अनाज की पैदा हुई । आज यहां पर कोआपरेटिव फार्मिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग इस को नई चीज समझते हैं, क्योंकि यह वेस्टेड इन्टरेस्ट्स के खिलाफ जाता है, प्रेजेन्ट प्रोप्रायटरशिप के खिलाफ जाता है । वह जमीन का मोह नहीं छोड़ना चाहते, जमीन के ही साथ, चाहे वह एक एकड़ ही क्यों न हो, चिपके रहना चाहते हैं । इस वास्ते खाली कोआपरेटिव फार्मिंग ही नहीं, बल्कि जो उस के दूसरे हिस्से हैं, यानी कंज्यूमर कोआपरेटिव और इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव, वह भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं । मैं अर्ज करूंगा कि हम उस को उस जोश और हिम्मत के साथ, आइडियलिज्म के साथ, नहीं ले रहे हैं

[श्री ब्रह्म प्रकाश]

जो उस के लिए जरूरी है । अगर हिन्दुस्तान की गरीबी को दूर करने का और यहां की एकानमी को तरक्की देने का कोई हल है, तो वह कोआपरेशन है, कोआपरेटिव सिस्टम है । अगर यहां की लैंड के जराय को इस्तेमाल करने का कोई वाहिद तरीका हो सकता है, तो सब से जबर्दस्त तरीका कोआपरेटिव फार्मिंग है । मैंने अपनी तमाम जिन्दगी कोआपरेटिव का काम किया है, या चूंकि मैं कोआपरेशन का वजीर था इस वजह से समझिए, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और मेरा ख्याल जम गया है कि हुकूमत की मशीनरी या खाली हुकूमत के जरिए कोआपरेशन का काम नहीं हो सकता । उस के लिए एक इन्कलाबी कदम उठाना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि वह इन्कलाबी कदम यह होगा कि इस को रोजमर्रा के ऐडमिनिस्ट्रेशन से हटाकर, हुकूमत के नीचे से हटाकर, एक सेन्ट्रल कोआपरेटिव बोर्ड बना कर उस के नीचे कर दिया जाए । इसे एक नानआफिशल कैरेक्टर दिया जाए क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेटिक (नौकरशाही) मशीनरी में वह जोश और हिम्मत नहीं है, उस के अन्दर वह आइडियलिज्म नहीं है, जो कि कोआपरेटिव सिस्टम की तरक्की के लिए जरूरी है । इसलिए यह जरूरी है कि हम इस को एक नय पहलू दें। सिवा चीन के कहीं भी, किसी मुल्क में, इस को गवर्नमेंट के तहत में नहीं रक्खा गया, न हुकूमत के साथ रक्खा गया । यह एक वालेंटरी तरीके पर चला है और तक्की हासिल की है । यहां इस चीज की ज्यादा जरूरत है । नहीं तो मुझे डर है कि कोआपरेशन की स्कीमें, जो कि बेशक वह ७ करोड़ से ४७ करोड गई हैं, सिर्फ कागज पर धरी रह जाएंगी और उनका कुछ नतीजा नहीं निकगा

इतना कह कर मैं सिर्फ़ यही और कहना चाहूंगा कि लोग प्लैन के लिए रुपया देने को तैयार हैं, लोग टैक्स का बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह हुकूमत से कुछ चाहते भी हैं । वह चाहते हैं कि यहां की हुकूमत की जो मशीन है, वह जरा तेजी से चले और उस में जो खराबियां हैं, वह उस के अन्दर से दूर हों । यह मशीन कुछ डिसेन्ट्रलाइज हो । यह नहीं होना चाहिए कि एक जगह चीजों का सेन्ट्रलाइजेशन हो और वहां से वह निकलें नहीं । आज एकानमी का सेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट मशीनरी का डिसेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिए, दूसरों को पावर्स दी जानी चाहिएं। जब तक पावर्स का डेलिगेशन नहीं होगा, काम करने वालों पर कुछ भरोसा नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी हो, उस के अन्दर स्पिरिट पैदा नहीं हो सकती, मोमेंटम नहीं आ सकता है, जो कि प्लैन को चलाने के लिए जरूरी है ।

इन शब्दों के साथ मैं बजट के जो प्रपोजल्स हैं और जो बजट की टैक्स की मदें हैं, उन से आमतौर से इत्तफाक करता हूं, और मैं यह उम्मीद करता हूं कि यह सदन पांच साला प्लैन को पूरा करने के लिए उस को खुशी से बर्दाश्त करेगा और बोझ को समझते हुए भी हर कुर्बानी को दे कर इस प्लैन को कामयाब बनाएगा ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : हमने यह बजट इस ढंग का क्यों बनाया है, इसलिये कि हम विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं । हमने मतदाताओं से कोई चीज छिपाई नहीं, हमने स्पष्ट कहा कि हम कर लगायें , क्योंकि इसके बिना हम योजना नहीं चला सकते । इन करों के बदले में जो व्यवस्था हम करेंगे उस से ही हम इसके प्रति लोगों

†मूल अंग्रेज़ी में ।

में उत्साह पैदा कर सकेंगे । जब तक कोई परिणाम न सामने आये सामान्य व्यक्ति बड़ी बड़ी योजनाओं को नहीं समझ सकते ।

इस समय रोटी का प्रश्न है । कहा जाता है कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, खाद्य स्थिति ठीक ठाक है । बड़ी प्रसन्नता की बात है परन्तु फिर भी स्थिति संकटपूर्ण दिखाई देती है । बंगाल के कई स्थानों पर अन्न शीघ्र नहीं पहुंच सका । मंत्री महोदय ने सहायता का आश्वासन भी दिया लेकिन लोग भूखों मरते रहे । मंत्री महोदय के प्रयत्नों के बावजूद अन्न वहां समय पर न पहुंच सका ।

बंगाल की दो समस्यायें हैं । प्रथम यह कि सामान्य व्यक्तियों को रोटी चाहिये, दूसरी यह कि गन्दी बस्तियों को साफ किया जाना चाहिये । यदि हम जनता में उत्साह की भावना पैदा करना चाहते हैं तो केवल दिल्ली और कलकत्ता में ही नहीं प्रत्युत छोटे छोटे नगरों में जहां कि इसकी बहुत आवश्यकता है, इस ओर ध्यान देना होगा ।

छोटे छोटे नगरों की नगरपालिकायें धनाभाव से इस काम को नहीं कर सकतीं, जब तक कि केन्द्र की सहायता उन्हें प्राप्त न हो । हमें बड़े महलों और अशोक होटलों पर ही धन नहीं खर्च करना चाहिये बल्कि हमें आम जनता के भले की ओर भी ध्यान देना है । ऐसा करने पर ही लोगों में उत्साह पैदा होगा और तब ही प्रत्येक वर्ग के लोग यह समझेंगे कि सचमुच कोई योजना है और उनके लिये कुछ किया जा रहा है ।

पुनर्वास का कार्य भी शोचनीय स्थिति में है । लोग अभी भी पाकिस्तान से आ रहे हैं । हमें इस बात का पता लगाना चाहिये कि आखिर वे क्यों पाकिस्तान से आ रहे हैं । कलकत्ता में जाकर देखिये वहां लोग बिल्ली और कुत्तों की भांति सड़कों पर पड़े हैं, परन्तु फिर भी वे चले आ रहे हैं । पाकिस्तान में अवश्य कोई भयानक बात ही होगी जिससे वे अपना घर छोड़ कर गंदी सड़कों पर पड़े हैं । इस विषय पर सोच विचार होना चाहिए । इस संबंध में अन्य बात यह है कि पूर्वी बंगाल के विस्थापित लोगा, बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहते । उसके लिये सरकार को चाहिये कि जो बस्तियां उन्होंने बंगाल से बाहर उनके लिये बनाई है उसमें बंगाली वातावरण पैदा करे । डाक्टर, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि सब बंगाली हो । शनैः शनैः वे अभ्यस्त हो जायेंगे, और उन बस्तियों के जीवन में समा जायेंगे ।

मैं यह अपील करूंगी कि किसी राजनीतिक दल को इस माननीय समस्या से राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए ।

पुनर्वास के सम्बन्ध में एक दो बातें सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहती हूं । एक यह कि सहायता के स्थान पर उन्हें कर्जा दे दिया जाय, और सहायता पर खर्च करने वाली राशि अन्य रचनात्मक कार्यों में खर्च की जाय । सहायता से नहीं बल्कि काम करके ही उन्हें अपनी रोजी कमानी चाहिए । इस प्रकार उनका पुनर्वास समुचित ढंग से हो सकेगा ।

विदेशी मुद्रा भी हमारी सरकार के लिये सरदर्द बनी हुई है । इसके पैदा करने के दो साधन हैं । चाय उद्योग इसका अच्छा साधन है । इस उद्योग को पूरा प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में वह मुकाबला कर सके । १५० करोड़ रुपया हम

[श्रीमती इलापाल चौधरी]

जहाजों को भाड़े के रूप में अदा करते हैं । यदि हम अपना नौवहन तैयार करें तो काफी विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है । इसके लिए ५० करोड़ की राशि बड़ी आवश्यक है । पहली ३७ करोड़ की राशि तो समाप्त हो चुकी है । अब हमारे पास वणिकपोत खरीदने के लिये अधिक धन नहीं है । वित्त मंत्री महोदय का कहना है कि योजना का आधार इस्पात, कोयला और परिवहन है । नौवहन परिवहन का एक महत्वपूर्ण अंग है । दूसरे देशों में नौवहन के विकास के लिये जो सहायता प्राप्त होती है, वह यहां प्राप्त नहीं । इसके साथ ही नौवहन कर्मचारियों के कल्याण का भी हमें ध्यान रखना चाहिये । यह भी सरकार का कर्तव्य है । ये नाविक बड़े साहसी और परिश्रमी हैं और किसी देश के नाविकों से कम नहीं और वे अपने परिश्रम से देश के लिये धन कमाते हैं । इनके कल्याण का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए ।

देश में आधी आबादी स्त्रियों की है । वे बहुत कुछ कर सकती हैं । उनकें शक्ति और उनके गुणों का उपयोग किया जाना चाहिए । नये भारत के निर्माण के लिये वे तत्पर है । सरकार को उन्हें अवसर देना चाहिए ताकि इस शक्ति का ठीक दिशा में उपयोग हो सके । योजना में शुल्क, राजस्व ही आस्तियां नहीं हैं, लोग भी इस इस श्रेणी में आ सकते हैं । नये भारत के निर्माण में महिलायें, तमाम कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए बड़ा से बड़ा बलिदान देने को तत्पर हैं । नये भारत की प्रगति ही उनका लक्ष्य है ।

†**श्री बि० कु० घोष** (बैरकपुर) : मैं राजनीति और सिद्धान्त के प्रश्नों में न जाकर केवल बजट पर ही कुछ कहूंगा । यद्यपि हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के दूसरे काल से गुजर रहे हैं, परन्तु हमें योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई । ये आयव्ययक योजना को कार्यान्वित करने के केवल साधन मात्र हैं । प्रगति रिपोर्ट को देखे बिना हम कोई विचार प्रकट नहीं कर सकते । भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय ने हमें वार्षिक रिपोर्ट देने का वायदा किया था परन्तु पता नहीं उसका क्या हुआ । मैं योजना के संबंध में कुछ अधिक आंकड़े चाहता हूं जिनसे विभिन्न बातों के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके । मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आय और खर्चे के आंकड़े कब प्राप्त होंगे । इसके बिना आर्थिक स्थिति का समुचित अध्ययन नहीं हो सकता । इसके बाद में एक बात सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं । योजना को स्वीकृत करते समय संसद् ने उसके लक्ष्य निर्धारित किये थे, और प्राथमिकतायें निश्चित की थीं और यह व्यवस्था भी की थी कि रुपया कैसे प्राप्त किया जाये । अब उसमें यदि कोई परिवर्तन करना है तो इसकी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए । अगली बात मुझे यह कहनी है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में किये गये दावों का क्या हुआ, विशेषकर खाद्य स्थिति के संबंध में जो दावे किये गये थे, उनका क्या हुआ । सरकार इस संबंध में स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करती ? देश की कठिनाइयों को इस संबंध में कम करके क्यों दिखाया जा रहा है ? खाद्य मंत्री का कहना है कि कीमतों की तुलना १९५२-५३ से की जाये, परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि १९५५–५६ से तुलना क्यों न की जाय । गृह कार्यमंत्री का कहना है कि अन्न की कीमतों में वृद्धि कोई आश्चर्यजनक नहीं है । परन्तु हमें यह समझ लेना चाहिए कि खाद्य स्थिति का सन्तोषजनक हल न हुआ तो योजना को भारी खतरा हो जायेगा । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में सरकार ने खाद्य समस्या को हल कर लेने का दावा किया था । परन्तु पता नहीं अब क्या हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अब मैं कर प्रस्तावों की ओर आता हूं । जिस साहस और ढंग से वित्त मंत्री महोदय ने इन्हें प्रस्तुत किया, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं । धन तथा व्यय पर लगाये गये करों का मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि उपहारों पर भी कर लगाया जायेगा और इस प्रकार प्रोफैसर कालडोर के सुझावों को कार्यान्वित किया जायेगा । इसके विरोध के दो आधार हैं । एक यह कि हमें इन नये करों का अनुभव नहीं, और दूसरा यह कि हमारी प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बहुत है । परन्तु जो कुछ भी मानवीय तत्व उपलब्ध हैं उनके साथ हमें आगे तो बढ़ना ही है । यह कौन नहीं जानता कि भ्रष्टाचार है परन्तु फिर भी सरकार को स्थिति यथासम्भव सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए ।

जहां तक अनुभव का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि यह बात बहुत अच्छी है कि हम जिस बात को अच्छा समझते हैं उसे कर डालने का ही प्रयत्न करते हैं । इन करों के संबंध में दूसरे देश हमारे अनुभव से लाभ उठायेंगे । निजी क्षेत्रों के उत्साह का जहां तक प्रश्न है, उसके संबंध में तो इतना ही काफी है कि हमारे सभी राजनीतिक दलों ने समाजवाद को लक्ष्य मान लिया है । इसलिये निजी क्षेत्र तो वैसे भी कम होंगे ही । दूसरे, दूसरी योजना में निजी क्षेत्रों के लिये ७३० करोड़ की व्यवस्था थी परन्तु वे केवल १६० करोड़ का ही प्रबन्ध कर सके हैं । इसका अभिप्राय यह है कि २२ प्रतिशत तो ई० पी० टी० फंड और प्रबन्धक अधिकर्ताओं से प्राप्त हुआ और ७८ प्रतिशत रक्षित निधियों से प्राप्त हुआ है । हमारे गैर-सरकारी क्षेत्र का यही अंशदान है उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि वह कितनी सहायता कर रहे हैं । मैं माननीय वित्त मंत्री के नये करों का समर्थन करता हूं किन्तु प्रत्यक्ष कर देने वालों को जो रियायतें दी गयी हैं, उसका मैं समर्थन नहीं करता । इससे उनका लक्ष्य पूरा नहीं होगा और इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत बुरा होगा । एक ओर हम समाजवाद की बात करते हैं और दूसरी ओर पूंजीपतियों की चिन्ता करते रहते हैं । इससे न योजना को लाभ पहुंचता है और न ही देश का कोई आर्थिक हित होता है ।

प्रत्यक्ष करों की विमुक्ति सीमा नहीं घटाई जानी चाहिए । आपको समझना चाहिये कि २५० रुपये मासिक कमाने वालों को भी कर देना होगा । यह लोग महीने के अन्त में कर्जा ले के परिवारों का खर्चा चलाते हैं । चाहे यह तीन रुपये हो अथवा एक रुपये आठ आने, परन्तु इसका देना भी उनके लिये कठिन होगा । इस सम्बन्ध में उन्हें कर जांच आयोग की सिफारिशों का उल्लेख नहीं करना चाहिए क्योंकि इस आयोग की बहुत सी सिफ़ारिशों को उन्होंने नहीं माना है । सिर्फ़ इसी मामले में वह क्यों मान रहे हैं । धन पर लगाये गये कर के सम्बन्ध में मैं इस बात पर जोर दूंगा कि ७ वर्ष तक नई कम्पनियों पर यह नहीं लगना चाहिए, जब तक कि उसे विशेष लाभ प्राप्त न किया हो ।

अप्रत्यक्ष करों के बारे में मैं वित्त मंत्री का समर्थन नहीं कर सकता । वह जो भी आंकड़े बतायें, लेकिन यह बात पक्की है कि कीमतें तो और ऊपर जायेंगी ही । उन्होंने दूसरे सदन में जो यह बात कही है कि लोग भूखों नहीं मर रहे हैं, गलत है क्योंकि ठीक प्रकार से भोजन न मिलने का अर्थ भी भूखों मरना ही होता है । ऐसा मैं बंगाल में अपने अनुभव से कह सकता हूं । इसलियें वित्त मंत्री को चाहिये कि इन लोगों को चीनी, माचिस, तम्बाकू तथा चीनी के उत्पादन शुल्क में कुछ रियायत दे दें ।

वित्त मंत्री का कहना ठीक है कि वह योजना के लिये धन चाहते हैं । मेरा तो कहना है कि धन की कमी नहीं । करों की कोई आवश्यकता नहीं केवल समाजीकरण कर दीजिये ।

[श्री वि० कु० घोष]

राष्ट्रीयकरण से भी कुछ नहीं होगा। इसका इलाज ही समाजीकरण है। अब प्रश्न है कि हम योजना का व्यय कैसे पूरा करेंगे। हमारे यहां ८५० करोड़ रुपये का घाटा है, ४०० करोड़—अधिक व्यय के कारण इन्हें जोड़ कर घाटा १२५० करोड़ हो गया। फिर मंत्री महोदय घाटे की अर्थ व्यवस्था में ४०० करोड़ रुपये की कमी कर रहे हैं, जो कि ठीक ही है। इस तरह सब मिला कर यह घाटा १६५० करोड़ रुपये होता है। यह रुपया कहां से आयेगा। वित्त मंत्री कहते हैं कि करों से उन्हें ८०० करोड़ रुपये की आय होगी। मैंने उन्हें कुछ सुझाव रखे हैं। जिससे यह आय ८०० करोड़ रुपये के स्थान पर ६५० करोड़ हो जायेगी क्योंकि मैंने करों में रियायत करने का सुझाव दिया है। राज्यों से और राजस्व से क़रीब ३२५ करोड़ मिलेगा। इस में १०० करोड़ मितव्ययता के और १०० करोड़ हो कर अपवंचन को रोकने के जोड़ने चाहियें। सब मिला कर ११७५ करोड़ रुपये होता है। तो हम देखते हैं कि हमें योजना में थोड़ी कमी अवश्य करनी होगी वरना इसका खर्चा कहां से आयेगा। पहली योजना में १० प्रतिशत का घाटा था जब कि कोई आर्थिक कठिनाई नहीं थी। परन्तु इसमें तो बहुत ही कठिनाइयां और बाधायें आ रही हैं। इसलिये लोगों पर भार डालने की आवश्यकता नहीं। कर प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने पर भी कठिनाइयां रहेंगी। यदि योजना का कार्यान्वित होना सम्भव भी हो जाय तो सामान्य लोग अधिक भार वहन नहीं कर सकेंगे।

मेरा कहना यह है कि यह बजट आम लोगों पर भारी बोझ है। यदि हम योजना की सफलता चाहते हैं, तो हमें जनता को साथ लेना चाहिए, और उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिये। लोग भूखों मर रहे हैं और यदि अन्न की कीमतों के सम्बन्ध में कुछ न किया गया तो निस्सन्देह योजना असफल ही रहेगी।

अन्त में मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह मेरी बातों पर ध्यान दें। ऐसा न हो कि हम अपने उद्देश्यों को यानी देश की शांतिपूर्ण प्रगति को खतरे में डाल दें।

†**श्री मुरारका** (झूंझनू) : माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि अपनी नीति का निर्धारण करते समय हमारे सामने जो सब से बड़ा विचार है वह योजना के लक्ष्यों की पूर्ति है। उन्होंने कहा कि जो देश विकास के कार्य को प्राथमिकता देना चाहता है। वहां ऐसा होगा ही। हमें योजना को कार्यान्वित करने में जो भी कठिनाइयां आयें उनका मुकाबला करना है और जो भी बलिदान देने हों उनके लिये तत्पर रहना है। इसी दृष्टि से ही हमें बजट को देखना है। मैं अपने भाषण में दो तीन बातें कहना चाहता हूं।

नये कर प्रस्ताव श्री कालडोर की सिफारिशों पर आधारित हैं। कोई कुछ ही आलोचना करता रहे, परन्तु यह ज़रूर है कि वित्त मंत्री महोदय ने कर लगा कर जो ९३ करोड़ रुपये के राजस्व की व्यवस्था की है उसमें उन्होंने समवायों को काफ़ी रियायत दी है। आयकर २५ प्रतिशत से ३० प्रतिशत कर दिया गया है। जैसा सभा को पता है समवाय द्वारा दिया गया सारा आयकर अंशधारियों को व्यक्तिगत निर्धारण के समय वापस किया जा सकता है। यदि किसी अंशधारी की आय कम हुई तो उसे रुपया वापिस मिल जाता है। इन समवायों के सम्बन्ध में दूसरी बात यह है निगम कर को बढ़ा कर १७ प्रतिशत से २० प्रतिशत कर दिया गया है जो सभी आयों पर लागू होगा। परन्तु लाभांश के रूप में एक निगम से दूसरे निगम को प्राप्त आय पर यह कर कम करके १७ प्रतिशत से १० प्रतिशत कर दिया है। लाभांश कर को भी कम करके १२½ से १०, २५ से २०, और ३७½ से ३० प्रतिशत कर दिया गया है। ये सब रियायतें महत्वपूर्ण हैं और हम इन की उपेक्षा नहीं कर सकते। यह सब उचित है अथवा नहीं, यह प्रश्न नहीं है। जब बजट में

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्य व्यवस्था कर लगाने की है, तो वित्त मंत्री ने किसी न कसी प्रकार लाभांश कर में छूट दी है, इसे हमें मानना पड़ेगा ।

धारा २३(क) के अन्तर्गत वे समवाय आते हैं जिन में आम जनता का कोई हित नहीं होता । थोड़े से लोग मिल कर इन समवायों को चलाते हैं । इन समवायों को कर देकर सारा लाभ आपस में बांटना पड़ता है । अंशधारियों को इस प्रकार प्राप्त राशि पर अधिकर देना होता था । अब इस धारा के अन्तर्गत आने वाले सभी समवाय अपने कुल लाभ का केवल ४५ प्रतिशत अंश ही बाटेंगे और ५५ प्रतिशत अपने पास रख सकेंगे । इसका यह अर्थ हुआ कि अंशधारियों को अधिकर नहीं देना होगा । मान लीजिये एक ५० लाख की पूंजी वाले समवाय को २० लाख का लाभ होता है । तो पुराने उपबन्धों के अनुसार यह सारा लाभ अंशधारियों में बांटना होगा । उस समवाय को लाभांश कर के रूप में ५,३७,००० रुपये देने होते, परन्तु वर्तमान व्यवस्था के अनुसार समवाय को अपने लाभ में से ४५ प्रतिशत ही बांटना होगा और इस प्रकार उसे केवल १,१०,००० रुपये ही देने पड़ेंगे । यह अपवाद नहीं है, इस प्रकार के उदाहरण बहुत हैं ।

बोनस कर १२½ प्रतिशत से ३० प्रतिशत कर दिया गया है । यह ठीक है कि यह बहुत अधिक है, परन्तु आप बोनस अंश जारी ही क्यों करें । सरकार इन्हें वैसे भी बन्द कर सकती है । बोनस कर लाभांश कर को प्रभावशाली बनाने तथा सरकार की अनिवार्य निक्षेपों की योजना को सफल बनाने के लिये आवश्यक है ।

धन कर के सम्बन्ध में यह आलोचना की गई है कि इस की कर जांच आयोग ने सिफारिश नहीं की थी, केवल श्री कालडोर ने जो कहा वह हम ने मान लिया । परन्तु मेरा कहना है कि कर जांच आयोग ने भी इस कर का एकदम विरोध नहीं किया था । उस की यह राय थी कि धन कर सिद्धान्त रूप में ठीक ही है, परन्तु इस देश की प्रशासन व्यवस्था इस के लिए उपयुक्त नहीं । यह रिपोर्ट १९५४ की है और अब १९५७ है इसलिये हमें अब शुरू करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती ।

यह आलोचना की गई है कि धन कर विनियोग और बचत के लिये लोगों में उत्साह कम कर देगा । इस आलोचना का केवल यही उत्तर मैं दे सकता हूं कि धन कर उस धन से होने वाली आय से दिया जाता है जिस पर कर लगाया जाता है । प्रो० कालडोर ने लिखा है कि धन पर वार्षिक कर, उस धन पर होने वाली आय पर होता है मूलधन पर नहीं । यह कहा जा सकता है कि इस कर को समवायों पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए । परन्तु इस कर की दरें बहुत कम हैं तथा भारत में समवाय ही ऐसा संगठित क्षेत्र है जहां यह निश्चित रूप से पता लग सकता है कि सही अस्तियां अथवा पूंजी क्या हैं ।

अब मैं कुछ शब्द व्यय कर के बारे में कहना चाहता हूं । यद्यपि सिद्धान्त रूप में मैं इसका विरोधी नहीं हूं परन्तु समस्त विश्व में कहीं भी यह कर लागू नहीं है । इस के अतिरिक्त इस विधेयक में एक बात ऐसी है जिससे इसमें कुछ गड़बड़ी मालूम होती है । व्यय कर लगाने की आय ६०,००० रुपये रखी गई है तथा किसी व्यक्ति की आय ५९,००० रुपये होने पर भी उसे कर नहीं देना पड़ेगा चाहे वह ६०,००० रुपये पाने वाले व्यक्ति से अधिक धन ही व्यय क्यों न करता हो । इसके परिणामस्वरूप सभी व्यक्ति अपनी आय ६०,००० रुपये से कम दिखायेंगे और व्यय-कर नहीं देंगे । श्रीमान, क्योंकि यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जा रहा है इसलिए मैं सभा का और समय लेना नहीं चाहता ।

बड़े तथा छोटे सभी को वित्त मंत्री ने कोई न कोई छूट दी है । परन्तु २५० रुपये से ३५० रुपये मासिक पाने वाले व्यक्तियों को कोई छूट नहीं है । इसके अतिरिक्त इस वेतन-क्रम में आने

[श्री मुरारका]

वाले अविवाहित व्यक्ति तो और भी अधिक कुचल दिये गये हैं । पहले तो उनको आय कर देना पड़ता है । दूसरे उनकी उत्पादन शुल्क बढ़ जाने के कारण वस्तुओं के अधिक मूल्य देने पड़ते हैं । विवाहित व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि कर बहुत थोड़ा है । परन्तु यदि आप इन व्यक्तियों के परिवारों के आय-व्यय के आंकड़ों पर नज़र डालें तो आपको जानकारी होगी कि इन पर कर लगाने की गुंजाइश नहीं है । मेरी वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि वह इन बातों पर पुनः विचार करें ।

उत्पादन शुल्क के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ वस्तुओं पर अधिक उत्पादन शुल्क बढ़ाने के बजाये अधिक वस्तुओं पर थोड़ा उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया जाता तो ठीक रहता ।

विदेशी विनिमय के बारे में मंत्री महोदय ने बताया कि अभी यह बताना संभव नहीं है कि योजना की प्रगति पर विदेशी विनिमय का क्या प्रभाव पड़ेगा यद्यपि वह इस पर लगातार ध्यान रख रहे हैं । परन्तु मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री को इससे अधिक कुछ इस सम्बन्ध में करना चाहिये जिससे योजना सफल हो जाये ।

भूतकाल में जो हमारी आयात नीति थी वह ज़रूरत से ज्यादा उदार रही है । १९५३, १९५४ और १९५५ में हम ने बड़ी मात्रा में चीनी का आयात किया । हम ने १५ लाख टन चीनी आयात कर के ८० करोड़ रुपये का व्यय किया । हमें यह व्यय नहीं करना चाहिए था । सरकार ने हाल ही में अपनी नई आयात नीति की घोषणा की है अब पूंजीगत उपकरणों का आयात आस्थगित भुगतान की शर्तों पर किया जा सकता है । परन्तु गैर सरकारी उपक्रमी उन शर्तों के अनुसार अपने स्तर पर किसी सौदे की बातचीत करना कठिन पा रहे हैं । जब तक सरकार स्वयं आगे बढ़ कर कोई कार्यवाही नहीं करेगी, तब तक साधारण व्यक्ति को इन शर्तों पर पूंजीगत उपकरण हासिल करने में बड़ी कठिनाई होगी । मेरा सुझाव है कि एक आयात ऋण निगम बनाया जाना चाहिए जो सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं में नियत तिथि पर विदेशी निर्यातकों को भुगतान की गारंटी दे ।

अब मैं योजना में मितव्ययता के बारे में कुछ कहूंगा । मूलतः योजना ४,८०० रुपये की बनाई गई थी जो अब बढ़ा कर ५,२०० करोड़ रुपये की बना दी गई है । मेरे विचार से योजना को छोटा कर देना चाहिए क्योंकि बहुत सी ऐसी मदें योजना में हैं जो अत्यावश्यक नहीं हैं । चाहे वह ग़लत हो अथवा ठीक हो इस सभा के सदस्यों तथा जनता का विचार है कि सरकार धन का दुरुपयोग कर रही है । इस सम्बन्ध में या तो सरकार को हमें संतुष्ट करना चाहिए अथवा उसे अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करने चाहिएं । इस प्रकार की भावना जनता में फैलना ठीक नहीं है । इस दुरुपयोग के बारे में कर जांच आयोग द्वारा रुपये का ठीक प्रकार से उपयोग न किये जाने पर ध्यान आकृष्ट करवाया है । सरकार को इन सब बातों पर गौर करना चाहिये ।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बधाई देती हूं कि उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया है और ऐसे टैक्स लगाने के सुझाव रखे हैं कि जिससे हाउस के चारों तरफ दुहाई मच गई है और दुहाई के सिवाय कोई दूसरी बात नहीं है ।

मैं इस बजट पर ज्यादा न कह कर केवल डोमेस्टिक इकोनोमी (घरेलू अर्थ-व्यवस्था) के बारे में ही चन्द एक बातें आपके सामने रखूंगी । आज यहां पर मैं स्त्रियों की ओर से बोल रही हूं । मैं उन की ओर से बोल रही हूं जिनको कि मिडिल क्लास कहा जाता है या लोअर मिडिल क्लास के नाम से पुकारा जाता है या गरीबों की क्लास कहा जाता है । इन घरों में तेल,

दियासलाई आदि आम इस्तेमाल की चीजें हैं । मैं यह खूब अच्छी तरह से जानती हूं कि किसी मुल्क का अगर डिवेलपमेंट होती है, किसी मुल्क को उन्नति होती है, तो उस पर सब को फख्र होता है । यह जो काम है यह बगैर टैक्सों के नहीं हो सकता है, यह भी मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूं । आज इस हाउस में इस पर भी बहस नहीं चल रही है कि गांधीइज्म अच्छा है या कम्युनिज्म अच्छा है । टैक्सिस लगाना कोई बुरी बात नहीं है, ये सब को अच्छे लगते हैं लेकिन जो देखने वाली बात होती है वह यह होती है कि क्या ये मौजूं हैं या नहीं हैं । आज आपने कई चीजों पर टैक्स लगा दिये हैं या टैक्सों का जो रेट है उसको बढ़ा दिया है । क्या ये जो टैक्स लगाये गये हैं क्या ये गरीबों को बिल्कुल खत्म करने के लिए लगाये गये हैं । क्या इन से गरीब आदमी जिन्दा रह सकेंगे, यह सवाल इस वक्त हमारे सामने है ।

जब मैं इस सवाल पर गौर करती हूं तो सारे हिन्दुस्तान का जो नक्शा है वह हमारे सामने आ जाता है । हमारा देश बहुत गरीब है । हमारे देश को आजादी मिले अभी दस साल हुए हैं । इन दस वर्षों में हम पनप भी नहीं पाये हैं । जब हम पनपे भी नहीं तभी हमने पहली पांच साला योजना बनाई और उसको सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया । इस से हमारे देश को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है । लेकिन इतना ज्यादा फायदा पहुंचने के बाद भी हम देखते हैं कि अभी भी हमारे यहां फाकेमस्ती है, गरीबी है और इन चीजों को हम देश से अलग नहीं कर सके हैं, दूर नहीं कर सके हैं । जब इतनी ज्यादा गुरबत है तो ये जो टैक्स लगाये जा रहे हैं ये किन पर लगाये जा रहे हैं और किन किन चीजों पर लगाये जा रहे हैं । हम में से ज्यादातर लोग गरीब हैं और वे किसी न किसी तरह से जिन्दा ही रहते हैं । ये लोग हैं जिन पर आपने टैक्स लगाया है । माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब मद्रास के रहने वाले हैं । मैं भी मद्रास में रह चुकी हूं और वहां पर मैंने खुद देखा है कि आम तौर पर लोग गरीब हैं और इतने गरीब हैं कि वे दिन भर बगैर खाने के काफी और भांड यानी चावल का पानी पी कर जिन्दा रहते हैं । अब जबकि काफी पर टैक्स लगाया जा रहा है तो काफी भी उनके लिए दुशवार हो जाएगी और हो भी गई है । इसी तरह से चाय पर टैक्स लगाया गया है । मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि आज लोग चाय पी पी कर तथा उसमें रोटी के टुकड़े भिगो कर खाते हैं । मैं इस कामन आदमी में उस आदमी को शामिल करती हूं जिसकी आमदनी दो सौ या तीन सौ या चार सौ है । वह आज अपने परिवार का गुजर बसर नहीं कर सकता है । जब इन सब चीजों को मैं देखती हूं तो इस पर भी जब ये टैक्स लगाये जाते हैं तो ये खलने लगते हैं । अगर गरीब आदमियों को तथा मिडल क्लास के लोगों को सरकार ने फ्री एजुकेशन (मुफ्त शिक्षा) और फ्री मैडिकल एड (मुफ्त इलाज) की फैसिलिटीज (सुविधायें) दी होतीं तो ये जो टैक्स हैं इनको अदा करना किसी को बुरा न लगता । लेकिन जो हालात आज हैं उनमें इन टैक्सों को अदा करना बहुत तकलीफदेह है ।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहती हूं कि अभी कोई आदमी मुझ से जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि शहरी इलाकों में जरूर इससे तकलीफ होगी लेकिन देहाती इलाकों में नहीं होगी । अगर ऐसी बात है तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहूंगी कि वह इलैक्शन के दिनों में देहातों में गये होंगे, आज मेरे साथ भी २० मील या ३० मील देहातों के अन्दर तक चलें और मैं उनको दिखाऊंगी कि आज भी दस दस बरस की लड़कियां लंगोटी बांधती हैं क्योंकि उनको कपड़ा नसीब नहीं होता है । गेहूं वहां पर इतना महंगा है कि उनको खाने तक को नसीब नहीं होता है । वे गोबर के उपले शहर में बेचने के लिए लेकर आते हैं ताकि उनके पास नमक और तेल खरीदने के लिए पैसे हो जायें । जब आज देहातों की यह हालत है तो आपके टैक्सों का उन पर क्या असर पड़ेगा इस पर आपको विचार करना होगा । आज आप दियासलाई पर टैक्स लगा रहे हैं, तेल

[श्रीमती उमा नेहरू]

पर लगा रहे हैं, काफी पर लगा रहे हैं, तम्बाकू पर लगा रहे हैं, चाय पर लगा रहे हैं और ये सब चीज़ें गरीब आदमियों के इस्तेमाल की हैं।

इसके अलावा जब मैं तसवीर का दूसरा रुख देखती हूं तो सोचती हूं कि क्या हमारे देश में रईस आदमी नहीं हैं, क्या अमीर आदमी नहीं हैं, क्या प्रिंसिस नहीं हैं। क्या हमें इन लोगों को कम या ज्यादा टैक्स लगाना है। अगर आप इन लोगों को बतलाते कि देश प्रेम क्या है, और देश के लिए सैक्रिफ़ाइस (त्याग) करने का क्या मतलब होता है और उन्हें अपनी आमदनी में से कुछ देना है तो यह ज्यादा मुनासिब होता और वे लोग दे भी देते। मैंने यहां पर कई बार प्रिवी पर्सिस का ज़िक्र भी किया है। इसके जवाब में मुझसे कहा गया है कि कानून हमें इनको छूने की इजाजत नहीं देता। मैं पूछना चाहती हूं कि कानून कौन बनाता है? आपने कई कानून बनाये हैं। वह कौन सी अड़चन है जिसकी वजह से आप पर्सिस को छू तक नहीं सकते। आपको इस चीज़ को भी देखना चाहिए था। ये सब चीज़ें तो हैं लेकिन असल बात यह है कि जिस वक्त कोई आदमी कोई परिवर्तन लाने के लिए खड़ा होता है या कोई शख़्स सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना की बात करता है तो सब से पहली जो चीज़ उसको करनी है वह यह है कि वह खुद त्याग करे। जब मैं इस चीज़ को देखती हूं तो मैं अपनी सरकार से यह कहे बिना नहीं रह सकती कि इतनी बड़ी महफिल, इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) किस लिए है? एक एक आदमी की जगह पर पांच पांच आदमी आपने रखे हुए हैं, इसमें आप कमी क्यों नहीं करते। आप सादगी को क्यों अखत्यार नहीं करते हैं, आप आस्टैरिटी को क्यों नहीं अपनाते हैं। आस्टेरिटी यहीं से पहले शुरू होनी चाहिए, इसकी शुरूआत आप ही को करनी है। आपको इन सब चीज़ों को मंजूर करना है, आपको तनख्वाहों को कम करना है, आपको सादगी को अपनाना है और जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आपके ये जो टैक्सिस हैं ये भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को अमल में लायें तो हम भी आपको खुशी से टैक्स देने को तैयार हो सकते हैं और अगर आप हमारी खाल भी खींचना चाहें तो उसकी भी हम इजाज़त दे सकते हैं। तो सब से पहले आपको सादगी को अखत्यार करना है और पीछे सब दूसरी चीज़ें आती हैं। आपने वैल्थ पर टैक्स लगाया है। लेकिन जब मैं इस टैक्स को देखती हूं तो पाती हूं कि उसके अन्दर आपने काफी गुंजाइश रख दी है। लोग इवेड कर सकते हैं, अंडर ग्राउंड जा सकते हैं। जब सब चीज़ अन्डर ग्राउंड हो जाती है तो आप को इसकी चिन्ता होने लगती है और इस चीज़ को पकड़ने के लिए आप एक दूसरा ही महकमा यहां पर कायम करते हैं। इस टैक्स की तरफ जब मैं देखती हूं तो एक अजीब ही चीज़ पाती हूं। जो चीज़ कहीं पर भी आजमाई नहीं जाती है वह यहां आजमाई जाती है। भारत की यह हालत है कि कोई भी बीमारी अगर यहां आती है तो वह यहां कायम हो कर रह जाती है।

मैं अपने सब मिनिस्टर साहबान की खिदमत में यह अर्ज़ करूंगी कि हम सब लोग खुशी से आपको टैक्स देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाने के लिए रुपया चाहिए लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मुल्क के सामने एक सादगी की मिसाल बन कर खड़े होवें। यह हमें कभी नहीं भुलाना होगा कि हमारा देश एक गरीब देश है और भिखमंगों का देश है और उनसे खुशी खुशी टैक्स लेने के लिए आपको सादगी का स्वयं एक आदर्श बन कर लोगों के सामने रखना होगा क्योंकि याद रखिये कि अगर आपने ऐसा नहीं किया और हमारे गरीब लोगों ने आपको रो रो कर यह टैक्स दिये और अगर आप इस तरह टैक्सों के भार से कौमन (साधारण) आदमियों को खत्म कर देते हैं, लोअर क्लास (निम्न वर्ग) और मिडिल क्लास (मध्यम वर्ग) के तबक़े को खत्म कर देते हैं तो फिर इस देश की खैर नहीं है। क्योंकि

जहां देश में मिडिल क्लास और लोअर क्लास खत्म हुआ वहां रेवोल्यूशन का आना जरूरी हो जाता है ।

मुझे आखिर में अपने मिनिस्टरों से यही कहना है कि गरीब जनता से और अधिक बलिदान करने को कहने से पहले आप सादगी अख्त्यार कीजिये और यह जो सारे बड़े बड़े कारखाने हैं इनको समेटिये बंद न कीजिये लेकिन उनमें एकोनामी लाइये और यक़ीन मानिये कि ऐसा करने के बाद जनता खुशी खुशी आपको टैक्स देगी ।

† **श्री सुपाकर** (सम्बलपुर) : सरकार की कर सम्बन्धी नीति के फलस्वरूप भारत के एक साधारण व्यक्ति को एक साल में ४३.७४ रुपये, नगरपालिका, पंचायत तथा अन्य जिला संगठनों को दिये जाने वाले विभिन्न करों के अतिरिक्त देने पड़ेंगे । वित्त मंत्री ने यह बताया कि भारत में एक व्यक्ति की औसत आय २६९ रुपये है परन्तु इस में से ४४ रुपये आप वसूल कर लेते हैं जिसका यह अर्थ हुआ कि आप उस व्यक्ति की औसत आय के १५ प्रतिशत से अधिक भाग को करों के रूप में ले रहे हैं । वित्त मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि समाज का उच्च वर्ग कर अपवंचन कर रहा है। इस बात पर ध्यान रखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्धन वर्ग को उनकी आय का १५ प्रतिशत कम हो जाने पर कितना कष्ट होगा ।

वित्त मंत्री ने उच्च वर्ग में प्रत्यक्ष करारोपण में कमी की है। इसके लिए उन्होंने दो कारण दिये हैं। पहला यह है कि चूंकि कर अपवंचन हो रहा है इसलिये कर की प्रतिशतता में कमी होनी चाहिए, दूसरे उन्होंने बताया है कि अधिक कर लगा दिये जाने से काम करने का उत्साह समाप्त हो जाता है। मेरे विचार से जब निर्धन वर्ग को अधिक कर देना पड़ रहा है तब उच्च वर्ग के प्रत्यक्ष करों में कमी नहीं की जानी चाहिए ।

प्रत्यक्ष करारोपण से बेचारे अविवाहित व्यक्ति को अधिक हानि हुई है । जिस देश में मद्य-निषेध किया जा रहा है तथा जिसकी जनसंख्या अधिक होने के कारण परिवार नियोजन की व्यवस्था की जा रही है उस देश में अविवाहितों पर, जो जनसंख्या पर रोक लगाये रखने में सहयोग देते हैं, कर लगाया जाना ठीक नहीं है ।

मैं वित्त मंत्री से सहमत हूं कि योजना की क्रियान्विति के लिए अधिक कर लगाना आवश्यक है। परन्तु उन्हें इसके साथ ही साथ इसका भी तो ध्यान रखना चाहिये कि सरकारी व्यय न्यूनतम कर दिया जाये । मेरा निवेदन है कि जब एक ग़रीब आदमी को एक प्याला काफी अथवा चाय के लिए अधिक धन व्यय करना पड़े तब यह भी सोचना चाहिए कि विदेश मंत्रालय में सहभोज पर ५० रुपये प्रति व्यक्ति व्यय न हों ।

हमें अतिरिक्त करारोपणों के द्वारा ९३ करोड़ रुपये और देने हैं। इसके लिए यह बताया जाता है कि हमें योजना के लिए धन की आवश्यकता है । परन्तु आज हमें एक पुस्तिका दी गई है जिसमें बताया गया है कि करों से होने वाली अतिरिक्त आय में से प्रतिरक्षा मंत्रालय को ५० करोड़ रुपये, खाद्य-सहायता के लिये २५ करोड़ रुपये तथा राज्यों को १८ करोड़ रुपये दिये जायेंगे । तो इसका यह अर्थ हुआ कि यह धन योजना में नहीं लगाया जायेगा बल्कि इससे सरकार की सामान्य ज़रूरत पूरी की जायगी । इस से जनता में कोई उत्साह नहीं होगा ।

प्रथम योजना से पहले स्कूलों और अस्पतालों आदि की मरम्मत आदि के लिए रुपया मिलता था और यह नहीं कहा जाता था कि हमारी योजनाओं में रुपये की ज़रूरत होगी इसलिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुधाकर]

रुपये की तंगी है। परन्तु अब प्रथम और द्वितीय योजना के ज़माने में इन्हीं मरम्मतों के लिए योजना व्यय में से कमी करनी पड़ती है। यही नहीं जनता से योजना के लिए उल्टे और पैसा मांगा जाता है। यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है तथा मुझे भय है कि कहीं योजना के लिये निर्धारित व्यय सामान्य व्यय न होता जाये। यह बहुत ग़लत बात होगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। रेलवे आय-व्ययक पर चर्चा के समय रेलवे मंत्री ने बताया था कि प्रथम योजना के लिए निर्धारित ४२३ करोड़ रुपये में से २६७ करोड़ रुपये रेलों की मरम्मत आदि में व्यय किया गया। यह मरम्मत तो यदि योजना न भी होती तो भी होता क्योंकि मरम्मत न होने पर रेल चलती किस प्रकार। इस प्रकार यह सामान्य व्यय योजना के व्यय में जोड़ लिया गया।

हमारी योजना में हर जगह असंतुलन रखा गया है। स्कूलों में भी बड़ा असंतुलन और अन्तर है। पब्लिक स्कूलों में और उन स्कूलों में जिन्हें आश्रम कहा जाता है, इतना धन व्यय किया जाता है जिससे कई प्राथमिक स्कूल चलाये जा सकते हैं। संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क होनी चाहिए परन्तु हम देखते हैं कि इस बारे में कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई है। बड़े बड़े स्कूल बनाये जा रहे हैं जिनमें अधिक धन व्यय किया जाता है।

ग्राम्य विकास कार्यक्रम को ले लीजिये। उसमें भी यही बात है। चार श्रेणियां रखी गई हैं। सामुदायिक परियोजनायें, सामुदायिक विकास खण्ड, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड तथा पोस्ट इन्टैन्सिव खण्ड। इन चारों श्रेणियों के खर्चों में बड़ा अन्तर है। मैं आप को कई उदाहरण दे सकता हूं और यह बता सकता हूं कि इन विकास कार्यक्रमों में हम कितना अन्तर कर रहे हैं और उन पर कितना अधिक व्यय हो रहा है। इसके अलावा कहीं किसी क्षेत्र में बिना ज़रूरत योजनायें चालू की जाती हैं और कहीं बहुत ज़रूरत होने पर भी कुछ नहीं किया जाता। जो लोग उच्च अधिकारियों को खुश कर लेते हैं उन्हें सब मिल जाता है बाकी यों ही रह जाते हैं। ग़रीब लोग, जो इन करों से सब से अधिक प्रभावित हुए हैं, सरकार की योजनाओं आदि का अधिक लाभ नहीं उठा पाते हैं।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

मेरा निवेदन है कि यदि सरकार को योजना के लिए अधिक धन चाहिए तो देश के समस्त भागों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए।

† **श्री तैग्बजी** (जालना) : माननीय वित्त मंत्री ने जो आय-व्ययक पेश किया है उससे प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। आय-व्ययक पर दृष्टि डालने से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय वित्त मंत्री को मुद्रास्फीति का डर था। इसीलिये उन्होंने योजना में सम्मिलित वित्तीय प्रस्थापनाओं में कुछ मौलिक परिवर्तन किये हैं।

योजना आयोग ने ८०० करोड़ रुपये के कर लगाने की व्यवस्था की थी परन्तु वित्त मंत्री ने १६०० करोड़ रुपये के करारोपण का प्रस्ताव रखा है। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है उनकी कर सम्बन्धी नीति का आधार यह है कि कर इस प्रकार लगाये जायें जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उपभोग में कमी की जा सके और इस तरह अन्तर्देशीय मुद्रास्फीति की रोक थाम की जा सके और विनियोजन के लिये संसाधन प्राप्त हो सकें। मुद्रास्फीति दो प्रकार से कम की जा सकती है। एक अधिक करारोपण के द्वारा तथा दूसरे उपभोग वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा कर। भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ा कर स्फीति को कुछ हद तक रोका जा सकता है। हमारे यहां

† मूल्य अंग्रेजी में

कृषि उत्पादन में सुधार करने में बहुत कुछ गुंजाइश है। आजकल भारत में प्रति व्यक्ति २२०० केलोरीज़ खाता है जबकि न्यूनतम ३००० केलोरीज़ खानी चाहिए। द्वितीय योजना के अन्त तक २२०० से २४५० केलोरीज़ एक व्यक्ति को मिल सकेंगी जिसका यह अर्थ हुआ कि द्वितीय योजना के अन्त तक भी औसत भारतीय को जितना खाना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पायेगा। जब हमारे लोगों को इतनी कम खुराक मिलती है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि योरोप की अपेक्षा हमारे यहां प्रति व्यक्ति एक चौथाई उत्पादन होता है। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि सब लोग इस बात पर सहमत हैं कि कृषि उत्पादन अधिक होना चाहिए। यह उत्पादन तीन प्रकार से बढ़ सकता है। पहले भूमि का उचित उपयोग कर के, दूसरे बीज़, औज़ार, तथा कृषि के तरीकों को सुधार कर तथा अन्त में सहयोग के द्वारा। इन सब के लिए वित्त की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि कुशल और सुव्यवस्थित प्रशासन की।

आप उन सिंचाई योजनाओं को देखिये जो अब पूरी हो चुकी हैं। उन के पूरे हो जाने पर भी, पानी का बड़ा कम उपयोग किया जा रहा है। हमें बताया जाता है कि यह प्रशासनिक देरी आदि के कारण होता है। परन्तु यह एक बहुत बुरी चीज़ है और इसके लिये हमें कुछ व्यवस्था करनी चाहिये।

हम बंजर भूमि को कृषियोग्य बना रहे हैं और उस पर पर्याप्त धन व्यय कर रहे हैं। परन्तु राजपूताने का रेगिस्तान बढ़ता आ रहा है। प्रथम योजना में इस रेगिस्तान को रोकने के लिए एक योजना बनाई गई थी परन्तु मालूम नहीं उसका क्या हुआ। इस सब के लिए धन की कमी नहीं है कमी केवल प्रशासनिक व्यवस्था है। आप मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार कीजिये तथा केन्द्र में एक शक्तिशाली भूमि उपयोग तथा सहयोग मंत्रालय बनाइये जो कुछ ऐसे काम करे जिनका मैं ने सुझाव दिया है तो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और योजना को खतरे से निकाला जा सकता है। यदि प्रशासनिक देरी तथा ढीलढाल नहीं होती तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ जाता और मूल्य नहीं बढ़ते और मुद्रास्फीति का भय जाता रहता।

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम) : सब से पहले, मैं एक रचनात्मक आय-व्ययक को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। इसके बारे में सभी की यह राय है कि योजना कार्यक्रम के अनुसार समय पर क्रियान्वित होनी चाहिए। आय-व्ययक से यह जानकारी होती है कि प्रतिरक्षा व्यय बढ़ जाने से योजना का व्यय बढ़ गया है। बहुत से कारण ऐसे हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और उन पर व्यय करना ही होगा। इस के लिए हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा और मेरे विचार से यह कहना ग़लत होगा कि यह आय-व्ययक जन-हित में नहीं है।

विरोधी दल के नेता ने बताया कि मतभेद इस बात पर ही है कि वित्त की व्यवस्था किस तरह की जाये। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीयकरण करने से वित्त की व्यवस्था हो सकती है। परन्तु केरल को ले लीजिये वहां की साम्यवादी सरकार पूंजीपतियों को बुला रही है कि केरल में आ कर गैर सरकारी उद्योगों में धन लगाओ। मैं चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के नेता इससे कुछ सीखें।

मैं वित्त मंत्री को धन तथा व्यय पर कर लगाने के लिये भी बधाई दूंगा। यह योजना जनता की योजना है तथा जनता के सहयोग से ही यह आगे बढ़ाई जायेगी। हमारे देश में लोगों का जीवन-स्तर बहुत नीचा है। राष्ट्रीय आय के साथ साथ परिवार की आय भी बढ़ानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मणियंगाडन]

परन्तु इस आय में से कुछ विकास कार्यों में भी लगानी चाहिये क्योंकि यदि सारी आय आप वापस कर लगा कर ले लेंगे तो इस से जनता को बहुत नुक़सान होगा ।

केरल में खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ गये हैं । वहां अनाज का घाटा है तथा चावल और अन्य खाद्यान्नों के दाम बहुत बढ़ गये हैं । यह देश एक कृषि प्रधान राज्य है और यहां पर मुख्य रूप से सुपारी, गोल मिर्च, अदरक आदि का उत्पादन होता है । इन उपादों के मूल्य गिर जाने से लोगों की आय बहुत कम हो गई है और उनका निर्वाह व्यय बढ़ गया है । इसलिये हमें इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही स्थिति पर विचार करना चाहिये । आयकर के प्रयोजन के लिए विमुक्ति की सीमा ४२०० रुपये से घटा कर ३००० रुपये कर देना सिद्धान्त रूप में ठीक हो सकता है परन्तु लोगों को इस से बहुत नुक़सान होगा ।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में व्यवहार्यतः केरल की उपेक्षा की गई है । इसलिए इस योजना में कुछ रूपभेद होना चाहिये । सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के सम्बन्ध में भी केरल की स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है । वहां तो विद्युत की सहायता से चलाये जाने वाले छोटे उद्योगों से ही लाभ हो सकता है । यदि ऐसा न किया गया तो वहां लोगों को रोज़गार नहीं मिल सकता । लोगों को केवल कृषि पर रहने देने से यह बढ़ती हुई जन संख्या भूखों मरने लगेगी । अतः वहां कुछ विशेषज्ञ भेजने चाहियें जो सर्वेक्षण कर के बतायें कि वहां के लिए कौन से उद्योग उपयुक्त होंगे ।

एक पुस्तिका में वित्त मंत्री ने लिखा है कि चाय, चीनी आदि पर कर वृद्धि से एक प्याला चाय के मूल्य में बहुत कम वृद्धि हुई है । परन्तु मुनाफाखोर बहुत अधिक मूल्य बढ़ा रहे हैं और यदि सरकार कर में परिवर्तन नहीं करना चाहती तो उसे कम से कम ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये जिस से मूल्य अधिक न बढ़े ।

वनस्पति तेलों पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने से केरल को बहुत हानि होगी क्योंकि वह राज्य नारियल के तेल के उत्पादन पर ही निर्भर करता है । अतः मेरा निवेदन है कि केरल की ओर विशेष ध्यान दिया जाये ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : कर प्रस्थापनाओं को लेने से पहले मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि आय-व्ययक प्रस्तुत करने से भी पहले कुछ लोग द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कमी करने के लिए कह रहे थे । अब जन साधारण के जीवन स्तर को उन्नत करने वाले लोग भी इसी प्रश्न को उठा रहे हैं ।

एक सुझाव यह दिया गया है कि एकीकृत आयोजना द्वारा विकास करने की बजाये आंशिक कार्यक्रम से विकास किया जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि ऐसा वही लोग सोचते हैं जो पूंजीपति हैं और राष्ट्रीय विकास को हानि पहुंचाना चाहते हैं । उन्हें डर है कि अंत में इस योजना के कारण उन्हें और त्याग और बलिदान करने पड़ेंगे । अतः हमें इस विरोध का मुकाबला करना होगा और उसे कम करने का प्रयत्न करना होगा ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को चीन के हाल ही के इतिहास से सबक सीखना चाहिये और जब कभी हमारे सामने संसाधन और प्राथमिकताओं का प्रश्न हो तो उस उत्तरदायित्व में विरोधी पक्ष के साथ हिस्सा बटाना चाहिये अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा । विरोध को कम करने के लिए यह मेरा ठोस सुझाव है । यह केवल योजना का प्रश्न

---

†मूल अंग्रेज़ी में

नहीं है वरन् एक सामाजिक परिवर्तन अथवा पुनर्निर्माण का प्रश्न है और इस में हमें लोकतंत्रात्मक ढंग से सफलता प्राप्त करनी है। यदि हम असफल हुए, हम से कोई गलती हुई तो सफलता का कोई साधन ही नहीं रहेगा और लोग योजना तथा लोकतंत्रात्मक ढंग में विश्वास खो बैठेंगे।

सरकार को विरोधी पक्ष के साथ मिल कर जो मुख्य उद्देश्यों से सहमत है इस संकट को दूर करना चाहिये। विदेशी संसाधन तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन अब हमें देखना होगा कि विदेश में जो प्रतिष्ठा हम ने प्राप्त की है, जिसे यहां बार बार कहा जाता है उस से हमें कितना लाभ पहुंचता है। इन कर प्रस्थापनाओं के प्रकाशन में प्रथम बार जन साधारण को अनुभव हुआ कि बिना कष्ट के कोई योजना सफल नहीं हो सकती। छोटे से छोटे वर्ग के लोगों ने भी यह अनुभव किया कि इन करों का उन पर बहुत असर पड़ेगा। आप को जा कर लोगों से उन के विचार मालूम करने चाहियें। यदि वे कहें कि हमें मंजूर है बशर्ते कि आप पहले वैकल्पिक संसाधनों को काम में लाने का प्रयत्न करें।

आज तो प्रश्न यह है कि आप वर्तमान व्यवस्था को ही बनाये रखना चाहते हैं अथवा समाजवाद में अपने विश्वास को कसौटी पर रखना चाहते हैं। अतः जन साधारण पर कर लगाने की बजाये हमें अन्य संसाधनों से काम लेना चाहिये। प्रति वर्ष २०० से ३०० करोड़ रुपये की आय के कर अपवंचक बचा लेते हैं। क्या आप उन्हें दंड दे सकते हैं? यदि उन के विरुद्ध कार्यवाही न की गई और उन से जुर्माने वसूल न किये गये तो लोग आपको कर क्यों देंगे?

सम्पत्ति और व्यय पर करारोपण नई बातें हैं और सराहनीय हैं। इन्हें प्रयोग में लाना चाहिये। परन्तु आप २०० से ३०० रुपये के बीच की आय वाले लोगों पर कर लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि मध्यवर्ग में इस समय दस लाख शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार घूम रहे हैं इन सब करों का मध्य वर्ग के परिवारों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अतः मेरा सुझाव है कि अन्य सुगम संसाधनों का प्रयोग किये बिना मध्य वर्ग पर कर नहीं लगाना चाहिये।

वित्त मंत्री ने मूल्यों में कमी लाने के लिये जो २५ करोड़ रखे हैं मैं उस का स्वागत करता हूं क्योंकि मूल्य और मजूरी साथ साथ चलनी चाहिये अन्यथा उन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। परन्तु कुछ क्षेत्र जैसे कि महाराष्ट्र के वे ज़िले जहां का मैं प्रतिनिधि हूं, ऐसे हैं जहां हमेशा अनाज का अभाव रहता है। वहां, अनाज बैंक की व्यवस्था होनी चाहिये। आप बीड़ी काफी आदि पर तो कर लगा रहे हैं परन्तु व्यापारिक पूंजी को सट्टे आदि में लगाने वाले लोग मूल्य व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। उन के लिये भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जैसा कि विपक्षी दल के नेता ने भी कहा है, क्या आप आयात निर्यात व्यापार कुछ एकाधिकारियों के हाथ में दे कर भी यह कहना चाहते हैं कि हम समाजवादी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। यदि आप और संसाधनों का प्रयोग करने के पश्चात् लोगों को अपनी सद्भावना का विश्वास दिलायें तो फिर आप उन से कर के लिए अनुरोध कर सकते हैं। श्री मसानी के इस तर्क पर मुझे बहत आश्चर्य हुआ कि योजना में कुछ काट छांट करनी चाहिये क्योंकि आयोजना से अन्ततः नौकरशाही बढ़ती है। एक सर्व विख्यात अर्थशास्त्रवेत्ता ने तो यह सम्मति दी है कि भारत जैसे पिछड़े हुए देश में पूंजीवाद का प्रश्न पैदा नहीं होता क्योंकि वहां समाजवाद से ही विकास हो सकता है। अंग्रेजों के समय में साधारण व्यक्ति में आर्थिक उत्साह रहा ही नहीं था। लेकिन क्या अब भी आप वही बात क़ायम रखना चाहते हैं? जो लोग रुपया दे सकते हैं उनको आप बचाना चाहते हैं और ग़रीब आदमी को और कुचलना चाहते हैं।

[श्री खाडिलकर]

योजना और भोजना के तंत्र को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अतः आपको सहमति का एक सामान्य आधार ढूंढना चाहिये, विरोधी दल का सहयोग प्राप्त करना चाहिये, संघर्ष का क्षेत्र कम करना चाहिये, और लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिये। तभी आप इस उत्तर-दायित्व को पूरा कर सकेंगे।

†**श्री मुहीउद्दीन** (सिकन्दराबाद) : एक विख्यात अर्थशास्त्री ने कहा है कि सामान्यतः बुरे करों का राजनीतिक विरोध कम होता है और अच्छे करों का अधिक।

लोकतन्त्र में करारोपण ऐसा होना चाहिये जिस से प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव हो कि कर दे रहा है और राष्ट्रीय कोष में अंशदान दे रहा है। उसे प्रतिनिधि से यह पूछने का अधिकार होना चाहिये कि जो रुपया उस ने कर के रूप में दिया है वह किस काम में लाया जा रहा है। ये कर जो वित्त मंत्री ने लगाये हैं राष्ट्र के सभी वर्गों पर लागू होते हैं। इसलिये हम उन्हें लोकतंत्रिक कर कह सकते हैं।

श्री डांगे ने कहा कि बजाये गरीब लोगों पर कर लगा कर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर के योजना के लिये संसाधन प्राप्त करने चाहियें। मैं आप को बताऊं कि रूस में आरम्भ में ऐसा ही किया गया था और सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। लेकिन साथ ही सरकार ने सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिये थे : किसानों और अन्य गरीब लोगों को कपड़े आदि पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ता था। ग्रामीणों का शोषण किया गया। अंत में उन्होंने भी खेत बोने बन्द कर दिये तो शहरी वस्तुओं के मूल्य कम किये गये। इस इतिहास को ध्यान में रखते हुए ये अप्रत्यक्ष कर बहुत अधिक नहीं हैं।

१९५७ में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। जीवन निर्वाह देशनांक ३२२ से बढ़ कर ३३६ हो गया है। अनाज के भाव अब बढ़ गये हैं। विदेशी मुद्रा न्यूनतम हो गई है। इन सब समस्याओं को हल करने की जो योजना वित्त मंत्री ने प्रस्तुत की है, मुझे विश्वास है कि उस का फल एक दो या तीन वर्षों में प्राप्त होगा।

यह कहा गया है कि आर्थिक स्थिति सम्बन्धी ये बुराइयां योजना के कारण पैदा हुई हैं, परन्तु विश्लेषण करने से पता लगेगा कि इस का कारण केवल योजना ही नहीं है। मशीनरी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के कारण विदेशी मुद्रा में कमी हो गई है। नगद जमा में भी कमी हो गई है। रक्षित निधियों में इस कमी का कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना में होने वाला व्यय है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली योजना के बाद आनी जरूरी थी। यदि इस समय, जब हमारे पास विदेशी विनिमय की कमी है, इस योजना को पूरा करना चाहते हैं तो हमें इन कर को सहन करना ही होगा।

गैर-सरकारी उद्योगपतियों और पूंजीपतियों ने सुझाव दिया है कि योजना को पुनरीक्षित करना चाहिये जिस से भारी उद्योगों पर लगाई जाने वाली पूंजी कम कर के छोटे उद्योगों पर लगाई जाये। स्थिति ऐसी है कि हमें खाद्यान्न, कच्ची सामग्री और पूंजीगत वस्तुएँ, तीनों ही आयात करनी पड़ रही हैं। हमें शीघ्र ही इस जाल से मुक्त होना चाहिये। इतिहास ने इस सिद्धान्त को सिद्ध किया है कि यदि हम देश का विकास चाहते हैं तो वह एक संतुलित विकास होना चाहिये। केवल कृषि के या केवल भारी उद्योग के विकास से हम अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस संतुलित अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य रखा गया है। प्रायः सभी पिछड़े हुए देशों में कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। कुछ ही वर्षों में उन देशों में भारी मशीनरी की मांग इतनी अधिक बढ़ जायेगी कि मशीनरी का संभरण कठिन हो जायेगा। यदि हम भारी मशीनों और बिजली के सामान को बनाने

---

†मूल अंग्रेजी में

के उद्योग को विकसित कर लें तो हमें पांच या सात वर्ष के बाद बड़ा लाभ हो सकता है। अतः मैं भारी उद्योग की योजना का समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्री ने स्पष्टतः बताया है कि राज्यों में अपरिवर्तनीय कराधान को ध्यान में रखते हुए उन्हें निधियां देने का केन्द्र का उत्तरदायित्व है। उन्हों ने गन्दी बस्तियों और राज्य के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का भी उल्लेख किया है और कहा है कि वे इन कार्यों के लिये राज्यों को रुपया देने की कोशिश कर रहे हैं। योजना में यह व्यवस्था है कि जब तक राज्य सरकार किसी परियोजना के लिए एक निश्चित राशि स्वयं न लगाये तब तक केन्द्र से उसे वित्तीय सहायता नहीं मिलती। यदि वह निर्धारित राशि की व्यवस्था कर लेती है तो शेष राशि केन्द्र से प्राप्त हो सकती है। मेरा निवेदन है कि यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश जैसे राज्य पर कठोरता से लागू नहीं होनी चाहिये जिस का पुनर्गठन अभी अभी हुआ है और जिस के संसाधन बहुत कम हैं।

†**श्री शंकरय्या** (मैसूर) : इस वर्ष का आयव्ययक बहुत सी विशेष बातों के कारण बड़ा महत्वपूर्ण है। इस से देश में बहुत हल चल हुआ है। परन्तु यदि शांत मन से विचार किया जाये तो इतना साहसपूर्ण कार्य करने का यही ठीक अवसर था। जनसाधारण पर लागू होने वाले कुछ करों को छोड़ कर शेष का मैं स्वागत ही करता हूं। मुझे हर्ष है कि सरकार ने योजना को कार्यान्वित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। द्वितीय योजना काल के मध्य में पहुंच कर हमें इन बलिदानों के लिये तैयार होना ही चाहिये।

ये प्रस्थापनायें न तो नई हैं और न ही अप्रत्याशित। मैं वित्त मंत्री को इस बात पर भी बधाई देता हूं कि उन्हों ने नोट छाप कर वित्त व्यवस्था करने की बजाय कराधान का साधन अपनाया है। धन कर और व्यय कर तथा समवाय लाभ कर ऐसे हैं जिन का सब ने ही स्वागत किया है।

हम समझते हैं कि इस समय जो आंदोलन हो रहा है उसे साधारण लोग नहीं कर रहे है वरन् वे लोग कर रहे हैं जो कर अपवंचन में दक्ष थे। सामान्य व्यक्ति को यदि कहीं कही छूट दे दी जाये तो वह अन्य कर देने के लिये तैयार हो जायेगा। आंदोलन को धनी लोग चला रहे हैं अतः मंत्री महोदय को बीच में नहीं रुकना चाहिये और अपने कार्य को पूरा करना चाहिये।

धन कर और व्यय कर कोई नये कर नहीं हैं। इंगलैंड में १९१९ में सम्पत्ति कर का प्रयोग किया था और उस छोटे से देश में भी सम्पत्ति के मूल्यांकन में २॥ वर्ष लग गये थे। इस बड़े देश में अधिक कठिनाइयों की संभावना है परन्तु फिर भी उसे कार्यान्वित करना ही चाहिये। राजाओं की निजी थैलियां भी धन कर से विमुक्त नहीं करनी चाहियें जब कि इस आवश्यकता के समय में साधारण व्यक्ति तक अंश दान दे रहा है। मैं तो यह कहूंगा कि राजाओं को तो राष्ट्र निर्माण कार्य के लिए स्वेच्छा से निजी थैलियां लौटा देनी चाहिये। यदि वे ऐसा नहीं करते तो वित्त मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव लायें और मुझे पूरी आशा है कि उसे सभा का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।

१९५५ में इम्पीरियल बैंक को राष्ट्रीयकृत करने का निश्चय किया गया था परन्तु मैसूर बैंक, जोधपुर बैंक और बड़ौदा बैंक आदि को अभी तक राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया है जब कि उन्हें चलाने वाले सदस्य और निदेशक स्वार्थ साधन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

केन्द्रीय सेवा के पदाधिकारियों के वेतन क्रमों और प्रान्तीय सेवा के पदाधिकारियों के वेतन क्रमों में बहुत अन्तर है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री वेतन क्रम व्यवस्था की जांच करेंगे और उन में एकरूपता पैदा करेंगे जिस से पदाधिकारियों के मन में कड़वाहट न पैदा हो। इस से प्रान्तीय सेवा के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शंकरय्या]

पदाधिकारियों का आलस्य भी समाप्त होगा क्योंकि अब तो वे सोचते हैं कि उन की प्रतिभा और योग्यता की उपेक्षा की जा रही है ।

इन करों का समर्थन करते हुए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि खाद्यान्न के मूल्यों में कमी कर के गरीब लोगों की तुरन्त सहायता करनी चाहिये । यदि उन्हें उचित मूल्य पर खाद्यान्न दिया गया तो फिर उन्हें करों की चिन्ता नहीं रहेगी और वे कर देने में आना कानी नहीं करेंगे ।

श्री भदोरिया (इटावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अर्थ मंत्री से मैं सब से पहले यह कहना चाहता हूं कि उन के और दूसरे साथी पानी पी पी कर के इस बजट और पंच वर्षीय योजना की भूरि भूरि प्रशंसा कर रहे हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : कोसा भी जाता है ।

श्री भदोरिया : तारीफ भी की जाती है ——

उपाध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य मेरी तरफ ध्यान करेंगे तो अच्छा होगा ।

श्री भदोरिया : जितने भी विशेषण हैं या जितने भी एडजैक्टिव विशेषण हो सकते हैं वे सब लगाये जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह समाजवादी बजट है । अगर माननीय अर्थ मंत्री महोदय यह समझते हैं कि नाम से अगर कोई बजट अच्छा हो जाता है तो अगर वह इस को कम्युनिस्ट साम्यवादी बजट कहते और इस विशेषण को भी इस के साथ जोड़ देते तो भी कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती थी और वह ऐसा कर सकते थे । लेकिन यह बात तो सही है कि किसी भी संगठन संस्था, सरकार या बजट की ऊपरी शक्ल को देखने से उस की वस्तुस्थिति या उस की रीयेलिटी का पता नहीं चल सकता है । जब किसी चीज को कार्यरूप में परिणित किया जाता है, जब उसकी अमल में लाया जाता है तभी यह कहा जा सकता है कि यह चीज सही है या गलत है ।

श्रीमान् जी, इस बजट के सम्बन्ध में कहा गया है कि इस में टैक्स इसलिये बढ़ाये गये हैं कि पंच वर्षीय योजना सफल हो, कामयाब हो । मैं पूछना चाहता हूं कि योजना आखिर है किस लिये ? पंच वर्षीय योजना इसलिये है कि मुल्क की तरक्की हो, मुल्क की तामीर (निर्माण) हो । अगर इस योजना के जरिये से मुल्क की तरक्की व तामीर नही होती है तो मैं समझता हूं कि ये जो नये कर लगाये जा रहे हैं, यु मुनासिब नहीं हैं । हम को यहां पर यह देखना होगा कि ये जो टैक्स लगाये जा रहे हैं ये हम को किधर ले जा रहे हैं । जहां तक हम समझ पाये हैं वह यह है कि यह पंच वर्षीय योजना सारे मुल्क को कबरिस्तान की तरफ ले जा रही है । जिस योजना के पीछे देश की जनता की प्रेरणा होनी चाहिये थी, गरीब आदमियों का हाथ होना चाहिये था, उस के अन्दर आज हम देखते हैं कि न गरीब की प्रेरणा उस के अन्दर है, न गरीब का हाथ है और न ही उस की हमदर्दी इस के साथ है । केवल थोड़े से चुने हुए शहजादों और शहनशाहों के बल पर इस योजना को कामयाब नहीं बनाया जा सकता है ।

श्रीमान् जी, जहां तक मुल्क की आजादी की उम्र का सवाल है, आज वह बढ़ती जा रही है और इस के साथ साथ मुल्क के ऊपर टैक्सों का जो बोझा है वह भी बढ़ता जा रहा है ।

जहां तक हमारा सवाल है और हमारी पार्टी का सवाल है, मैं, श्रीमान् जी, आप को बताना चाहता हूं कि जितन टैक्स (कर) हैं अगर इन का दूना बोझा भी हमारे ऊपर होता तो हम खुशी खुशी अदा करते लेकिन कब जब इन बढ़े हुए टैक्सों के साथ ही साथ आम जनता का आराम बढ़ा हुआ होता और सुख और सुविधा बढ़ी होती, गरीबी घटी होती और हमारी जनता खुशहाल होती । लेकिन हम क्या देखते हैं कि मुल्क के अन्दर गरीबी बढ़ती चली जा रही है, तालीम की हालत गिरती चली जा रही

है और लोगों के माल और जान की सुरक्षा की हालत तो मुल्क में, आज यह है कि एक हाथ से किसी का सिर काटिये और दूसरे हाथ से रुपयों की थैली ले कर थानेदार की मेज पर पेश कर दीजिये और कोई पूछने वाला नहीं है । जब सुरक्षा की हालत यह हो और मुल्क में गरीबी निरन्तर बढ़ रही हो तो मैं जानना चाहता हूं कि यह बढ़े हुए टैक्स क्यों लगाये जा रहे हैं ? यह केवल इसलिये किया जा रहा है कि अमीरों के कैलास को उठाया जाय और जाहिर है कि जब अमीरों का कैलास मुल्क में उठेग तब अपने आप गरीबी का पाताल गहरा होगा ।

हमारे मुल्क में एक तरफ तो वह थोड़े से सरमायदारों का तबका है जो मुट्ठी भर तादाद में हैं और जो गरीब और मेहनत करने वाले लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं । हम देखते हैं कि यह जो टैक्सों का भार है इस का असर गरीब तबके पर ज्यादा पड़ रहा है । मिसाल के तौर पर तम्बाकू के ऊपर लगने वाले टैक्स को ले लीजिये । सिगरेट पर टैक्स १० आने से १२ आने किया गया और तम्बाकू के ऊपर ८ आने से एक रुपया किया गया । इस के लिये यह कहा जायेगा कि नहीं २ ही आने बढ़ाये गये लेकिन वास्तविकता यह है कि २ आने नहीं बढ़ाये गये । जब यही तम्बाकू कूट दी जाती है तब एक रुपया हो जाता है लेकिन जो सिगरेट विदेशों से मंगाई जाती है उस पर रुपये में सिर्फ २ आने बढ़ाया गया है जब कि तम्बाकू पर ८ आने टैक्स बढ़ाया गया है । इस का मतलब यह हुआ कि गरीबों पर, किसानों पर जो उत्पादन करते हैं और उपज पैदा करते हैं उन पर तो टैक्स बढ़ता चला जा रहा है और जो थोड़े से लोग हैं जो बाहर से व्यापार करने वाले लोग हैं और जो सरमायेदार लोग हैं और जिन की चीजें मिलों में तैयार होती हैं उन पर टैक्स कम लगाया जाता है । उदाहरण के तौर पर शक्कर को ले लीजिये । आज हाउस में एक माननीय मंत्री ने सवेरे यह बतलाया था कि आज गन्ने की कीमत १ रुपये ५ आने और १ रुपये ७ आने है जब कि सन् १९४६ में इसी गन्ने की कीमत अंग्रेजों के राज्य में २ रुपये फी मन थी । लेकिन हमें बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब मुल्क आजाद है तब आजादी के दिनों में उस गरीब किसान के गन्ने की कीमत में ७ आने और ११ आने की कटौती कर दी गई । जब शक्कर की कीमत बढ़ाई गई तो मैं अपने वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्हों ने और सरकार ने गन्ने की कीमत क्यों नहीं बढ़ाई ? गन्ने से ही तो शक्कर पैदा होती है । यह अजीब बात है कि जिस से चीज पैदा होती है उस चीज पर तो कीमत बढ़ती नहीं है लेकिन उस से जो चीज मिल में जाकर तैयार होती है उस पर कीमत बढ़ती जाती है । इस से यही मतलब और यही निष्कर्ष निकलता है कि यहां पर जो कोई भी कानून बनाये जाते हैं वह किसानों के लिये नहीं गरीबों के लिये नहीं बल्कि मुट्ठी भर लोगों के लिये बनाये जाते हैं ।

आज अगर सरसरी तौर पर देखा जाये तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मुल्क के अन्दर कुछ थोड़े से लोग तरक्की कर रहे हैं । पंचवर्षीय योजना का निचोड़ लोग कहेंगे कि यह है कि मुल्क में तरक्की हो और देशवासी सुखी और खुशहाल हों लेकिन यह तरक्की कुछ थोड़े से लोगों तक ही सीमित मालूम देती है । मुल्क के अन्दर कुछ लोग मोटर रखने वाले बढ़ाये जा रहे हैं, कुछ लोग रेडियो रखने वाले बढ़ाये जा रहे हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि इस हिन्दुस्तान के कीचड़ में कुछ कमल उगाये जा रहे हैं । हिन्दुस्तान जो गरीब मुल्क है, पिछड़ा हुआ मुल्क है और जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उस गरीब मुल्क में जिस में करोड़ों बेकारी की अवस्था में हैं अगर वहां पर कुछ थोड़े से कमल तैयार किये गये तो यह पंचवर्षीय योजना जो चल रही है इस को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में १०० वर्ष लग जायेंगे और इस तरह की २० योजनायें भी आप बना लें लेकिन तब भी सारे देश को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता है ।

आज जो सवाल इस मुल्क के अन्दर "बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय" का है ज्यादा लोगों का हित किया जाय या मुट्ठी भर लोगों का हित किया जाय । मैं चाहता हूं कि सरकार जिन तरीकों को अमल में ला रही है उन तरीकों को छोड़ना होगा और ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना होगा जिस से

[श्री भदोरिया]

ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित होता हो। कमल चाहे न निकले लेकिन मुल्क के अन्दर जो कीचड़ है उसे हमवार किया जाय और उसे पीटा जाये जिस से कि सारा मुल्क सरसब्ज हो। आज मुल्क सूख रहा है। श्रीमान् जी, मुझे लोग कहेंगे कि फिर आल्टरनेटिव (विकल्प) क्या है, यहां पर बहुत से विकल्प पेश किये गये और उन विकल्पों का यहां पर मजाक उड़ाया गया। जिन लोगों ने सन् १९३४ से ले कर सन् १९५२, ५३ तक समाजवाद और राष्ट्रीयकरण को विदेशी चीज बताया और उसे देश के विरुद्ध बताया और उस विज्ञान और उस फिलासिफी (दर्शन) में विश्वास करने वाले लोगों को देशद्रोही बताया, आज उन्हीं लोगों द्वारा समाजवाद और राष्ट्रीयकरण को स्वीकार किया जा रहा है लेकिन कुछ जामा दूसरे ढंग का है। जो लोग सन् १९३४ से ले कर सन् १९५२ और १९५३ तक जिस चीज को गलत बतलाते रहे, अब उसी चीज को वे लोग सही मान रहे हैं। अगर आज की बात सही है तो यह कहना पड़ेगा कि २० साल तक गलती की गई और अगर गुस्ताखी माफ हो तो यह कहा जा सकता है कि झूठ कहा गया।

श्रीमान्, अगर कीचड़ को पाटना है तो ऐसे काम करने होंगे जो कि हमें सही दिशा में ले जायें। हमें खुद अपने अमल से जनता को वह सही रास्ता दिखाना होगा। कहा तो यह जाता है कि हम देश में समाजवादी ढंग की समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो क्या समाजवाद की स्थापना देश में इस तरह होगी कि जिस में गांव में बसने वाले चौकीदार की एक दिन की आमदनी ढाई आने हो तब दूसरे लोग एक एक दिन के अन्दर, ३०,३० हजार रुपये कमाते हों और जब तक यह अन्तर रहेगा तब तक इस देश से भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है और तब तक मुल्क का उत्थान नहीं हो सकता है और तब तक हम अपने राष्ट्र का मस्तक ऊंचा नहीं कर सकते हैं। अगर देश से हम को भ्रष्टाचार को दूर करना है तो केवल किसी कम तनख्वाह पाने वाले आदमी को गाली देकर उसे ईमानदार नहीं बनाया जा सकता है। अब हमारा मुल्क आजाद है और इस आजाद मुल्क के अन्दर लोगों को गाली दे कर या कोस कोस कर काम नहीं कराना है बल्कि वस्तुस्थिति को देखना है। देखना यह है कि हमारे मुल्क में बीमारी क्या है और जब तक बीमारी का, रोग का निदान ठीक से नहीं होगा और पहचान रोग की ठीक से नहीं की जायेगी तब तक रोग का इलाज भी ठीक से नहीं किया जा सकेगा। आज हमारे देश और समाज के भीतर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का बोलबाला है। आज मुल्क के अन्दर जो रुपये पैसे का अन्तर है वह बहुत चौड़ा है और उस को पूरा पाटने की जिम्मेदारी आज उन लोगों पर है जिनके कि हाथ में हुकूमत है, उन लोगों पर है जो कि आज इन बजटों को तैयार करते हैं।

हमारे मित्र लोग आज इस बजट की प्रशंसा करते थकते नहीं। लेकिन हमारे सामने असली सवाल तो यह है कि क्या उस पर अमली जामा पहनाया जा रहा है और किस तरह से कदम उठाया जाये ताकि हम और हमारा मुल्क सही दिशा में अग्रसर हों। गांधी जी ने एक बात कही थी कि मुल्क को बनाने के लिये अपने को बिगाड़ना होगा।

जो लोग ऐसा समझते हैं कि मुल्क बन चुका है आज वह अपने ही बनाने में लगे हुए हैं लेकिन वे लोग जो अभी तक यह महसूस करते हैं कि मुल्क नहीं बना है उन लोगों को अभी अपने को और बिगाड़ने की कोशिश करनी होगी। वह लोग भी जनता से चुन कर आते हैं जहां से हम लोग और दूसरे लोग चुन कर आये हैं और उन्हें पता है कि जनता की कैसी हालत है। जो टैक्स यहां पर लग रहे हैं और जिन की कि यहां पर तारीफ की जा रही है, तो मैं उन तारीफ करने वाले मित्रों से कहूंगा कि जरा आप उन गरीबों की झौंपड़ियों में जा कर देखिये जहां से कि आप चुन कर आये हैं तो आप पायेंगे कि आज उन झौंपड़ियों में अंधेरा है। इस का अन्दाज यहां नहीं लगाया जा सकता है। इस का अन्दाज वहां लगाया जा सकता है जहां के मिट्टी के तेल के दीपक बुझ गये हैं। इस का अन्दाज वहां लगाया जा सकता है जहां पर शक्कर की कीमत बढ़ जाने से--नीचे के दर्जे के आदमी तो शकर खाते ही नहीं हैं बीच के दर्जे के आदमी शकर खाना कम करते जा रहे हैं। कहा तो यह गया है कि बीच के अर्थात् मध्यम वर्गीय दर्जे के लोगों

का दर्जा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर सही बात कही जाये तो ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत ही नहीं होता है, यह वास्तविकता है कि इस मुल्क के अन्दर जो चीज अंग्रेजी राज्य के २०० वर्षों में भी हम पाते रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि सन् १९४६ के बाद वह चीज कम होती जा रही है, और अगर पंच-वर्षीय योजना के अन्दर हमारे काम करने का यही तरीका रहा तो, मैं भविष्य वाणी तो नहीं करता, लेकिन मालूम होता है कि जो बीच का वर्ग रह गया है, वह भी नष्ट हो जायेगा । उन की आमदनी तो कम होती जा रही है, लेकिन इन को रहना सफेदपोश ही है । बच्चों की तालीम पर भी खर्च कर रहे हैं । तब वह बेचारे कपड़े तो साफ पहना करते हैं, लेकिन पेट में पट्टी बांध कर रहते हैं । अगर इसी तरह से पट्टी बंधती रही तो यह पंच वर्षीय योजना इस सदन के अन्दर और हिन्दुस्तान के अन्दर पूरी नहीं हो पायेगी । उसके पूरे होने के पहले ही जो मध्यम वर्ग है, जिसमें से हमेशा मुल्क के लिए ऐसे लोग पैदा होते रहे जिन्हों ने मुल्क का नेतृत्व किया है, कवि पैदा हुए हैं, वह कौम ही मुल्क से नेस्त नाबूद हो जायेगी । इसलिये अगर उसे उठाना है तो उस की तरफ आप को ध्यान देना होगा । लेकिन कौन ध्यान दे ? क्या हम ध्यान देंगे ? आप ध्यान दें । आज जो जनता की कमाई देहातों से खिच खिच कर आती है, शहरों और नगरों से आती है, वह मुट्ठी भर लोगों पर खर्च की जाती है । जब तक यह खैंया रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता । एक तरफ तीन आने रोज वाले हैं और दूसरी तरफ तीस हजार रु० रोज वाले हैं ।

एक माननीय सदस्य : आप अमल कीजिये ।

श्री भदोरिया : आप हम से अमल करने के लिये कहते हैं ? हम अमल करना चाहते हैं । यहां के मेम्बर्स को ४२० रु० माहवार दिये जाते हैं । मैं उस में कटौती चाहता हूं । उस में से कम से कम २०० रु० काट दिया जाये । केवल २२० रुपये सदस्यों को दिया जाये ।

†**एक माननीय सदस्य :** आप इसे छोड़ सकते हैं ।

†**श्री भदोरिया :** हां, मैं छोड़ सकता हूं और मैं ने छोड़ भी दिया है । लेकिन आप के लिये या सरकार के लिये नहीं बल्कि अपने दल के लिये जो किसानों के हित के लिये कार्य करेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को इस तरफ ध्यान दे कर चेअर को ही ऐड्रेस करना चाहिये ।

श्री भदोरिया : मैं चेअर को ही एड्रेस कर रहा हूं लेकिन इधर ऐसे लोग हैं जिन को यह चीजें अखरती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगर मेरी तरफ ध्यान देंगे तो तकलीफ नहीं होगी ।

श्री भदोरिया : मैं बता यह रहा था कि अगर मुल्क से भ्रष्टाचार को दूर करना है, अगर मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, तोमेरी राय में मुल्क के अन्दर, भले ही वह दिन कभी आये, लेकिन यह तभी हो सकेगा जब आमदनी कम से कम और अधिक से अधिक बांध दी जायेगी । मेरी राय में कम से कम १०० रु० मासिक हर आदमी को मिलना चाहिये । इस पर दूसरी तरफ से तर्क पेश किये जायेंगे कि अगर हम तन्ख्वाह को बढ़ा कर, आमदनी बढ़ा कर १०० रु० करते हैं तो नए टैक्स लगाए जायेंगे । लेकिन यह तर्क थोथा है, क्योंकि जब आप १०० रु० करना चाहते हैं तो ऊपर से भी घटाइये, अधिक से अधिक १००० रु० कीजिये । अगर सारे देश के अन्दर मासिक आमदनी का अनुपात १०० और १००० रु० के बीच का बना दिया जाये तो मुल्क की गरीबी दूर हो सकती है । बिना मुल्क की बेकारी को दूर किये हुए मुल्क की गरीबी दूर नहीं हो सकती है । मैं इस का अर्थ यह निकालता हूं कि जब तक मुल्क के अन्दर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भदोरिया]

आर्थिक विकेन्द्रीकरण नहीं होगा, जब तक आर्थिक शक्ति को ऊपर से ले कर नीचे तक समन्वित नहीं करेंगे, तब तक हम इस समाज का नया ढांचा नहीं बना सकते हैं। आज सवाल इस बात का नहीं है कि कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है, और न कुर्सी पर बैठे हुए इन्सान को बदलने का सवाल है। मुख्य सवाल इस बात का है कि कुर्सी पर जो इंसान बैठा हुआ है, उस के सामने जो मेज है, उस मेज पर जो आईन रक्खा हुआ है, उस को बदला जाये। अगर वह आईन वही रहता है जो पुराना है, जनता के लूटने का है, तो कुर्सी पर कोई बै , कोई फर्क नहीं हो सकता है। जहां तक हमारा सवाल है, हम कुर्सी पर बैठे हुए इंसान को नहीं बदलना चाहते हैं, उस आईन को बदलना चाहते हैं जिस के मातहत हिन्दुस्तान के अन्दर कम से कम ७५ प्रतिशत गरीब जनता का शोषण होता है।

जहां तक खेती बाड़ी का सवाल है, गल्ले की पैदावार के लिये कहा जाता है कि वह बढ़ रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट की **बुलेटिन आफ फूड सिचुएशन** (खाद्य स्थिति सम्बन्धी पुस्तिका) है, अगर आप उस को देखें तो साफ जाहिर होता है कि इस मुल्क के अन्दर गल्ले की पैदावार बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। यह हमारी पोथी नहीं है, यह सरकारी बुलेटिन है, मैं उसी में से स्टैटिस्टिक्स (आंकड़े) पेश कर रहा हूं। जो चावल बर्मा से सन १९५३ में आया वह १ लाख ५० हजार टन था, और अब कितना आ रहा है? सन् १९५५ में आया है २ लाख ७४ हजार टन। अगर मुल्क के अन्दर गल्ले की पैदावार बढ़ती तो विदेशों से आने वाला गल्ला कम होता।

एक माननीय सदस्य : आबादी भी तो बढ़ी है।

श्री भदोरिया : जब इस मुल्क के अन्दर गांधी जी जिन्दा थे, तो ५० करोड़ रुपये का विदेशी कपड़ा आता था। उसे देख कर गांधी जी के आंसू निकला करते थे। आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज देश का अरबों रुपया विदेशों से गल्ला मंगाने में जा रहा है। ऐसी हालत में भी हुकूमत कहती है कि हम तरक्की कर रहे हैं। क्या यही तरक्की का रास्ता है? क्या इसी ढंग से मुल्क की तरक्की होगी और तरह से देश का निर्माण होगा? मैं ने बर्मा का उदाहरण श्रीमान् जी की खिदमत में पेश किया, अब दूसरा उदाहरण पेश करना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह : लेकिन श्रीमान् जी, जो आंकड़े अभी दिये गये ह वह बिल्कुल गलत हैं। जो यह कहा गया कि १०० करोड़ रुपये का गल्ला बाहर से आता है, वह गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय : आंकड़े गलत नहीं दिये, नतीजे में आपस में इख्तलाफ है। एक एक नतीजा निकालता है, दूसरा दूसरा निकालेगा।

श्री भदोरिया : यह भी हो सकता है। उन को अपना तर्क पेश करने का पूरा मौका है।

श्री ल० ना० मिश्र (सहारसा) : आंकड़ों में तर्क की जरूरत नहीं होती।

श्री भदोरिया : तर्क नहीं पेश किये जा रहे हैं। यहां पर आंकड़े पेश किये जा रहे हैं। जो किताब हमें सप्लाई की गई है, उसी में से मैं पेश कर रहा हूं। अगर मुल्क के अन्दर गल्ले की पैदावार को बढ़ाना है तो यह तभी मुमकिन है जब मुट्ठी भर लोग, जिन के हाथों में, नाजुक कलाइयों में सिर्फ घड़ी बांधने से दर्द होने लगता है, जिन नाजुक कलाइयों के आदमियों के पास करोड़ों एकड़ जमीन है, वह खत्म हो जायें। इस मुल्क के अन्दर साढ़े चार करोड़ इन्सान ऐसे हैं जिन के पास जमीन नहीं है, जब तक इस मुल्क के अन्दर नौ करोड़ मजदूर हैं जो धरती को तोड़ कर करोड़ों टन गल्ला पैदा कर सकते हैं। जब तक वह बेकार रहेंगे तब तक गल्ले की पैदावार नहीं बढ़ाई जा सकती है। इस लिए मैं श्रीमान जी का मार्फत इस हुकूमत से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जमीन का

बंटवारा होना चाहिये । जिन लोगों के पास ३० एकड़ से अधिक जमीन है, उन से कानूनी तौर पर ले कर उस का बंटवारा कर देना चाहिये । कुछ लोग कहेंगे हम भूदान कर तो रहे हैं । यह क्या भूदान कर रहे हैं । जब इस भवन के अन्दर जो कि देश की सब से बड़ी पंचायत है, उस में आप का बहुमत है इस सदन ही में नहीं, इस देश के सूबों में जो वज़ारतें हैं, वहां आप का बहुमत है, लेकिन इस बहुमत के होने के बावजूद भी आज करोड़ों लोग बेकार हैं, मजदूर तड़प रहे हैं नये श्रमदान के नाम पर जमींदारियां खत्म हुईं, लोगों से बेगार ली जा रही है । इसलिये जमीन का बंटवारा होना चाहिये । प्रीवी पर्स की बात को लीजिये । बहुत सी रकमें पेंश की जा रही हैं । अभी आज से पहले १० मई को हिन्दुस्तान के अन्दर स्वाधीनता संग्राम की पहली शताब्दी मनाई गई । हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि १८५७ की आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अंग्रेज हुकूमत का साथ दिया, देश के गरीबों का खून पिया, आज उन्हें, उन अंग्रेजों के दोस्तों को हम गरीबों की कमाई छीन छीन कर २०, २० हजार और ५०, ५० हजार रुपया दे रहे हैं। जिन्हों ने देश की आजादी की लड़ाई के साथ गद्दारी की थी, उन को इस तरह से मदद की जा रही है । इसलिये मेरा यह सुझाव भी है कि जब एक कानून है तो उस कानून को चलाने वाले भी आप ही हैं। आज भी लोग अपनी तरफ से लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात होने के बावजूद भी जनता की खून की कमाई खा रहे हैं। यह देश की जनता के साथ महान् विश्वासघात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बाकी फिर किसी वक्त कहियेगा ।

श्री भदोरिया : कहने को तो बहुत कुछ था, दिल में बहुत उबाल थे, लेकिन चूंकि यह आप का आदेश है, इसलिये मैं बैठ रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बाद में फिर कई चांस (अवसर) आयेंगे और तब आप कह सकते हैं।

†**श्री स० कु० बनर्जी** (कूचबिहार): द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि इस के मूल उद्योग स्थापित किये जायेंगे खाद्य उत्पादन बढ़ाने का प्रबंध किया जायेगा और रेलवे तथा विद्युत् का विकास किया जायेगा। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये जो कर लगाये गये हैं उन का मैं स्वागत करता हूं। व्यय, धन, समवाय और पूंजीगत लाभों आदि पर जो प्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं उन पर चर्चा की आवश्यकता नहीं क्योंकि वे कर, धनी लोगों से वसूल किये जायेंगे ।

चाय, चीनी, तम्बाकू आदि के अप्रत्यक्ष कर से जन साधारण पर प्रभाव पड़ेगा। परन्तु योजना को कार्यान्वित करने के हेतु हमें कठिनाइयां भी सहनी चाहियें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है। मैं वहां की कठिनाइयों का उल्लेख करना चाहता हूं। गत वर्ष वहाँ का उत्पादन मांग से अधिक का था । अतः उत्पादन कम करना पड़ा था। हम सोच रहे हैं कि चाय की खपत बढ़ाई जाये । परन्तु इधर वित्त मंत्री ने इस पर और अधिक कर लगा दिया है। इस से चाय की खपत में कमी होगी। और अन्ततः इस के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार २९ मई १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार २८ मई, १९५७]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . १०२१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर १०२१–४३

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४३७	सिचाई तथा विद्युत् इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा	१०२१–२२
४३८	दिल्ली में रिंग रेल . . .	१०२२–२३
४३९	सियालदा नार्थ स्टेशन पर रेल दुर्घटना . .	१०२३–२४
४४०	दिल्ली हार्डिंग ब्रिज और निजामुद्दीदन के बीच रेल दुर्घटना	१०२४
४४१	दिल्ली में मार्शलिंग यार्ड	१०२४–२५
४४२	रेलवे निरीक्षणालय	१०२५–२६
४४३	समाचारपत्रों की हानि .	१०२६–२७
४४४	पश्चिम रेलवे में डिवीजन का निर्माण .	१०२७
४४५	मछली का आटा . . .	१०२७–२८
४४६	गण्डक पर रेलवे पुल	१०२८–२९
४४७	रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समितियां	१०२९–३२
४४८	रेलवे दुर्घटनायें रोकना .	१०३२
४४९	तपेदिक . .	१०३२–३३
४५०	रेलों में चोरियां .	१०३४
४५१	रेलवे अल्पाहार गृह . .	१०३४–३५
४५२	गन्ने की खेती की लागत . .	१०३५–३६
४५३	बकिंघम नहर . . .	१०३६–३८
४५४	अजमेर-जैसलमेर रेल लाइन . .	१०३८
४५५	मत्स्यग्रहण-पत्तन . . .	१०३८–३९
४५६	हिन्दी में डाक की रसीदें . .	१०३९
४५८	रेलवे कर्मचारी .	१०४०
४५९	आसाम रेल सम्पर्क . . .	१०४०–४१
४६०	गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेल का मुख्य कार्यालय .	१०४२
४६२	अकबरपुर-फैजाबाद रेल लाइन	१०४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर १०४३–१११

तारांकित प्रश्न संख्या		
४३६	सकरी–हसनपुर रेलवे लाइन .	१०४३–४४
४५७	भोपाल को रेलवे लाइन	१०४४
४६०	सार्वजनिक टेलीफोन घर	१०४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४६३	रमपल्ली का गाड़ी का ठहराव (हाल्ट)	१०४४–४५
४६४	वातानुकूलित जनता गाड़ी	१०४५
४६५	खाद्य उत्पादन	१०४५
४६६	पूर्वोत्तर रेलवे पर गाड़ियों का बन्द किया जाना	१०४५–४६
४६७	उत्तर प्रदेश में गुड़ का भाग	१०४६
४६८	हीराकुंड बांध परियोजना के चिपलिमा	१०४६
४७०	आंध्र को वित्तीय सहायता	१०४६
४७१	त्रिपुरा में खाद्य स्थिति	१०४७
४७२	पश्चिम रेलवे की गाड़ियों में भीड़	१०४७
४७३	असैनिक उड्डयन कर्मचारी संघ	१०४८
४७४	विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन	१०४८
४७५	रेलवे कर्मचारियों का मुअत्तल किया जाना	११४८–४९
४७६	कालीघाट-फाल्टा रेलवे	१०४९
४७७	मंडुवाडीह में रेलवे वर्कशाप	१०४९
४७८	डेहरी-आन-सोन में सड़क एवं रेल पुल	१०५०
४७९	डैक यात्री टिकट	१०५०
४८०	मदुरई में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	१०५०–५१
४८१	रेलवे पुलों का परीक्षण करने के लिये समिति	१०५१
४८२	कोयना परियोजना	१०५१
४८३	बरासेट---बसीरहाट लाइड रेलवे	१०५१–५२
४८४	विशाखापटनम में माल डिब्बे जोड़ने का कारखाना	१०५२
४८५	कृषि-कार्यक्रम	१०५२
४८६	रेलवे लाइनों का टूटना	१०५२–५३
४८७	अनाज का एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाना	१०५३
४८९	तोंस नदी पर राष्ट्रीय राजपथ पुल	१०५३
४९०	केन्द्रीय फल उत्पाद मंत्रणा समिति	१०५४
४९१	कोसी परियोजना में बांध निर्माण	१०५४
४९३	खाद्य अपमिश्रण अधिनियम (१९५४)	१०५४–५५
४९४	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जहाजों का अर्जन	१०५५
४९५	अलकनन्दा नदी पर मोटर का पुल	१०५५
४९६	डाक तथा तार के विभागातिरिक्त अभिकर्ता	१०५५–५६
४९७	इंजन के कोयले की राख का उपयोग	१०५६
४९८	रेलवे कर्मचारियों की नौकरियों का समाप्त किया जाना	१०५६
४९९	रेलवे कर्मचारियों पर आक्रमण	१०५७
५००	ग्रामीण उधार	१०५७
५०१	हिन्दूमल कोट श्रीगंगानगर रेलवे लाइन	१०५७
५०२	सहकारिता के ढांचे का पुनर्गठन	१०५७–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५०३	भारत-नार्वे परियोजना प्रशासन	१०५८
५०४	वन गवेषणा संस्था, देहरादून	१०५८
५०५	सरयू नदी पर रेलवे पुल	१०५८–५९
५०६	बम्सधारा परियोजना	१०५९
५०७	कलकत्ता और बम्बई के बीच जनता एक्सप्रैस	१०५९
५०८	असामन्य मौसम	१०५९
५०९	हल्दी	१०६०
५१०	रासायनिक उर्वरक	१०६०
५११	होजपेट-गुन्तकल्ल रेलवे लाइन	१०६०–६१
५१२	सोन नदी पर बांध	१०६१
५१३	हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रैस	१०६१–६२
५१४	गैर-वैभागिक टेलीफोन चालक	१०६२
५१५	विशाखापटनम् बन्दरगाह	१०६२–६३
५१६	भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद	१०६३
५१७	भारतीय रेलवे के लिये इस्पात	१०६३
५१८	खलीलाबाद के चीनी के कारखानों का किसी दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाना	१०६४
५१९	आयात किये गये गेहुं का वितरण	१०६४
५२०	रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति	१०६४–६५
५२१	कोसी परियोजना के लिये टेलीफोन एक्सचेंज	१०६५
५२२	दिल्ली में चिड़ियाघर	१०६५
५२४	महेन्द्रू घाट स्टेशन	१०६५
५२५	छोटी गंडकी पर पुल	१०६५–६६
५२६	भारत-नार्वे परियोजना प्रशासन	१०६६
५२७	जहाज ठहराने के स्थान (बर्थ) की कमी	१०६६
५२८	राष्ट्रीय राजपथ	१०६६

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२७७	भूतपूर्व बीकानेर रेलवे के कर्मचारी	१०६७
२७८	बीकानेर रेलवे वर्कशाप	१०६७
२७९	पदम्पुर की रेलवे आउट एजेन्सी	१०६८–६९
२८१	चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६	१०६९
२८२	ब्रह्मपुत्र स्टीमर सेवा	१०६९–७०
२८३	इम्फाल में डाक-घरों की इमारतें और कर्मचारियों के क्वार्टर	१०७०
२८४	मनीपुर में धान के खेतों का अर्जन	१०७०–७१
२८५	मनीपुर में ढोर गणना	१०७१
२८६	सहकारी चीनी का कारखाना	१०७१
२८७	कांडला-रानीवाड़ा रेल सम्पर्क	१०७१–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२८८	शिलोंग और नौंगांव में हवाई अड्डे	१०७२
२८९	मछुए	१०७२
२९०	चीनी का उत्पादन	१०७२
२९१	मुर्गी पालन	१०७३
२९२	खाद्य उपभोग	१०७३
२९३	गोश्त	१०७४
२९४	खाद्य उपभोग	१०७४
२९५	फलों का उत्पादन	१०७४–७५
२९६	तिलहन	१०७५–७६
२९७	खाद्य उत्पादन	१०७६
२९८	अण्डे	१०७६–७७
२९९	रिहांड बांध	१०७७–७८
३००	केन्द्रीय सड़क निधि	१०७८
३०१	तिनेलवेली से कन्या कुमारी तक रेलवे लाइन	१०७८
३०२	रेलवे बुकिंग की सुविधायें	१०७८
३०३	राज्य विद्युत् बोर्ड	१०७८–७९
३०४	पंजाब में गेहूं के भाव	१०७९
३०५	ब्यास नदी पर बाढ़ नियंत्रण योजनायें	१०७९–८०
३०६	यात्री सुविधा समिति	१०८०
३०७	सार्वजनिक टेलीफोन घर (बिहार)	१०८०
३०८	छोटे सिंचाई कार्य	१०८१
३०९	सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	१०८१
३१०	केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली	१०८१–८२
३११	पूर्व रेलवे के सियालदा डनकुनी सेक्शन में गाड़ी का पटरी से उतर जाना	१०८२
३१२	रेल गाड़ी के माल डिब्बों में आग की दुर्घटना	१०८२–८३
३१३	मेडिकल कालिजों में अफगान विद्यार्थी	१०८३
३१४	पर्यटकों का यातायात	१०८३
३१५	बम्बई जल संभरण तथा जल निस्सारण	१०८३–८४
३१६	पंजाब में बाढ़-नियंत्रण	१०८४
३१७	पंजाब में चीनी के कारखाने	१०८४
३१८	दिल्ली में यकृत रोग	१०८५
३१९	रेडियो सेट	१०८५
३२०	रेलवे की आय	१०८५
३२१	पर्यटक	१०८६
३२२	विमानों का क्रय	१०८६–८७
३२३	दिल्ली के कटरों का सुधार	१०८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३२४	रेलवे के इंजन-डिब्बे .	१०८७
३२५	मैसूर में राष्ट्रीय राजपथ .	१०८७–८८
३२६	दिल्ली के वातावरण का गन्दा होना	१०८८
३२७	गोकुलनगर रेलवे स्टेशन	१०८८
३२८	विदेशी सहायता	१०८८–९०
३२९	नल-कूप .	१०९०
३३०	होम्योपैथी	१०९०
३३१	खाद्य तथा कृषि संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग	१०९०–९१
३३२	भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् .	१०९१–९२
३३३	डाक और तार घरों के कर्मचारी .	१०९२
३३४	सफदरजंग अस्पताल में नर्सों का मैस	१०९२–९३
३३५	छपरा स्टेशन पर रेल के ऊपर का पुल	१०९३
३३६	स्टेशन मास्टरों की परीक्षा	१०९३–९४
३३७	गाड़ियों के ठहराव .	१०९४
३३८	रेलवे में हिन्दी फार्मों का प्रयोग .	१०९४
३३९	अखिल भारतीय मत्स्य-पालन सम्मेलन	१०९५
३४०	समुद्री मीन-क्षेत्र .	१०९५
३४१	झींगा आदि का निर्यात .	१०९५–९६
३४२	कच्चे काजुओं के बारे में आत्म निर्भरता .	१०९६–९७
३४३	खाद्यान्नों का बन्दरगाहों पर उतारा जाना .	१०९७
३४४	पुनलूर-केयंकुलम रेलवे लाइन .	१०९७
३४५	विभागातिरिक्त डाक-घर . .	१०९८
३४६	रेलवे में प्रथम श्रेणी की नौकरियां . .	१०९८–९९
३४७	प्रतिष्ठित विदेशी व्यक्तियों के लिये स्पेशल रेलगाड़ियां	१०९९
३४८	टिकट निरीक्षक . . .	१०९९
३४९	नदी घाटी परियोजना में अन्तर्राष्ट्रीय जल परिवहन	१०९९–११००
३५०	डिब्बों की लागत .	११००
३५१	कोटा रेलवे स्टेशन . . .	११००
३५२	उत्तर रेलवे में वाणिज्यिक निरीक्षक	११००–०१
३५३	उड़ीसा में नई रेलवे लाइनें	११०१
३५४	पक्ला-धर्मवरम् सैक्शन पर नल्ला चेखा पर गाड़ी का ठहराव (हाल्ट)	११०१
३५५	गुण्टाकल-मदाकसीना रेलवे लाइन	११०१–०२
३५६	टनकल्ला में सार्वजनिक टेलीफोन घर . . .	११०२
३५७	बंगलौर–मसुलीपट्टम सैक्शन पर गाड़ियों का समय से पीछे चलना	११०२
३५८	रेनीगुंटा और हैदराबाद के बीच एक्सप्रैस गाड़ी	११०२-०३
३५९	हिन्दुपुर-गुण्टाकल के बीच शटल गाड़ी चलाना	११०३
३६०	केन्द्रीय अनाज गोदाम .	११०३
३६१	आसाम में रेलवे का विस्तार	११०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश):

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३६२	खाद्यान्नों से लदे स्टीमर	११०४
३६३	खण्ड विकास पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	११०४
३६४	गाड़ियों के साथ चलाने वाले टिकट कलेक्टर	११०४—०५
३६५	फैजाबाद स्टेशन पर भोजन व्यवस्था	११०५
३६६	रेलवे लाइनों के दोनों ओर तार लगाना	११०६
३६७	यात्री सुविधायें	११०६
३६८	गोंडा-कतरनियाघाट लाइन पर रेल गाड़ियां	११०७
३६९	रेल-सागर समन्वय समिति	११०७
३७०	शालीमार में रेल के ऊपर का पुल	११०७
३७१	शेनकोट्टा-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन	११०८
३७२	राजस्थान में रेलवे लाइन	११०८
३७३	बरहामपुर का डाक घर	११०८—०९
३७४	रेलवे के क्वार्टर	११०९
३७५	अमरया तार घर	११०९
३७६	रामपुर-हलद्वानी रेलवे लाइन	११०९—१०
३७७	भोजीपुरा-सितारगंज रेलवे लाइन	१११०
३७८	सस्ते अनाज की दुकानें	१११०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ११११

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत ४ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३९१ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, १९५७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गयी ।

पुर:स्थापित किया गया विधेयक ११११

विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५७ पुर:स्थापित किया गया

पारित किया गया विधेयक ११११—१४

केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर खंडश: विचार समाप्त हुआ ।

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा १११४—५१

सामान्य आयव्ययक १९५७–५८ पर सामान्य चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बुधवार, २९ मई, १९५७ के लिये कार्यावलि

विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५७ पर विचार और उस का पारित किया जाना ।

सामान्य आयव्ययक १९५७–५८ पर सामान्य चर्चा ।

———